उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों एवं अधिकारियों को अनुमन्य सुविधाओं से सम्बन्धित अधिनियमों, नियमावलियों तथा शासनादेशों का संकलन

विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों एवं अधिकारियों को अनुमन्य सुविधाओं से सम्बन्धित अधिनियमों, नियमावलियों तथा शासनादेशों का संकलन

विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश,
लेखा अनुभाग–1
2017

भूमिका

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों एवं अधिकारियों को अनुमन्य सुविधाओं से सम्बन्धित अधिनियमों, नियमावलियों तथा शासनादेशों के संकलन का यह द्वादश संस्करण माननीय विधान सभा सदस्यों के प्रयोगार्थ विधान सभा सचिवालय द्वारा तैयार किया गया है। इस संकलन में समाहित सूचनायें अद्यतन हैं।

आशा है कि यह संकलन सदस्यों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
दिनांक : 07 फरवरी, 2017

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
1-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23, 1980) ...	1-20
2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981	21-83
3-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल को सुविधायें) नियमावली, 1981 एवं अधिसूचना सं0-1221/सं/सत्रह-1-89-94 सं/81, दिनांक 25 मार्च, 1989	84-87
4-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987	88-117
5-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988	118-123
6-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, 1952) ...	123-127
7-उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के (यात्रा संबंधी सुविधाओं तथा भत्तों के) नियम, 1955 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के पदाधिकारियों के (यात्रा संबंधी सुविधाओं तथा भत्तों के) नियम, 1955 ...	127-132
8-विज्ञप्ति सं0-544सं/सत्रह-73-273-69, दिनांक 28 फरवरी, 1973..	133
9-उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पेंशन अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-10, 1974)	134
10-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपलब्ध) अधिनियम, 1981	135-137
11-उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997	138-145
12-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों के (वेतन, भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, 1956) से उद्धरण	146-148

विषय	पृष्ठ-संख्या
13-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009	148-151
14-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के चिकित्सीय उपचार के सम्बन्ध में चिकित्सा (ख) विभाग का शासकीय आदेश संख्या-यू0ओ0 522-बी /पांच-601 (39)-56, दिनांक 4 अप्रैल, 1956 ई0	152
15-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के परिवारों को चिकित्सा सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग-7 का शासकीय आदेश संख्या-280 (सात) पांच-72, दिनांक 1 जुलाई, 1972 ई0 ...	153-154
16-भूतपूर्व सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं-	
(क) चिकित्सा अनुभाग-7 का शासकीय आदेश संख्या-3824/ V-7-1033-81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 ...	154-156
(ख) चिकित्सा अनुभाग-7 का शासकीय आदेश संख्या-1832/ V-7-1033-81, दिनांक 14 मई, 1982 ...	157-158
(ग) चिकित्सा अनुभाग-7 का शासकीय आदेश संख्या-एस0एम0/ 161/ V-7-1033-81, दिनांक 12 मई, 1983	159-160
(घ) चिकित्सा अनुभाग-2 का शासकीय आदेश संख्या-1989/ सेल-2/5-4-84-84, दिनांक 21 मई, 1986 ...	161-163
(ङ) चिकित्सा अनुभाग-7 का शासकीय आदेश संख्या-5404/ 5-7-1033-81, दिनांक 12 अगस्त, 1986 ...	164-165
(च) चिकित्सा अनुभाग-7 का शासकीय आदेश संख्या-3788/ 5-7-87, दिनांक 25 जुलाई, 1987	166-167
17-उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सदस्यों आदि को वेतन एवं भत्ते आदि का चेक द्वारा भुगतान से सम्बन्धित विधान सभा सचिवालय, लेखा अनुभाग का पत्र सं0-906/वि0 सभा/202/ले/77, दिनांक 6 अप्रैल, 1981 ...	168-171
18-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) संशोधन अधिनियम 2016	172-176

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980*

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 1980)

[1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-10 सन् 1981
2-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-13 सन् 1984
3-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 1984
4-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-28 सन् 1985
5-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-13 सन् 1986
6-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-22 सन् 1986
7-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 1987
8-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-17 सन् 1988
9-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-15 सन् 1989
10-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-5 सन् 1990
11-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-15 सन् 1991
12-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-13 सन् 1992
13-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-16 सन् 1994
14-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-4 सन् 1997
15-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-30 सन् 1998
16-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-25 सन् 2000
17-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-27 सन् 2000
18-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-10 सन् 2004
19-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 2005
20-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-7 सन् 2006
21-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-37 सन् 2007
22-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-39 सन् 2007
23-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-11 सन् 2008
24-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-09 सन् 2010
25-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-04 सन् 2013
26-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-03 सन् 2015
27-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 2016 द्वारा यथा संशोधित

तथा

28-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (बीसवां संशोधन) नियमावली, 2007
29-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 2007
30-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 2008
31-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (तेइसवां संशोधन) नियमावली, 2010
32-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2012
33-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 2013
34-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2015
35-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015 द्वारा यथासंशोधित]

---

* दिनांक 25 अक्टूबर, 1980 के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ किन्तु अधिसूचना सं0-4425/सं0/सत्रह-80-125 सं/80, दिनांक 24 दिसम्बर, 1980 द्वारा यह अधिनियम दिनांक 1 जनवरी, 1981 से प्रवृत्त हुआ।

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन और भत्तों के भुगतान और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें।*

परिभाषायें

2-इस अधिनियम में-

(क) ''सभा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है;

(ख) ''सभापति'' का तात्पर्य विधान परिषद् के सभापति से है;

(ग) ''परिषद्'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है;

(घ) ''उप सभापति'' का तात्पर्य परिषद् के उप सभापति से है;

(ङ) ''उपाध्यक्ष'' का तात्पर्य सभा के उपाध्यक्ष से है;

(च) किसी सदस्य के सम्बन्ध में सदस्यता की अवधि का तात्पर्य--

(एक) यथास्थिति उसके निर्वाचन या नाम-निर्देशन की अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के दिनांक से, इनमें जो भी पहले हो, प्रारम्भ होने वाली, और

(दो) उस दिनांक को, जब वह मृत्यु या पद-त्याग के कारण या अन्यथा ऐसा सदस्य न रह जाय, समाप्त होने वाली अवधि से है;

---

* दिनांक 25 अक्टूबर, 1980 के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ किन्तु अधिसूचना सं0-4425/सं0/सत्रह-80-125सं/80, दिनांक 24 दिसम्बर, 1980 द्वारा यह अधिनियम दिनांक 1 जनवरी, 1981 से प्रवृत्त हुआ।

(छ) ''आनुषंगिक व्यय'' का तात्पर्य--

(एक) रेल द्वारा की गयी यात्रा की दशा में एक व्यक्ति के लिये [1] [वातानुकूलित] टू टायर में ऐसी यात्रा के रेल किराये के बराबर धनराशि से है;[1]

(दो) किसी अन्य दशा में विहित दर से इस रूप में देय धनराशि से है;

(ज) ''नेता विरोधी दल'' का तात्पर्य सभा या परिषद् के उस सदस्य से है, जिसे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो;

(झ) ''सदस्य'' का तात्पर्य सभा या परिषद् के उस सदस्य से है जो मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति या [सभा सचिव] [3] के पद पर आसीन न हो;

[(झझ) ''परिवार का सदस्य'' का तात्पर्य सभा या परिषद् के किसी सदस्य के सम्बन्ध में, चाहे वह खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या नहीं, उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहिन से है, जो ऐसे सदस्य के साथ निवास करता हो और उस पर पूर्णतया आश्रित हो;] [2]

(ञ) ''मंत्री'' के अन्तर्गत मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी है;

(ट) किसी सदस्य के सम्बन्ध में ''निवास स्थान'' का तात्पर्य उस स्थान से है जिसका किसी सभा या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के अनुसार सदस्य सामान्यतः निवासी है, और यदि सदस्य ऐसे स्थान में परिवर्तन कर दे तो उत्तर प्रदेश में उस स्थान से है जिसे सदस्य के अनुरोध पर प्रमुख सचिव द्वारा ऐसा स्थान अभिसूचित किया जाय :

परन्तु कोई ऐसी अधिसूचना, यथास्थिति, निर्वाचन के पश्चात् या इस खण्ड के अधीन जारी की गयी पूर्व अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व जारी नहीं की जायगी;

---

[1] उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25 सन् 2000 द्वारा संशोधित।

[2] उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13 सन् 1986 द्वारा बढ़ाया गया।

[3] उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15 सन् 1989 द्वारा संशोधित।

(ठ) "रेल कूपन" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये रेलवे बोर्ड के प्राधिकार से, जारी किये गये निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन से है;

(ड) "[1]प्रमुख सचिव" का तात्पर्य सभा के सदस्यों के सम्बन्ध में, सभा के [1]प्रमुख सचिव से है, और परिषद् के सदस्यों के सम्बन्ध में, परिषद् के [1]प्रमुख सचिव से है;

(ढ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष से है;

(ण) "वर्ष" का तात्पर्य पहली जून को प्रारम्भ होने वाली और अनुवर्ती इकतीस मई को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि से है।

अध्याय-दो

वेतन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

वेतन

3-(1) सभा के नेता विरोधी दल से भिन्न, प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि के लिए [पच्चीस हजार रुपये][2] प्रतिमास वेतन पाने का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वेतन का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्-

(क) वेतन में अनुपस्थिति या अन्य कारण के आधार पर ऐसी कटौतियां की जा सकेंगी जैसी विहित की जायं;

(ख) किसी सदस्य को उस अवधि के लिए जिसमें वह किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी विनिश्चय के फलस्वरूप, यथास्थिति, सभा या परिषद् में बैठने के लिये अक्षम हो जाय, कोई वेतन देय नहीं होगा;

(ग) सभा के किसी सदस्य को सभा के गठन के दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिये कोई वेतन देय न होगा;

(घ) परिषद् के किसी सदस्य को उस रिक्ति के, जिस रिक्ति के फलस्वरूप वह सदस्य निर्वाचित या नाम-निर्देशित हुआ है, दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिये कोई वेतन देय न होगा।

1-अधिसूचना संख्या-905/सत्रह-सं-1-2003-93सं/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

2-अधिसूचना संख्या : 1409/79-वि-1-16-1(क)-32-2016, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधित।

4-सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, अपनी सदस्यता की अवधि में (पचास हजार रुपये)[7 व 10] प्रतिमास का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

अध्याय-तीन

यात्रा सुविधा

5-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभा या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में किसी पद पर आसीन हो या नहीं, [दिनांक 1 जून, 1991 से 15 अगस्त, 1991 तक की अवधि के लिये, पैंतालीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के और दिनांक 16 अगस्त, 1991 से 1 मई, 1994 तक चउवन हजार रुपये से अनधिक मूल्य के तथा 2 मई, 1994 से दिनांक 1 जून, 1997 तक पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक[1] 1 जून, 1998 से अट्ठासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक[2]] और 01 अप्रैल, 2004 से एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक][3] और 01 जून, 2005 से एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक[4] 01 जून, 2008 से दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक[6] 01 जून 2013 से रुपये दो लाख पचास हजार प्रतिवर्ष से अनधिक[8] और 01 जून 2015 से तीन लाख पच्चीस हजार प्रतिवर्ष से अनधिक[9] और 16 सितम्बर 2016 से चार लाख पच्चीस हजार प्रतिवर्ष से अनधिक[10] मूल्य के रेल कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे सदस्य के द्वारा अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों या अपने सहवर्तियों[10] के लिये किसी रेल से किसी श्रेणी में किसी समय उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर यात्रा के लिये ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जायें, उपयोग में लाये जा सकते हैं। रेल कूपन

[1]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1997 द्वारा संशोधित।
[2]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1998 द्वारा बढ़ाया गया।
[3]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2004 द्वारा संशोधित एवं निकाला गया।
[4]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2005 द्वारा बढ़ाया गया।
[5]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2007 द्वारा संशोधित।
[6]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2008 द्वारा संशोधित।
[7]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2010 द्वारा बढ़ाया गया।
[8]-अधिसूचना संख्या : 373/79-वि-13-1(क)-5-2013, दिनांक 26 मार्च, 2013 द्वारा संशोधित।
[9]-अधिसूचना संख्या : 445/79-वि-15-1(क)-16-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित।
[10]-अधिसूचना संख्या : 1409/79-वि-1-16-1(क)-32-2016, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधित।

"(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को [एक लाख रुपये][7] प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के रेल कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे भूतपूर्व सदस्य के द्वारा अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों [या एक सहवर्ती][8] के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं और उस उपधारा के अधीन दिये गये रेल कूपनों पर उपधारा (1) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"[1]

स्पष्टीकरण-इस धारा में निर्दिष्ट रेल यात्रा के लिये रेल कूपन का मूल्य राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित किया जायगा:

3["परन्तु किसी सदस्य को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, इस धारा के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उसके विकल्प पर उतने मूल्य के रेल कूपन के बजाय, जितने वह चाहे,-

(क) समान मूल्य के कूपन उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी समय वायुयान द्वारा यात्रा के लिये उसे दिये जायेंगे, और

(ख) उसके निजी वाहन के लिये पेट्रोल या डीजल हेतु [पच्चीस][6] हजार रुपये प्रतिमाह से अनधिक की धनराशि नकद भुगतान की जायेगी :।][3]

"परन्तु यह और कि जब कभी भी[4][वातानुकूलित टू टायर] के रेल किराये में वृद्धि होगी, राज्य सरकार अभिसूचित आदेश द्वारा रेल कूपन के मूल्य में[**] [सात हजार रुपये प्रतिवर्ष की]* अनुपातिक वृद्धि करते हैं :"[1]

[परन्तु यदि और कि किसी भूतपूर्व सदस्य को उपधारा (2) के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से किसी भी समय वायुयान द्वारा यात्रा करने के लिये उसके विकल्प पर समान मूल्य के कूपन दिये जायेंगे।][5]

["परन्तु यह भी कि किसी भूतपूर्व सदस्य को उसको दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उसके निजी वाहन के लिए पेट्रोल या डीजल हेतु पचास हजार रुपये से अनधिक वार्षिक की धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा।"][6]

[6- ** ** **][2]

** अधिसूचना सं0 842/सत्रह-सं0-1-2002-42 सं0/2002, दिनांक 07 जून, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित।

1-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1998 द्वारा बढ़ाया गया।

2-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1986 द्वारा निकाला गया।

3-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1986 द्वारा प्रतिस्थापित।

4-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2000 द्वारा संशोधित।

5-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2006 द्वारा बढ़ाया गया।

6-अधिसूचना संख्या : 1409/79-वि-1-16-1(क)-32-2016, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा बढ़ाया गया।

7-अधिसूचना संख्या : 1409/79-वि-1-16-1(क)-32-2016, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधित।

8-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2007 द्वारा संशोधित।

7-किसी सदस्य को अपने साथ रेल यात्रा में [* * *] [1] निम्नलिखित दशाओं में एक सहवर्ती ले जाने के लिये भी धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्-- सहवर्ती के साथ यात्रा

(क) यथास्थिति, ''सभा या परिषद् के प्रत्येक सत्र में अधिक से अधिक दो बार अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक आने और लखनऊ से ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिये;

(ख) किसी महिला सदस्य की स्थिति में, ऐसी यात्रा के लिये जो उसके द्वारा ऐसा सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों और कृत्यों के सम्बन्ध में अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिये और ऐसी उपस्थिति के पश्चात् अपने निवास स्थान वापस जाने के लिये,

[8- ** ** **] [1]

[9-धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का उपयोग प्रत्येक सदस्य द्वारा जो धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन है, अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये शासकीय कर्तव्यों के पालन से भिन्न प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी भी समय किसी रेल द्वारा किसी श्रेणी में यात्रा के लिये विहित रीति से किया जा सकता है।][2] मंत्री, अध्यक्ष आदि द्वारा यात्रा

10-इस अध्याय के अधीन जारी किया गया रेल कूपन ऐसी अवधि के लिये विधिमान्य होगा, और प्रत्येक अप्रयुक्त कूपन प्रमुख सचिव को, ऐसी रीति से लौटा दिया जायगा जो विहित की जाय। रेल कूपन की विधि मान्यता

[11- ** ** **]

[12- ** ** **] [1]

''13-(1) प्रत्येक सदस्य, जब वह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से, जिसके अन्तर्गत वातानुकूलित या डीलक्स बस भी है, उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा करता है, और उसका टिकट प्रस्तुत करता है, तब उसे ऐसे टिकट की धनराशि का भुगतान प्रमुख सचिव द्वारा किया जाएगा। बस द्वारा यात्रा

---

[1]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1986 द्वारा निकाला गया।

[2]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1986 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग सदस्य द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिये भी किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो अध्याय आठ के अधीन पेंशन का हकदार है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर का भुगतान किये बिना किसी भी समय उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा करने के लिये विहित रीति से निःशुल्क असंक्रमणीय बस-पास का भी हकदार होगा :

परन्तु यह कि यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वातानुकूलित या डीलक्स बस में यात्रा करता है तो उसे किराये की अधिक धनराशि का वहन स्वयं करना होगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट पास का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिये भी किया जा सकता है।[1]

अध्याय-चार

आनुषंगिक व्यय और दैनिक भत्ता

आनुषंगिक व्यय

14-प्रत्येक सदस्य को, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों या कृत्यों के सम्बन्ध में अपनी उपस्थिति के लिये ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, निम्नलिखित दशाओं में आनुषंगिक व्यय देय होगा, अर्थात्--

(क) यथास्थिति, सभा या परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति के किसी उपवेशन में उपस्थित होने के लिये किसी कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार, केवल उपवेशन के स्थान पर आने के लिये और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिये की गयी यात्रा के लिये :

परन्तु यदि कोई सदस्य एक ही कलेण्डर मास में दो या अधिक समितियों के उपवेशन में भाग लेता है तो इस खण्ड के अधीन आनुषंगिक व्यय किसी भी दशा में ऐसे मास में चार से अधिक बार देय नहीं होगा।

---

[1]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलाई गई किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये, बैठक के स्थान पर आने के लिये और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिये की गई यात्रा के लिये;

(ग) समिति के ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, जो समिति की बैठक से भिन्न हो, किसी समिति के सभापति के रूप में, उसके द्वारा किसी कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार लखनऊ आने के लिये और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिये की गयी यात्राओं के लिये;

(घ) संवैधानिक अध्ययन या किसी सेमिनार या पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति या किसी अन्य राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या यथास्थिति विधान परिषद् के सभापति द्वारा या उसके प्राधिकार से या भारतीय संसदीय अध्ययन संस्थान के द्वारा बुलाई गई या किसी अन्य प्रकार से आयोजित किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये की गयी यात्राओं के लिये :

परन्तु ऐसा सदस्य धारा 2 के खण्ड (ढ) में यथा परिभाषित अध्यक्ष या उक्त धारा के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित सभापति द्वारा ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिये नाम-निर्दिष्ट किया गया हो :

परन्तु यह और कि ऐसी किसी बैठक में भाग लेने के लिये [पांच][5] से अधिक सदस्य नाम-निर्दिष्ट नहीं किये जायेंगे और कोई ऐसा नाम-निर्देशन एक वर्ष में दो बार से अधिक के लिये नहीं किया जायगा।][1]

दैनिक भत्ता

15-(1)[2] [प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो[3] [दो हजार रुपये][4]

---

[1]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 13 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 16 सन् 1994 द्वारा संशोधित।

[3]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 22 सन् 1986 द्वारा संशोधित।

[4]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21 सन् 2016 द्वारा संशोधित।

5-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 10 सन् 2004 द्वारा संशोधित।

प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता का हकदार होगा जिसकी संगणना निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी, अर्थात्--

(एक) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के सत्र के दौरान या उसकी किसी समिति के किन्हीं उपवेशनों में, प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिये देय होगा;

(दो) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के लगातार उपवेशन के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात् के लिये भी देय होगा, यदि सदस्य, उन दिनों में ऐसे लगातार उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हों;

(तीन) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के या उसकी समिति के किसी लगातार उपवेशन के दौरान स्थगन के दिनों के लिये और ऐसे लगातार उपवेशनों के बीच पड़ने वाली छुट्टी के दिनों के लिये भी देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हों;

(चार) उक्त भत्ता चार से अनधिक ऐसे दिनों के लिये भी देय होगा जो सभा या परिषद् के या उसकी समिति के किसी उपवेशन के अन्तिम दिन और उसी या किसी अन्य समिति के या सभा या परिषद् के उपवेशन के प्रथम दिन के बीच पड़े, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हों;

(पांच) जहां खण्ड (तीन) या खण्ड (चार) के अधीन आने वाली किसी स्थिति में कोई सदस्य उपवेशन के स्थान से अपने निवास स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र को चला जाए, वहां वह धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार दैनिक भत्ता का, या धारा 14 के अनुसार आनुषंगिक व्यय का इनमें जो भी कम हो, हकदार होगा।

[(पांच-क) उक्त भत्ता किसी सदस्य को किसी समिति के सभापति के रूप में समिति की बैठक से भिन्न ऐसी समिति के कार्य के सम्बन्ध में भी लखनऊ आने पर, यदि इस धारा के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उसे कोई ऐसा भत्ता अन्यथा देय नहीं है, देय होगा, परन्तु कोई ऐसा भत्ता एक कलेण्डर मास

में अधिक से अधिक दो बार आने पर और एक बार के लिये अधिक से अधिक दो दिन के लिये देय होगा।

(पांच-ख) उक्त भत्ता धारा 14 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी बैठक, सेमिनार, या अध्ययन पाठ्यक्रम में उपस्थिति के लिये भी देय होगा।[1]

(पांच-ख ख-------------------------)

(पांच-ग --------------------------)[1]

(2) प्रत्येक सदस्य उन दिनों के लिये भी जिनमें वह जनसेवा के कार्यों के लिये दौरा करें और जिसके लिये उपधारा (1) के अधीन दैनिक भत्ता या आनुषंगिक व्यय अनुमन्य न हो या न हो सकता हो, [एक हजार पांच सौ][5] रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का हकदार होगा।]1

(3) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन सदस्य और नेता विरोधी दल को उसके सम्पूर्ण कार्यकाल में जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है, प्रत्येक दिन के लिये [आठ सौ रुपये][4] प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा, सिवाय उन दिनों के जिनके लिये वह उपधारा (1) के अधीन दैनिक भत्ता का दावा करें।][3]

[(छ) ** ** **][2]

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी उपवेशन को लगातार समझा जायगा यदि किसी बैठक के अन्तिम दिन और दूसरी बैठक के प्रथम दिन के बीच दिनों की संख्या 4 से अधिक न हों।

---

[1]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30 सन् 1998 द्वारा संशोधित।

[2]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 22 सन् 1986 द्वारा निकाला गया।

3-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30 सन् 1998 द्वारा संशोधित।

4-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3 सन् 2015 द्वारा संशोधित।

5-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21 सन 2016 द्वारा संशोधित।

अध्याय-4-क

सचिवीय भत्ता

15-क-सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा-2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, जिसमें नेता विरोधी दल भी सम्मिलित हैं, अपनी सदस्यता की अवधि में या, यथास्थिति अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन हैं, [20 हजार रुपये][3] प्रतिमास की दर से सचिवीय भत्ता पाने का हकदार होगा।"[2]

अध्याय-पांच

सदस्यों के लिये आवास व्यवस्था

लखनऊ में आवास व्यवस्था

16-(1) प्रत्येक सदस्य (जिसके अन्तर्गत संसदीय सचिव भी है) अपनी सदस्यता की अवधि और ऐसी अग्रेतर अवधि, जैसी विहित की जाय, के लिये लखनऊ में ऐसे आवास का किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा जिसकी उसके लिये व्यवस्था की जाय।

[(1-क) प्रत्येक सदस्य जिसके उपयोग के लिये उपधारा (1) के अधीन लखनऊ में आवास की व्यवस्था की गयी हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् ऐसे आवास को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी इस आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का भी प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये 'सदस्य' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो सदस्य न रह गया हो][1]

(2) जहां किसी सदस्य को किसी आवास की व्यवस्था न की गयी हो, वहां वह [तीन सौ रुपये प्रतिमास की दर से][1] आवास भत्ता पाने का हकदार होगा।

---

[1]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या-5 सन् 1984 द्वारा संशोधित।

[2]-उपरोक्त अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित।

[3]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 2016 द्वारा बढ़ाया गया।

[(3) ....]3

स्पष्टीकरण-किसी सदस्य को आवास की व्यवस्था उस दिनांक को की गयी समझी जायेगी, जब उसके पक्ष में उसे प्रदिष्ट करने की सूचना उसे दे दी जाय चाहे ऐसा सदस्य प्रदेशन को स्वीकार करे या न करे या आवास पर अध्यासन करे या न करे।

आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में

17-(1) धारा 16 के अधीन आवास के प्रदेशन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है जिसमें निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की जायगी, अर्थात्--

(क) आवास का, जिसके लिये कोई सदस्य हकदार होगा, मानक निर्धारित करना;

(ख) ऐसा मानक नियत करना जिसके अनुसार प्रत्येक ऐसा आवास सुसज्जित किया जायगा;

(ग) [किसी]2 आवास का मानक किराया नियत करना

[(घ) * * *]2

(ङ) राज्य सरकार द्वारा समस्त व्यय का जिसके अन्तर्गत विद्युत और जल का व्यय भी है, भुगतान किये जाने के लिये और ऐसे आवास में जल और विद्युत के सम्भरण को विनियमित करने के लिये उपबन्ध बनाना।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियम उन सदस्यों के सम्बन्ध में भी बनाये जा सकते हैं जो धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हों।

1-उ0प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित एवं संशोधित।
2-उपरोक्त अधिनियम द्वारा निकाला गया।
3-उ0प्र0 अधिनियम संख्या-04 सन् 2013 द्वारा निकाला गया।

अध्याय-5-क

सदस्यों के लिए ऋण की व्यवस्था

सदस्यों को अग्रिम

17-क-राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो सदस्य है, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन न हो, या जो सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में पद पर आसीन रहा हो, या तो निवास-स्थान का निर्माण या क्रय करने के लिये या वाहन क्रय करने के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अनुसार जैसी विहित की जाय, दो लाख रुपये से अनधिक प्रतिसंदेय अग्रिम स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था कर सकती है :][1]

[परन्तु यह कि यदि किसी ऐसे सदस्य को एक प्रयोजन के लिये स्वीकृत किया गया अग्रिम और उस पर देय ब्याज प्रतिसंदत्त कर दिया गया हो तो उस सदस्य को दूसरे प्रयोजन के लिये भी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।][2]

अध्याय-छः

टेलीफोन की सुविधा

सदस्यों को टेलीफोन

18-प्रत्येक सदस्य लखनऊ में और अपने सामान्य निवास स्थान पर या सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में [टेलीफोन और मोबाइल फोन सम्बन्धी ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जैसी विहित की जाय।][4]

अध्याय-छः-क

चिकित्सा सुविधायें

[18-क-सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा-2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या नहीं, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायें निम्नलिखित का हकदार होगा, अर्थात्--

(क) राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी अस्पताल या औषधालय में प्रदान की जाने वाली वाह्य चिकित्सा और सुविधाओं के बदले में जिसके अन्तर्गत औषधियां भी हैं, [तीस हजार रुपये][3] प्रतिमास की धनराशि का दिया जाना ;

1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-4 सन् 1997 द्वारा बढ़ाया गया।
2-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-25 सन् 2000 द्वारा बढ़ाया गया।
3-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 2015 द्वारा संशोधित।
4-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-7 सन् 2006 द्वारा संशोधित।

(ख) ऐसे अस्पताल में अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये, जिन्हें अस्पताल में चिकित्सा के लिये भर्ती करना अपेक्षित हो निःशुल्क स्थान और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जाना।][1] चिकित्सा सुविधायें

अध्याय-सात

नेता विरोधी दल को सुविधायें

[19-नेता विरोधी दल ऐसे वेतन, आवास, सवारी तथा ऐसी अन्य सुविधायें पाने का हकदार होगा जो मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य को उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन अनुमन्य है और उक्त धाराओं के और उनसे सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, नेता विरोधी दल के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य के सम्बन्ध में लागू होते हैं।][2] नेता, विरोधी दल को वेतन, आवास, सवारी तथा अन्य सुविधायें

[20- * * *

21- * * *

21-क * * *

22- * * *][3]

अध्याय-आठ

भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन

23-इस अध्याय के प्रयोजनार्थ कतिपय पदों का अर्थ

[(क) पद "सभा" या "परिषद्" के अन्तर्गत क्रमशः यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली या यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल भी है।

(एक) जिसने इस रूप में इंडियन इंडिपेन्डेन्स एक्ट, 1947 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् कार्य किया ; या

---

[1]-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-25 सन् 2000 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] व [3]-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-15 सन् 1989 द्वारा प्रतिस्थापित/निकाला गया।

(दो) जिसने "भारत का संविधान" के अधीन राज्य के लिये अस्थायी विधान मण्डल के रूप में कार्य किया।][1]

(ख) एक "वर्ष" का तात्पर्य बारह कलेण्डर मास की किसी अवधि से है;

(ग) जिस अवधि में कोई व्यक्ति सभा या परिषद् में अपनी सदस्यता के आधार पर धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन रहा हो, उस अवधि की भी गणना ऐसी सदस्यता की अवधि अवधारित करने के लिये की जायेगी।

भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन

24-"(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिये कार्य किया हो, अपने जीवनपर्यन्त [पचीस हजार रुपये][6] प्रतिमास की दर से पेंशन का हकदार होगा :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने उपर्युक्तानुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये कार्य किया हो, वहां वह एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये [दो हजार रुपये][6] रुपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा :"[3]

[परन्तु यह और कि विधान सभा भंग होने की स्थिति में विधान सभा के भंग होने की तिथि से नयी विधान सभा के प्रथम उपवेशन तक की अवधि की गणना ऐसे सदस्य के पेंशन प्रयोजनों के लिये की जायेगी जो भंग विधान सभा का अध्यक्ष रहा हो और उक्त अवधि के दौरान इस रूप में अपने पद पर आसीन रहा हो।

"**स्पष्टीकरण**-जहां किसी व्यक्ति ने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में छः माह या उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम अवधि के लिये कार्य किया हो वहां इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने एक वर्ष के लिये सदस्य के रूप में कार्य किया है।"][4]

1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-13 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।
2-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 2005 द्वारा संशोधित।
3-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-30 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।
4-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-10 सन् 2004 द्वारा संशोधित एवं बढ़ाया गया।
5-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-37 सन् 2007 द्वारा संशोधित।
6-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 2016 द्वारा संशोधित।

"(2) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति किसी अन्य पेंशन का भी हकदार हो, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी पेंशन के साथ-साथ उपधारा (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार होगा।"[1] कतिपय व्यक्तियों को पेंशन की सुविधायें

[24-क-जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पेंशन या अतिरिक्त पेंशन का इस आधार पर हकदार हो जाता है कि उसने पहली जनवरी, 1946 के पूर्व गठित या विद्यमान सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहां यथास्थिति, ऐसी पेंशन या अतिरिक्त पेंशन ऐसे व्यक्ति को दिनांक पहली जनवरी, 1977 से देय समझी जायगी।][2]

25-धारा 24 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति निम्नलिखित स्थिति में इस अध्याय के अधीन कोई पेंशन पाने का हकदार न होगा, अर्थात्-- पेंशन कब देय नहीं होगी अधिनियम संख्या 30 सन् 1954

(क) [X X X X]"[3]

(ख) जहां कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन सवेतन नियोजित हो, या ऐसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक पाने का अन्यथा हकदार हो जाय और ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिमास [धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि][4] के बराबर या इससे अधिक हो और इस प्रकार नियोजित या ऐसा पारिश्रमिक पाने का हकदार बना रहे;

(ग) [X X X X][5]

(घ) जहां कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जाय या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाय और ऐसे पद पर आसीन रहे;

(ङ) जहां कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के या संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया जाय और ऐसा सदस्य बना रहे।

1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-4 सन् 1997 द्वारा संशोधित।
2-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-13 सन् 1992 द्वारा प्रतिस्थापित।
3-उक्त अधिनियम द्वारा निकाला गया।
4-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-4 सन् 1987 द्वारा संशोधित।
5-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-30 सन् 1998 द्वारा निकाला गया।

[(च) जहां कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न रह जाय।] [1]

कतिपय मामलों में पेंशन की धनराशि

26-जहां धारा 25 के [X X X][2] खण्ड (ख) [X X X][2] में उल्लिखित परिस्थितियों में, कोई व्यक्ति [धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि][1] प्रतिमास से कम धनराशि की कोई पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक का हकदार हो, वहां धारा 24 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन उतनी धनराशि से अधिक नहीं होगी जितनी से ऐसी पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक [धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि][3] प्रतिमास से कम पड़ती हो।

मृत सदस्यों के आश्रितों को वित्तीय सहायता

[26-क (1) यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की मृत्यु हो जाय तो मृत्यु के समय दिवंगत सदस्य को अन्यथा अनुमन्य पेंशन या रुपये दस हजार की पेंशन जो भी अधिक हो, के बराबर पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जायेगा।

(2) यदि भूतपूर्व सदस्य, जो धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेंशन का हकदार हो, की मृत्यु हो जाय, तो मृत्यु के समय ऐसे भूतपूर्व सदस्य की पेंशन या रुपये दस हजार की पेंशन जो भी अधिक हो पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जायेगा।][5]

[परन्तु यह कि यदि पति/पत्नी धारा 3 के अन्तर्गत वेतन अथवा धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी पेंशन का हकदार हो, तो वह उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा।][4]

[(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) ऐसे पति/पत्नी जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम 2015 के आरम्भ के दिनांक को जीवित है, पर भी लागू होगी।][5]

अध्याय-नौ

प्रकीर्ण

वेतन आदि का त्याग

27-कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का हकदार है, ऐसा सम्पूर्ण वेतन, भत्ता या सुविधा या उसके किसी भाग को, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को लिखित सूचना देकर त्याग सकता है :

परन्तु ऐसी किसी त्यजन को वह किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को लिखित सूचना देकर भविष्यलक्षी प्रभाव से रद्द कर सकता है।

सदस्यों के वेतन बिल से सरकारी एवं अन्य देयों की वसूली

28-[(1) जब कभी किसी सदस्य पर किसी सरकारी देय (जैसे आवास किराया या प्रभार, टेलीफोन देय-इत्यादि) के बकाया होने की सूचना दी जाय और उसके समर्थन में सम्बद्ध प्राधिकारी से समुचित मांग या बिल प्राप्त हो, और ऐसा सदस्य ऐसे देय का भुगतान न करे, तब ऐसे देय के बराबर

1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-24 सन् 1991 द्वारा बढ़ाया गया।

2-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-30 सन् 1998 द्वारा निकाला गया।

3-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-4 सन् 1987 द्वारा संशोधित।

4-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-39 सन् 2007 द्वारा बढ़ाया गया एवं अधिनियम सं0 9 सन् 2010 द्वारा पूर्ण रूपेण हटाया गया एवं पुर्नस्थापित।

5-अधिसूचना संख्या-445/79-वि-1-15-1(क)-16-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित।

धनराशि या जहां सरकार द्वारा किसी सदस्य को प्रति संदेय अग्रिम की व्यवस्था की गयी हो, वहां ऐसे सदस्य द्वारा देय ऐसे अग्रिम या उसकी किसी किस्त के बराबर धनराशि ब्याज सहित, यदि कोई हो, प्रमुख सचिव द्वारा ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक या प्रतिकर आवास या किसी अन्य भत्ता बिल से काट ली जायगी।

(1-क) ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जो सदस्य न रह जाय या जो उस समय सदस्य न हो, जब उसे सरकार द्वारा कोई प्रतिसंदेय अग्रिम दिया गया हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट धनराशि ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन देय पेंशन की धनराशि या किसी अन्य धनराशि से काट ली जायगी :][1]

"परन्तु यह कि यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी सरकारी धन का बकाया हो, चाहे वह उसके सदस्य रहने की अवधि का हो या उसके सदस्य न रह जाने की अवधि का हो, तो उसकी कटौती ऐसे व्यक्ति के पेंशन से की जायेगी।"

(2) साधारणतया किसी सदस्य पर बकाया किन्हीं गैर सरकारी देयों की वसूली उसके वेतन या भत्तों से नहीं की जायेगी किन्तु जहां ऐसी देय धनराशि उसके संसदीय कर्तव्यों के दौरान उसको दी गयी किन्हीं सेवाओं के कारण हो, जैसे जब वह किसी समिति के साथ दौरे पर हो, और ऐसी सेवाओं के लिये व्यवस्था राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों के अनुरोध पर अर्द्ध सरकारी संस्थाओं या निजी पार्टियों या उनके अनुरोध पर की गयी हो, और ऐसा सदस्य ऐसे देयों का भुगतान नहीं करता है वहां उसकी वसूली ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक भत्ता बिलों से की जा सकती है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

29-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई, विशेष रूप से धारा-31 द्वारा निरसित अधिनियमित के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि में, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे उपान्तर, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से

---

[1]-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-22 सन् 1986 द्वारा प्रतिस्थापित।

दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

नियम बनाने की शक्ति

30-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) धारा 31 द्वारा निरसित अधिनियमित के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे, और वे तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें निरसित न कर दिया जाय।

निरसन

31-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन का) अधिनियम, 1952 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1952

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय अनुभाग-1

संख्या 2752-सं0/सत्रह-81-170-सं0-80

लखनऊ : 26 जून, 1981

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980) की धारा 30 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 कही जायगी।

(2) यह 1 जुलाई, 1981 को प्रवृत्त होगी सिवाय नियम-16 के जो उस दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषायें

2-इस नियमावली में--

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 से है;

(ख) ''परिशिष्ट'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट से है;

(ग) ''समिति'' का तात्पर्य सदन या उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति से है और इसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 208 के अधीन बनाये गये किसी भी सदन के नियमों के अधीन या दोनों सदनों द्वारा अंगीकृत संकल्प के अधीन गठित दोनों सदनों की संयुक्त समिति भी है और इसके अन्तर्गत किसी समिति द्वारा नियुक्त कोई उप समिति या अध्ययन दल भी है;

(घ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न किसी प्रपत्र से है;

(ङ) ''सदन'' का तात्पर्य यथास्थित, सभा या परिषद् से है;

(च) ''बैठक'' का तात्पर्य सदन की या एक साथ समवेत् दोनों सदनों की या किसी समिति की बैठक से है;

(छ) ''उपवेशन का स्थान'' का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां पर कोई बैठक हो;

(ज) ''परिवहन निगम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से है;

(झ) ''यात्रा भत्ता'' का तात्पर्य अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन सदस्य द्वारा की गयी यात्रा के लिये उसे स्वीकृत भत्ता से है;

(ञ) अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित किन्तु इस नियमावली में अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

अध्याय-दो

वेतन, निर्वाचन क्षेत्र और आवास भत्ता

वेतन कब देय होगा

3-(1) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी सदस्य का वेतन अनुवर्ती मास के प्रथम दिन को देय हो जायगा, और उसे उसी दिन या किसी भी पश्चातवर्ती दिन को आहरित किया जा सकता है।

(2) ऐसे सदस्य की स्थिति में जिसका स्थान रिक्त हो जाय, उसका वेतन रिक्ति के दिनांक के अगले दिन को देय हो जायेगा, और उसे उसी दिन या किसी भी पश्चातवर्ती दिन को आहरित किया जा सकता है।

आहरण अधिकारी

4-(1) प्रत्येक सदस्य अपने वेतन बिल का आहरण अधिकारी होगा और प्रमुख सचिव ऐसे बिल के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी होगा।

(2) ऐसा प्रत्येक बिल प्रपत्र 'क' में तैयार किया जायेगा और प्रमुख सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायगा।

(3) प्रत्येक सदस्य उस जिले के, जहां वेतन बिल का भुगतान अपेक्षित हो, कोषागार अधिकारी को, और प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश के समस्त कोषागार अधिकारियों को, ऐसे बिल के भुगतान के पूर्व सत्यापन के प्रयोजनों के लिये हस्ताक्षर का नमूना भेजेगा।

महालेखाकार को सूचना

5-जब कोई व्यक्ति त्याग-पत्र देने या मृत्यु के कारण या अन्यथा सदन का सदस्य न रह जाय, तब आवश्यक अधिसूचना की एक प्रति तत्काल महालेखाकार को भेजी जायेगी।

वेतन से कटौतियां

6-[यदि कोई सदस्य किसी बैठक में लगातार छः दिन से अधिक (उपवेशन न होने के दिनों को छोड़कर) अवधि के लिये उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे सदस्य को देय वेतन से उस सम्पूर्ण अवधि के लिये जिसमें ऐसी अनुपस्थिति जारी रहे दस रुपये प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी, जब तक कि ऐसी अनुपस्थिति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर, वह प्रपत्र-ख में यह प्रमाण-पत्र न दे-दे कि उसकी अनुपस्थिति निम्नलिखित कारण से थी--

(क) अपनी बीमारी, या

(ख) अपने परिवार में गम्भीर बीमारी या शोक, या

(ग) अपने घर पर कोई धार्मिक अनुष्ठान, या

(घ) भारत में या भारत के बाहर राज्य सरकार या भारत सरकार की ओर से किसी कर्तव्य का पालन करने, या

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध।][1]

निर्वाचन क्षेत्र और आवास भत्ता

7-इस अध्याय के उपबन्ध सिवाय नियम 6 के, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और आवास भत्ता की मांग के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे वेतन की मांग के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

---

[1]-अधिसूचना संख्या-1755सं/17-1-85-149-84, दिनांक 15-07-85 द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय-तीन

रेल द्वारा यात्रा

रेल कूपन के लिये व्यवस्था

8-धारा-5 और 9 में निर्दिष्ट रेल कूपन सम्बद्ध सदस्य को प्रमुख सचिव द्वारा दिये जायेंगे जो रेलवे बोर्ड से ऐसे कूपनों को मंगाने की, और अप्रयुक्त कूपनों को लौटाने की भी आवश्यक व्यवस्था करेगा।

वर्ष के भाग के लिये रेल कूपन का मूल्य

[9-(1) जहां किसी वर्ष में यात्रा करने के लिये रेल कूपन उसी वर्ष के किसी भाग के लिये जारी किये जाने हों वहां कूपन केवल उस वर्ष के ऐसे भाग के अनुपात में जारी किये जायेंगे।

(2) इस नियम के अधीन रेल कूपन पूर्णांकों में जारी किये जायेंगे और यदि किसी सदस्य को पचास रुपये या इससे अधिक किन्तु एक सौ रुपये से कम के मूल्य के कूपन दिये जाने हों तो उसे एक सौ रुपये के रेल कूपन दिये जायेंगे और पचास रुपये से कम के लिये कोई रेल कूपन जारी नहीं किये जायेंगे।][1]

रद्द की गयी यात्राओं के लिये नये कूपनों का जारी किया जाना

10-(1) यदि कोई सदस्य रेल कूपनों के बदले में रेलवे टिकट प्राप्त करने के पश्चात् अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर देता है तो वह रेल प्रशासन से टिकट रिफण्ड रसीद प्राप्त करेगा और उसे यथाशीघ्र प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करेगा।

[(2) जहां टिकट डिपाजिट[2] रसीद उसी वर्ष के, जिसमें सम्बद्ध रेल कूपन [x x x][2] जारी किये गये थे, भीतर प्रस्तुत की जाय, वहां प्रमुख सचिव ऐसे टिकटों की [x x x][2] धनराशि के साठ प्रतिशत के बराबर नये कूपन जारी कर सकेंगे।][1]

---

[1]-अधिसूचना संख्या-2541/सत्रह-सं0-1-91-72सं0/87, दिनांक 27 नवम्बर, 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]-अधिसूचना संख्या-3112/सात-सं0-1-2005-68 सं0-2005, दिनांक 21 नवम्बर, 2005 द्वारा संशोधित एवं हटाया गया।

11-प्रत्येक सदस्य धारा 7 के अधीन अपने सहवर्ती द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये ऐसी यात्रा करने के दिनांक से तीन मास के भीतर प्रमुख सचिव को प्रपत्र-ग में एक विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा। सहवर्ती द्वारा की गयी यात्राओं का विवरण पत्र

12-जहां किसी सदस्य या उसके सहवर्ती या उसके परिवार के सदस्य द्वारा अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके यात्रा की जाय वहां प्रमुख सचिव इस नियमावली के अध्याय-दो में निर्दिष्ट किसी भी बिल से ऐसी यात्रा के लिए प्रयुक्त रेल कूपनों के मूल्य के बराबर धनराशि काटकर आवश्यक समायोजन करेगा। अधिनियम का उल्लंघन करके की गयी यात्रा के लिये कटौती

13-[xx xx][1]

[14-(1) सामान्यतः किसी सदस्य को एक बार में [[2]xxx] [बीस हजार रुपये][5] से अधिक धनराशि के रेल कूपन जारी नहीं किये जायेंगे। नये कूपन तभी जारी किये जायेंगे जब प्रमुख सचिव का यह समाधान हो जाय कि उस सदस्य को पहले जारी किये गये कूपन प्रयुक्त कर लिये गये हैं या उप नियम (2) के अधीन वापस कर दिये गये हैं।][1] नये कूपनों का जारी किया जाना

(2) प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष जून के आठवें दिनांक तक प्रमुख सचिव को प्रपत्र "ङ" में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा और सभी अप्रयुक्त कूपनों को उक्त प्रमाण-पत्र के साथ वापस कर देगा। किसी व्यतिक्रम सदस्य को कोई नया कूपन जारी नहीं किया जायेगा।

[15-कोई सदस्य रेल कूपन का अग्रिम रूप में पाने का हकदार नहीं होगा।][3] कोई अग्रिम कूपन जारी नहीं किया जायेगा

[16- xxx xxx][4]

17-रेल कूपनों के खो जाने की स्थिति में सम्बद्ध सदस्य पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायेगा और प्रमुख सचिव को भी ऐसे कूपन खोने और रिपोर्ट के बारे में सूचित करेगा। रेल कूपनों का खो जाना।

1-अधिसूचना संख्या-336/सं0/-17-1-87-78-सं0-86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 द्वारा निकाला गया एवं प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना संख्या-1318/सत्रह-सं0-1-2002-53सं0/2002, दिनांक 03 अगस्त, 2002 द्वारा संशोधित।

3-अधिसूचना संख्या-2541/सत्रह-सं0-1-91-72सं0/87, दिनांक 27 नवम्बर, 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।

4-अधिसूचना संख्या-453/सं0-17-1-85-231/83, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा निकाला गया।

5-अधिसूचना संख्या-2444/79-सं-1-2008-53सं/2002, दिनांक 6 अक्टूबर, 2008 द्वारा संशाधित।

रेल कूपनों की विधि मान्यता

[18-धारा-5 और 9 के अधीन किसी सदस्य को जारी किये गये रेल कूपन जारी किये जाने के दिनांक से आगामी 31 मई तक विधिमान्य होंगे।][1]

रेल कूपनों के संबंध में अन्य उपबन्ध

19-रेल कूपनों की मांग, जारी किये जाने, प्रयोग, वापसी और लौटाये जाने से संबंधित अन्य सभी मामले परिशिष्ट-एक में दिये गये उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

भूतपूर्व सदस्यों को रेल कूपन

19-क (1) धारा-5 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रेल कूपन धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट रेल कूपन से भिन्न रंग के होंगे।

(2) धारा-5 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रेल कूपनों पर नियम 8 से 19 तक के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।[2]

अध्याय-चार

बस द्वारा यात्रा

सदस्यों को बस पास

[20-(1) धारा-13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट बस पास ऐसे व्यक्ति को प्रमुख सचिव द्वारा दिया जाएगा जो परिवहन निगम से ऐसे पास मांगने की आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(2) प्रत्येक बस पास पर सम्बद्ध व्यक्ति का सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित फोटोग्राफ और उसके हस्ताक्षर होंगे।

(3) यदि कोई बस पास खो जाय, नष्ट हो जाय या विकृत हो जाय तो उसकी दूसरी प्रति दस रुपये की फीस का भुगतान करने पर जारी की जायेगी।] [3]

सहवर्ती द्वारा बस यात्रा

[21-नियम-20 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो बस में अपने साथ किसी सहवर्ती को ले जाने का इच्छुक हो, प्रपत्र "च" भरेगा और उसे यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व कन्डक्टर या बुकिंग क्लर्क को देगा और ऐसा प्रपत्र यात्री सूची (वे बिल) के साथ संलग्न किया जायेगा।][3]

---

[1]-अधिसूचना संख्या-336/सात-सं-17-1-87 सं/86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]-(ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1998 अधिसूचना सं0 2840/सत्रह-सं-1-98-131 सं/98, दि0 7 नवम्बर, 1990 द्वारा प्रवृत्त।

[3]-अधिसूचना संख्या-3112/सात--सं0-1-2005-68सं0-2005, दिनांक 21 नवम्बर, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

तीर्थ यात्रा कर आदि का भुगतान करने का कर्तव्य

[22(1) नियम-20 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो उक्त नियम के अधीन जारी किये गये बस पास से यात्रा कर रहा हो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिरोपित तीर्थ यात्री कर, सीमा कर और यात्री बीमा अधिभार, यदि कोई हो, का देनदार होगा।

(2) प्रत्येक सहवर्ती, जो उप नियम (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहा हो, किसी ऐसे विधि के अधीन यात्री कर और अतिरिक्त कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त उपनियम (1) में निर्दिष्ट कर और अधिभार का देनदार होगा।

[(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट कर और अधिभार की धनराशि का भुगतान यात्रा आरम्भ करने के पूर्व नकद किया जायेगा।][1]

निरीक्षण के लिये बस पास प्रस्तुत करने का कर्तव्य

[23-नियम 20 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति जो परिवहन निगम की बस से यात्रा कर रहा हो, कन्डक्टर या निगम के किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर निरीक्षण के लिए अपना बस पास प्रस्तुत करेगा।

अतिरिक्त सामान

24-नियम-20 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और उसका सहवर्ती परिवहन निगम के नियमों या आदेशों के अधीन यथा अनुमन्य सामान निःशुल्क ले जाने का हकदार होगा और अतिरिक्त सामान का, यदि कोई हो, विहित दर पर भुगतान करेगा।

परिवहन निगम को देय धनराशि

25-(1) नियम-20 में निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके सहवर्तियों द्वारा की गयी यात्राओं के लिए प्रमुख सचिव निम्नांकित धनराशि भुगतान करेगा :-

(क) परिवहन निगम को एक मुश्त में वह धनराशि जो बस पास के एवज में परस्पर तय की जायं।

(ख) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 के अधीन नियुक्त कर अधिकारी को वह धनराशि जो अधिनियम की धारा-13 में सन्दर्भित यात्री कर के एवज में परस्पर तय की जाय,

---

[1] –अधिसूचना संख्या-3112/सात--सं0-1-2005-68सं0-2005, दिनांक 21 नवम्बर, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि उप नियम (1) के अधीन परस्पर सम्मति संभव न हो तो मामला राज्य सरकार के निर्दिष्ट किया जाएगा और सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।] [1]

[26-नियम-20 में निर्दिष्ट व्यक्तियों और सहवर्ती द्वारा बस पास से यात्रा करने से सम्बन्धित अन्य शर्तें और निबन्धन और लेखों का रखा जाना और अन्य सम्बद्ध विषय राज्य सरकार के सामान्य या विशेष निदेशों द्वारा विनियमित होंगे।][1]

27-[x x x x x x x x x][1]

---

[1] –अधिसूचना संख्या-3112/सात--सं0-1-2005-68सं0-2005, दिनांक 21 नवम्बर, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित एवं निकाला गया।

अध्याय-पांच

आनुषंगिक व्यय और दैनिक भत्ता

सड़क से यात्रा

28-जहां किसी सदस्य से, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों या कृत्यों के संबंध में अपनी उपस्थिति के लिए ऐसे स्थानों के बीच यात्रा करने की अपेक्षा की जाय जो रेल से संयोजित न हों, यहां ऐसी यात्रा परिवहन निगम के बस से की जायगी। यदि यात्रा का स्थान ऐसे बस से संयोजित न हो तो यात्रा किसी निजी बस से की जा सकती है। यदि निजी बस भी उपलब्ध न हो तो यात्रा राज्य सरकार के अधीन सेवारत प्रथम वर्ग के राजपत्रित अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार की जा सकती है।

सड़क से यात्रा के लिये आनुषंगिक व्यय

29-जहां कोई सदस्य नियम-28 के अनुसार सड़क से यात्रा करता है, वहां वह राज्य सरकार के अधीन सेवारत प्रथम वर्ग के राजपत्रित अधिकारियों के लिये अनुमन्य दरों पर और उन पर, प्रयोज्य अन्य सभी शर्तों के अधीन आनुषंगिक व्यय का (जिसके अन्तर्गत यथास्थिति, वास्तविक किराया या माइलेज भी है) पाने का हकदार होगा।

[29-क-जहां कोई सदस्य अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिनियम की धारा-14 के खण्ड (घ) के प्रयोजनार्थ यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से वायुयान यात्रा करता है, तो वहां वह एकोनॉमी क्लास के किराये के बराबर आनुषंगिक व्यय पाने का हकदार होगा।][1]

स्थानीय यात्राओं के लिये माइलेज

30-स्थानीय यात्राओं के संबंध में भी माइलेज नियम-29 में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार देय होगा।

आनुषंगिक व्यय के भुगतान के लिये शर्तें

[31-नियम-29 में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन रेल या सड़क से की गयी यात्राओं के लिये आनुषंगिक व्यय का भुगतान निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन होगा, अर्थात् :-

(क) दो स्थानों के बीच की यात्रा के लिये आनुषंगिक व्यय की गणना उपलब्ध निकटतम मार्ग के आधार पर की जाएगी;

(ख) आनुषंगिक व्यय की गणना करते समय, किलोमीटर के भिन्नांश को किसी यात्रा के बिल के योग से छोड़ दिया जायगा किन्तु बिल की विभिन्न मदों से नहीं;

1-अधिसूचना संख्या-827/सं0-1-2015-52 सं0-2013, दिनांक 06 अगस्त, 2015 द्वारा बढ़ाया गया।

(ग) निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से, यथास्थिति, लखनऊ या उपवेशन के स्थान तक और वापसी के निमित्त किसी भी यात्रा के लिये आनुषंगिक व्यय की धनराशि उस धनराशि से अधिक नहीं होगी जिसके लिये सदस्य हकदार होता, यदि उसके द्वारा यात्रा निवास स्थान से यथास्थिति, लखनऊ या उपवेशन के स्थान तक और वापसी के लिये की गयी होती।] [1]

---

[1]-अधिसूचना संख्या 1755 सं0/17-1-85-149-84, दिनांक 15 जुलाई, 1985 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय-छः

यात्रा भत्ता बिल

32-(1) प्रत्येक सदस्य, जो किसी यात्रा भत्ता का हकदार हो, अपनी यात्रा का ब्यौरा प्रपत्र-''छ'' में प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करेगा। प्रमुख सचिव तब सदस्य द्वारा, प्रपत्र-''छ'' में दिये गये ब्यौरों के आधार पर प्रपत्र-''ज'' में यात्रा भत्ता बिल तैयार करायेगा और प्रपत्र ''छ'' को बिल के साथ अनिवार्यतः संलग्न किया जायगा। यात्रा भत्ता के बिल का नकद भुगतान

(2) तत्पश्चात् प्रमुख सचिव बिल की जांच करेगा और यदि वह ठीक हो तो उस पर अपने प्रति-हस्ताक्षर करके उसे सम्बद्ध सदस्य को भेज देगा जो प्राप्तिकर्ता उन्मोचन पर हस्ताक्षर करने और आवश्यक टिकट लगाने के पश्चात् उसे भुनाने के लिये अपने जिले के कोषागार में प्रस्तुत करेगा। यदि सदस्य अपना बिल किसी उप कोषागार में भुनाना चाहे तो वह जिले के कोषागार अधिकारी के साथ यह व्यवस्था कर सकता है कि वह सम्बद्ध उप कोषागार अधिकारी को आवश्यक प्राधिकार दे दे।

(3) यात्रा भत्ता के बिल का भुगतान जिला कोषागार, लखनऊ में भी नियंत्रक अधिकारी से बिल पर ऐसे कोषागार का नाम-निर्दिष्ट करा कर लिया जा सकता है।

33-यदि कोई सदस्य अपने बिल का भुगतान नकदी में कराना चाहे तो वह ऐसे किसी बिल को प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बद्ध कोषागार अधिकारी के पास अपने हस्ताक्षर का नमूना तीन प्रतियों में भेजेगा। भुगतान करते समय, कोषागार अधिकारी, बिल के हस्ताक्षर के नमूने के हस्ताक्षर मिलान करने से सम्बन्धित नियमों का सावधानी से पालन करेगा। यात्रा भत्ता के बिल का नकद भुगतान

34-(1) कोई सदस्य, जो उपवेशन के स्थान पर अपना यात्रा भत्ता अग्रिम लेना चाहें, उपवेशन के स्थान पर पहुंचने के पश्चात् यथाशीघ्र प्रपत्र ''झ'' भरेगा जिसमें वह अपनी वहां तक आने की यात्रा और आशयित वापसी यात्रा का और उपवेशन के स्थान पर जितने दिनों तक ठहर चुका है, उसका विवरण देगा। प्रमुख सचिव एक बिल तैयार करायेगा जिसमें प्रपत्र ''झ'' में सदस्य द्वारा की गई प्रविष्टियों के आधार पर वहां तक आने की यात्रा के लिये यात्रा भत्ता उन दिनों का दैनिक भत्ता जितने दिन सदस्य ठहर चुका हो और अग्रिम यात्रा भत्ता

वापसी यात्रा के लिये अग्रिम यात्रा भत्ता दिया होगा और प्रपत्र "झ" को बिल के साथ संलग्न किया जायेगा। प्रमुख सचिव, बिल की जांच करेगा और यदि वह ठीक हो तो अपना प्रतिहस्ताक्षर करने के पश्चात् उसे सम्बद्ध सदस्य को भेज देगा जो प्राप्तिकर्ता उन्मोचन पर हस्ताक्षर करने और आवश्यक टिकट लगाने के पश्चात् भुनाने के लिये उसे प्रमुख सचिव के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

(2) सदस्य को प्रपत्र "ञ" की एक प्रति भी दी जायेगी जिसमें वह अपने निवास स्थान पर पहुंचने पर यात्रा का ब्योरा भरेगा और तब उसे प्रमुख सचिव को वापस कर देगा। तदुपरान्त प्रमुख सचिव पूरी यात्रा के लिये समेकित बिल तैयार करायेगा।

(3) अधिक भुगतान का, यदि कोई हो, समायोजन अगले यात्रा भत्ता बिल या ऐसे सदस्य से संबंधित इस नियमावली के अध्याय दो में निर्दिष्ट किसी अन्य बिल से किया जायेगा।

यात्रा भत्ता बिल तैयार करने की प्रक्रिया

35-बिल में प्रविष्टियां पूर्ण से होंगी और यात्राओं के दिनांक (नियम-34 के अधीन यात्रा भत्ता की मांग की जाने की दशा में वापसी यात्रा को छोड़कर) विनिर्दिष्ट किये जायेंगे और मांगी गई कुल धनराशि अंकों में और शब्दों में लिखी जायेगी। बिलों में लेख का मिटाना और उनके ऊपर फिर से लिखना निषिद्ध है और यदि कोई शुद्धियां आवश्यक हों तो अशुद्ध प्रविष्टि को लाल रोशनाई से काट दिया जायेगा और शुद्ध प्रविष्टि को पंक्तियों के बीच लिखा और उसे सम्यक् रूप से लघु हस्ताक्षरित किया जायगा।

स्थगित और रद्द की गई बैठकों के लिये यात्रा भत्ता

36-(1) कोई सदस्य, जो बैठक के स्थगन या निरसन की जानकारी न होने के कारण किसी बैठक के स्थान को जाता है, इस नियमावली के अनुसार यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा बशर्ते ऐसा सदस्य यह प्रमाणित करे कि उसे निवास-स्थान छोड़ने के पूर्व बैठक के स्थगन या निरसन की सूचना नहीं प्राप्त हुई थी।

(2) कोई सदस्य, जो बैठक के स्थान को जाय, किन्तु गणपूर्ति के अभाव में या अन्यथा स्थगित किये जाने के परिणामस्वरूप बैठक में उपस्थित न हों, इस नियमावली के अनुसार यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा।

अध्याय-सात

टेलीफोन-सुविधा

[37-इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नाम-निर्दिष्ट सदस्य से भिन्न, सभा का प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि के लिये एस0टी0डी0, इण्टरनेट और थ्री जी की सुविधा के साथ निम्नलिखित का हकदार होगा :-

(एक) राज्य सरकार की लागत पर निम्नलिखित प्रत्येक स्थानों पर एक टेलीफोन लगाये जाने अर्थात् :-

(क) लखनऊ नगर में अपने सामान्य निवास स्थान पर, और

(ख) लखनऊ नगर के बाहर राज्य में अपने सामान्य निवास स्थान पर या अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर, और

(दो) राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित मोबाइल फोन का एक सिम कार्ड ।][1]

[38-इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन सभा का प्रत्येक नाम-निर्दिष्ट सदस्य और परिषद् का प्रत्येक सदस्य एस0टी0डी0, इण्टरनेट और थ्री जी की सुविधा के साथ निम्नलिखित का हकदार होगा :-

(एक) राज्य सरकार की लागत पर निम्नलिखित प्रत्येक स्थान पर एक-एक टेलीफोन लगाये जाने अर्थात् :-

(क) लखनऊ नगर में अपने सामान्य निवास स्थान पर, और

(ख) लखनऊ नगर के बाहर राज्य में अपने सामान्य निवास स्थान पर या अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी अन्य स्थान पर, और

(दो) राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित मोबाइल फोन का एक सिम कार्ड :

परन्तु जहां ऐसे सदस्य का सामान्य निवास लखनऊ नगर में हो और लखनऊ नगर के बाहर राज्य में सामान्य निवास न हो, वहां ऐसे सदस्य खण्ड (ख) में निर्दिष्ट टेलीफोन लखनऊ नगर में उसी तरह अपने सामान्य निवास पर लगाये जाने का हकदार होगा जो अधिनियम की धारा-16 के अधीन दिये गये आवास से भिन्न हो ।][1]

---

[1]-अधिसूचना संख्या : 229/90-सं-1-2012-77सं-2005, दिनांक 10 अप्रैल,2012 द्वारा

कतिपय मामलों में टेलीफोन अनुमन्य न होगा

38-क-नियम-37 या नियम-38 में किसी बात के होते हुये भी यदि किसी सदस्य को किसी सार्वजनिक उपक्रम, निकाय या प्राधिकरण में या किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन में उसके द्वारा धृत किसी पद के आधार पर मोबाइल फोन का सिम कार्ड उपलब्ध कराया गया है या उक्त नियम-37 या 38 में निर्दिष्ट किसी स्थान पर टेलीफोन कनेक्शन दिया गया है तो वह इस नियमावली के अधीन मोबाइल फोन के सिम कार्ड अथवा ऐसे स्थान पर टेलीफोन कनेक्शन का हकदार नहीं होगा।][1]

टेलीफोन के लिये आवेदन-पत्र

[39-(1) नियम-37 या नियम-38 में विनिर्दिष्ट सुविधा का उपभोग करने का इच्छुक प्रत्येक सदस्य प्रमुख सचिव को प्रपत्र "ट" में आवेदन-पत्र देगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, प्रमुख सचिव सिम कार्ड जारी करेगा और आवश्यक धनराशि टेलीफोन विभाग के पास जमा करायेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि टेलीफोन, इस नियमावली के अनुसार, यथाशीघ्र लगाये जायें।][1]

40-इस अध्याय के अधीन प्रत्येक टेलीफोन निम्नलिखित शर्तों के अधीन लगाया जायगा, अर्थात्-

(क) नियम-37 या नियम-38 में निर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर टेलीफोन उस भू-गृहादि में लगाया जायगा, जहां सदस्य सामान्यतया निवास करता हो और जो या तो उसके स्वामित्व में हो या उसकी किरायेदारी में हो या जो उसे राज्य सरकार द्वारा प्रदिष्ट किया गया हो या जो अन्यथा उसके अनन्य रूप से कब्जे में हो। कोई टेलीफोन किसी सदस्य के मित्र या सम्बन्धी के किसी भू-गृहादि में नहीं लगाया जायेगा, जब तक कि ऐसा भू-गृहादि अनन्य रूप से ऐसे सदस्य के कब्जे में न हो।

स्पष्टीकरण-इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, किसी भू-गृहादि को किसी सदस्य के अनन्य रूप से कब्जे में समझा जायगा, यदि वह उसके या, यथास्थिति उसकी पत्नी या उसके पति के या ऐसे सदस्य के पुत्र या पुत्री के अध्यासन में या तो अनन्य रूप से या एक दूसरे के साथ संयुक्त रूप से हो।

1-अधिसूचना संख्या-1666/सत्रह सं0-1-2006-77 सं0/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) कोई भी टेलीफोन किसी भू-गृहादि में नहीं लगाया जायगा जिसका उपभोग किसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के प्रयोजन के लिये किया जाता हो।

(ग) कोई भी टेलीफोन तब तक नहीं लगाया जायेगा जब तक कि वह स्थान जहां ऐसा टेलीफोन लगाया जाना अभीष्ट है किसी वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज के सामान्य प्रभार वाले प्रवर्तन क्षेत्र के भीतर स्थित न हो।

[(घ) x x x][3]

[(ङ) सदस्य एस0टी0डी0, इण्टरनेट और थ्री जी की सुविधा के साथ निम्नलिखित के हकदार होंगे :-

(एक) अपने निर्वाचन क्षेत्र और लखनऊ आवासों पर लगे टेलीफोन और-

(दो) मोबाइल फोन इस शर्त के साथ कि राज्य सरकार टेलीफोन और मोबाइल बिलों का छः हजार रुपये प्रतिमास के अनधिक की धनराशि का भुगतान करेगी और छः हजार रुपये से अधिक धनराशि सम्बन्धित सदस्य के वेतन/अन्य देयों से काट ली जायेगी :

परन्तु किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या प्रान्तीय दल, जिसकी सदस्य संख्या का विधान मण्डल के सदस्यों की कुल संख्या अन्यून 3 प्रतिशत हो, के किसी विधान मण्डल दल का नेता अपने लखनऊ आवास पर निःशुल्क स्थानीय टेलीफोन काल का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण :-शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि सदस्य इस खण्ड में उल्लिखित धनराशि की सीमा के भीतर दो टेलीफोन एवं एक मोबाइल फोन की सभी सुविधाओं का या किसी सुविधा का प्रयोग कर सकता है।][4]

(च) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, राज्य सरकार टेलीफोन लगाये जाने के प्रारम्भिक व्यय, और खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट मोबाइल बिल सहित बिलों के संदाय की दायी होगी।

(छ) जहां सदस्य की ओर से कोई व्यतिक्रम किये जाने के कारण टेलीफोन या मोबाइल काटा गया हो, वहां काटे गये टेलीफोन या मोबाइल के पुनः संयोजन का समस्त व्यय और, जहां सदस्य के अनुरोध पर टेलीफोन का स्थान परिवर्तन किया गया हो, वहां स्थान परिवर्तन का समस्त व्यय सम्बद्ध सदस्य द्वारा वहन किया जायेगा।

1-अधिसूचना संख्या-2541/सत्रह सं0-1-91-72 सं0/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना सं0-1568/79सं0-1-2007-77सं-2005, दिनांक 22 अगस्त, 2007 द्वारा क्रमशः हटाया एवं जोड़ा गया।

3-अधिसूचना सं0-1457/90-सं0-1-2010-77सं-2005, दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 द्वारा निकाला एवं संशोधित।

4-अधिसूचना संख्या : 229/90-सं-2012-77सं-2005, दिनांक 10 अप्रैल,2012 द्वारा संशोधित।

स्पष्टीकरण :-पद ''टेलीफोन का स्थान परिवर्तन'' में चाहे किसी भी कारण से एक स्थान पर टेलीफोन का बन्द किया जाना और दूसरे स्थान पर उसे या किसी नये टेलीफोन का लगाया जाना सम्मिलित है।

(ज) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाय या वह अन्यथा सदस्य न रह जाय तो प्रमुख सचिव, यथास्थिति, ऐसे सदस्य की मृत्यु होने या सदस्यता समाप्त होने से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिये मोबाइल फोन के उपयोग या टेलीफोन उसी स्थान पर लगे रहने की अनुज्ञा दे सकता है, बशर्ते, यथास्थिति, ऐसे सदस्य के विधिक प्रतिनिधि या सदस्य स्वयं उक्त अवधि के लिये उसके समस्त प्रभार का, जिसके अन्तर्गत ऐसे मोबाइल या टेलीफोनों पर देय समस्त बकाया भी है, भुगतान करने की जिम्मेदारी लें।][1]

[झ][1] जब कोई व्यक्ति सदस्य न रह जाये, तब वह और उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उसके विधिक प्रतिनिधि टेलीफोन यंत्र और उसके सभी अन्य उपकरणों को प्रमुख सचिव या टेलीफोन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी को वापस करने और उसकी रसीद प्राप्त करने के लिये बाध्य होंगे, ऐसा न करने पर, यथास्थिति, वह या वे उसकी लागत का भुगतान करने के लिये बाध्य होंगे।

[ञ][1] सदस्य उसे दिये गये टेलीफोन और उपकरणों के उचित रख-रखाव के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। वह ऐसे टेलीफोन या उसके उपकरणों में हुई किसी हानि या क्षति के लिये भी उत्तरदायी होगा।

[ट][1] इस अध्याय में किसी बात के होते हुये भी कोई सदस्य एक ही भू-गृहादि में इस अध्याय के अधीन दो टेलीफोन लगाये जाने का हकदार नहीं होगा।

[ठ][1] कोई सदस्य इस अध्याय के अधीन लगाये गये किसी टेलीफोन के सम्बन्ध में किसी अतिरिक्त लाभ का हकदार न होगा जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के वित्तीय दायित्व में वृद्धि हो जाय।

---

[1]-अधिसूचना संख्या-1666/सत्रह सं0-1-2006-77 सं0/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित एवं पुनः संख्यांकित।

41-(1) इस अध्याय के अनुसार लगाया गया प्रत्येक टेलीफोन प्रमुख सचिव के नाम से होगा। टेलीफोन प्रमुख सचिव के नाम से होगा

[(2) इस अध्याय के अनुसार लगाये गये टेलीफोन के सम्बन्ध में टेलीफोन विभाग से प्राप्त सभी बिल और मोबाइल कम्पनियों से प्राप्त बिल प्रमुख सचिव को प्रस्तुत किये जायेंगे जो बिल का भुगतान उसके लिये विनिर्दिष्ट समय के भीतर करेगा और सदस्य द्वारा देय धनराशि को इस नियमावली के अनुसार उससे वसूल करने के लिये कार्यवाही करेगा।][1]

42-(1) जहां कोई सदस्य मोबाइल फोन का व्यक्तिगत सिम कार्ड रखता है अथवा उसने नियम-37 या 38 में विनिर्दिष्ट स्थानों पर निजी टेलीफोन लगा रखा है और ऐसा सदस्य नियम-39 के अनुसार किसी नये मोबाइल के सिम कार्ड और टेलीफोन के लिये आवेदन नहीं करता है, वहां वह ऐसे मोबाइल और निजी टेलीफोन के सम्बन्ध में अपने द्वारा भुगतान किये गये मोबाइल और टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति पाने की मांग करने का हकदार होगा। निजी टेलीफोन रखने वाले सदस्यों को टेलीफोन सुविधा

(2) जहां किसी सदस्य का नियम-37 या नियम-38 में विनिर्दिष्ट दो स्थानों में से किसी एक स्थान पर निजी टेलीफोन हो, और ऐसा सदस्य ऐसे स्थानों में से अवशिष्ट स्थान पर नियम-37 से 41 के उपबन्धों के अनुसार केवल एक टेलीफोन लगाने के लिये आवेदन करता है, वहां वह ऐसे निजी टेलीफोन के सम्बन्ध में अपने द्वारा भुगतान किये गये टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति की मांग करने का हकदार होगा।

(3) इस नियम के अधीन किसी सदस्य को किसी मोबाइल और टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति तब तक नहीं की जायगी जब तक कि उसने प्रमुख सचिव को प्रपत्र "ठ" में अपेक्षित ब्योरा और मोबाइल कम्पनी और टेलीफोन विभाग को उसका भुगतान किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो।

---

[1]-अधिसूचना संख्या-1666/सत्रह सं0-1-2006-77 सं0/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित एवं पुनः संख्यांकित।

(4) किसी सदस्य को केवल उसकी सदस्यता की अवधि के लिये मोबाइल और टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति की जायगी।

(5) जहां किसी सदस्य को नियम-37 से 41 के अनुसार मोबाइल फोन के सिम कार्ड या किसी टेलीफोन की व्यवस्था की गयी हो और ऐसा सदस्य बाद में अपना निजी सिम कार्ड ले लेता है या नियम-37 या नियम-38 में उल्लिखित किसी भी स्थान पर टेलीफोन लगा लेता है, वहां प्रमुख सचिव ऐसे निजी सिम कार्ड और टेलीफोन के सम्बन्ध में, उस दिनांक से जब पूर्ववर्ती सिम कार्ड बन्द हो या स्थान परिवर्तन के अधीन टेलीफोन बन्द हो और ऐसा सदस्य प्रपत्र ''ठ'' में अपेक्षित ब्योरा प्रस्तुत करे, मोबाइल फोन के बिल या टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति कर सकता है।

स्पष्टीकरण-एक-इस नियम के प्रयोजनार्थ किसी निजी टेलीफोन के सम्बन्ध में, पद ''टेलीफोन प्रभार'' का तात्पर्य टेलीफोन विभाग द्वारा भेजे गये बिलों की धनराशि से है।

स्पष्टीकरण-दो-इस नियम के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे सदस्य के सम्बन्ध में, जिसके नाम से व्यक्तिगत सिम कार्ड या निजी टेलीफोन नहीं है पद ''व्यक्तिगत सिम कार्ड'' या ''निजी टेलीफोन'' का तात्पर्य सदस्य के, यथास्थिति, पति या पत्नी के नाम से सिम कार्ड या लगे हुये टेलीफोन से है।][1]

अध्याय-आठ

भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन

पेंशन के लिए आवेदन-पत्र

43-(1) अधिनियम के अध्याय आठ के अधीन पेंशन का हकदार प्रत्येक व्यक्ति प्रमुख सचिव को प्रपत्र ''ड'' में, दो प्रतियों में, आवेदन-पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी या सदन के किसी वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार के अपनी तीन नवीनतम फोटो और नमूने के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य रहा हो, वहां वह उप नियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र उस सदन के, जिसका वह अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि के लिए सदस्य रहा हो, प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करेगा।

1-अधिसूचना संख्या-1666/सत्रह सं0-1-2006-77 सं0/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित एवं पुनः संख्याकित।

(3) जहां अधिनियम के अध्याय आठ के अधीन किसी पेंशन का हकदार व्यक्ति :-

(क) पागल हो, वहां ऐसे पागल व्यक्ति की सम्पदा का प्रबन्ध करने के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के उपबन्धों के अधीन नियुक्त व्यक्ति द्वारा उप नियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्रपत्र "ढ" में प्रस्तुत किया जायगा ;

(ख) प्रपत्र "ड" में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व मृत हो, वहां भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधीन उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या महा-प्रशासक अधिनियम, 1963 के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा उप नियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्रपत्र "ढ" में प्रस्तुत किया जायगा।

(4) उप नियम (1) या उप नियम (3) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, प्रमुख सचिव उसमें उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन उपलब्ध अभिलेखों से करेगा।

पारिवारिक पेंशन

[43-क (1) अधिनियम की धारा-26-क की उपधारा (1) के अधीन पारिवारिक पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति, प्रमुख सचिव, को प्रपत्र 'थ' में, दो प्रतियों में आवेदन-पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी या राज्य विधान मण्डल के किसी वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार के अपनी तीन नवीनतम फोटो और नमूने के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा।

(2) अधिनियम की धारा-26-क की उपधारा (2) के अधीन पारिवारिक पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति, प्रमुख सचिव को प्रपत्र-द में दो प्रतियों में आवेदन-पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी या राज्य विधान मण्डल के किसी वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार के अपनी तीन नवीनतम फोटो और नमूने के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा।

(3) धारा-26-क की उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट पारिवारिक पेंशन पर नियम-43 से 47 तथा अधिनियम/नियमावली के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। जहां किसी दिवंगत सदस्य या पूर्व सदस्य के प्रति कोई सरकारी देय बकाया होने की सूचना दी जाय तो प्रमुख सचिव द्वारा पारिवारिक पेंशन से ऐसे देय की कटौती की जायेगी।

नये प्रपत्र थ और द का बढ़ाया जाना

6-उक्त नियमावली में, प्रपत्र "त" के बाद निम्नलिखित प्रपत्रों को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

प्रपत्र-थ

पारिवारिक पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

भाग-एक

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-26-क(1) देखिये]

(वर्तमान सदस्य के पति या पत्नी द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये।)

प्रेषक,

श्री/श्रीमती ....

....

....

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद्,
विधान भवन, लखनऊ।

विषय :-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करना है कि मेरी पत्नी/पति श्रीमती/श्री .... की मृत्यु दिनांक ....को हो गई है। वह दिनांक .... से दिनांक........................... तक और दिनांक ....से दिनांक .... तक कुल ...... वर्षों तक जिला .... निर्वाचन क्षेत्र .... से उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् के/की सदस्य रहे थे/रही थी। (समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न की जाय)।

2-यह अनुरोध है कि कृपया मुझे अधिनियम की धारा 26-क (1) के अधीन पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के लिये कार्यवाही की जाय। मैं अपनी पेंशन .... स्थित सरकारी कोषागार से लेना चाहता/चाहती हूं।

3-मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या राज्य विधान मण्डल के वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूं।

(एक) अपने हस्ताक्षर का तीन नमूना।

(दो) पासपोर्ट आकार में नवीनतम फोटो की तीन प्रतियां।

4-(1) मेरा वर्तमान पता .... है।

(2) मेरा स्थाई पता .... है।

5-(एक) मेरा जन्म का दिनांक ईस्वी सन् के अनुसार .... है।

(दो) लम्बाई ....

(तीन) पहचान चिन्ह ....

(चार) अंगूठा और उंगलियों का चिन्ह ....

अंगूठा तर्जनी **मध्यमा** अनामिका **कनिष्ठिका**

6-पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में मेरी मृत्यु पर मेरे जीवित रहने की समयावधि की देय पेंशन के बकाया के भुगतान के लिये मैं श्री/श्रीमती .... (सम्बन्ध) को नाम-निर्दिष्ट करता हूं।

7-मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं किः-

(एक) वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य नहीं हूं।

(दो) मैं न तो उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य रहा हूं और न ही मैं किसी पूर्व सदस्य के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहा हूं।

भवदीय,

(   )

नाम-.......................

स्थान- ....

दिनांक- ....

भाग-दो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... दिनांक .... से दिनांक .... तक और दिनांक .... से दिनांक .... तक उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् के सदस्य रहे/रही।

प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद्

भाग-तीन

<u>लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान सभा</u>
<u>लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्</u>

श्री/श्रीमती .... को दिनांक .... से .... रुपये (......................... रुपये) मात्र प्रतिमास की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है।

स्वीकृत प्राधिकारी,
पदनाम।

प्रपत्र-द

पारिवारिक पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

भाग-एक

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-26-क(2) देखिये]

(पूर्व सदस्य के पति या पत्नी द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये।)

प्रेषक,

श्री/श्रीमती ....

....

....

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद्,

विधान भवन, लखनऊ।

विषय :-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करना है कि मेरी पत्नी/पति श्रीमती/श्री .... की मृत्यु दिनांक .... को हो गई है। वह दिनांक .... से दिनांक ....तकऔर दिनांक .... से दिनांक .... तक कुल .... वर्षों तक जिला .... निर्वाचन क्षेत्र .... से उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् के/की सदस्य रहे थे/रही थी। और मृत्यु के समय वह पेंशन भुगतान आदेश संख्या .... दिनांक .... के अधीन जिला कोषागार .... से .... रुपये (........... रुपये) प्रतिमास की पेंशन ले रही थी/ले रहे थे। (समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र और पेंशन भुगतान आदेश की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न की जाय)।

2-यह अनुरोध है कि कृपया मुझे अधिनियम की धारा-26-क (2) के अधीन पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाय। मैं अपनी पेंशन .... स्थित सरकारी कोषागार से लेना चाहता/चाहती हूं।

3-मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या राज्य विधान मण्डल के वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूं।

(एक) अपने हस्ताक्षर का तीन नमूना।

(दो) पासपोर्ट आकार में नवीनतम फोटो की तीन प्रतियां।

4-(1) मेरा वर्तमान पता .... है।

(2) मेरा स्थाई पता .... है।

5-(एक) मेरा जन्म का दिनांक ईस्वी सन् के अनुसार .... है।

(दो) लम्बाई ....

(तीन) पहचान चिन्ह ....

(चार) अंगूठा और उंगलियों का चिन्ह ....

अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

6-पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के पूर्व मेरी मृत्यु होने की स्थिति में और मेरी मृत्यु पर मेरे जीवित रहने की समयावधि की देय पेंशन के बकाया के भुगतान के लिये मैं श्री/श्रीमती .... (सम्बन्ध) को नाम-निर्दिष्ट करता हूं।

7-मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि:-

(एक) वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य नहीं हूं।

(दो) मैं न तो उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य रहा/रही हूं और न ही मैं किसी पदेन सदस्य के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहा/रही हूं।

भवदीय,

( )

नाम-

स्थान-

दिनांक-

भाग-दो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....दिनांक............ से दिनांक .... तक और दिनांक .... से दिनांक .... तक उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य रहे/रही और .... रुपये (....... रुपये) मात्र प्रतिमाह पेंशन पा रहे थे/रही थी।

प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद्

भाग-तीन

लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान सभा
लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

श्री/श्रीमती .... को दिनांक .... से .... रुपये (......................... रुपये) मात्र प्रतिमास की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है।

स्वीकृत प्राधिकारी,
पदनाम।][1]

पेंशन का स्वीकृत किया जाना

[44-यदि आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्य सही पाये जायं, और आवेदन-पत्र अन्यथा त्रुटिपूर्ण न हों तो प्रमुख सचिव, यथास्थिति, प्रपत्र "ड" या "ढ" के भाग दो में प्रमाण-पत्र देगा और ऐसे प्रपत्र के भाग तीन को भरकर आवेदक को पेंशन स्वीकृत करेगा। तत्पश्चात् पत्रादि, यथास्थिति, विधान सभा सचिवालय या विधान परिषद् सचिवालय के मुख्य लेखा अधिकारी/[वित्त नियंत्रक][2] को भेज दिये जायेंगे जो अपना

1-अधिसूचना संख्या-1457/90-सं0-1-2010-77 सं0/2005, दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना संख्या-1666/सत्रह सं0-1-2006-77 सं0/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित एवं पुनः संख्यांकित।

यह समाधान करने पर कि पेंशन की धनराशि ठीक-ठीक स्वीकृत की गयी है, पेंशन का भुगतान आदेश/प्राधिकार-पत्र जारी करेगा।][1]

कोषागार से भुगतान

45-(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे नियम-44 के अधीन पेंशन स्वीकृत किया जाय, प्रपत्र "ड" या "ढ" में उल्लिखित कोषागार से उसे पाने का हकदार होगा।

(2) कोषागार से पेंशन पाने वाला पेंशन भोगी या नियम-43 के उप नियम (3) में उल्लिखित व्यक्ति कोषागार अधिकारी को, जब कभी वह अपने पेंशन के भुगतान की मांग करें, प्रपत्र "ण" में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा और ऐसा न करने पर कोई भुगतान नहीं किया जायगा।

[(3) नियम 50 में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन किसी मांग का, जिसे उसके देय होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, भुगतान, यथास्थिति, विधान सभा सचिवालय या विधान परिषद् सचिवालय के मुख्य लेखा अधिकारी/[वित्त नियंत्रक][2] पूर्व स्वीकृत के बिना नहीं किया जायेगा।] [1]

पेंशन देय होना

46-इस नियमावली के अधीन स्वीकृत पेंशन उस मास की, जिससे वह सम्बन्धित हो, समाप्त पर ही भुगातन के लिए देय होगा।

[46-क-जहां अधिनियम के अध्याय-आठ के अधीन पेंशन के हकदार व्यक्ति की, जिसे प्रपत्र-ड में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् पेंशन स्वीकृत की गयी हो, मृत्यु हो जाती है वहां उसका नाम-निर्देशिती, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के दिनांक को उसे देय पेंशन की धनराशि के भुगतान के लिये, सम्बन्धित कोषागार अधिकारी को आवेदन करेगा और कोषागार अधिकारी आवेदक के पहचान के सम्बन्ध में स्वयं का समाधान कर लेने के पश्चात् देय पायी गयी धनराशि का उसे भुगतान करेगा।][3]

1-अधिसूचना संख्या-15/17-सं0-1-90-67 सं0-89, दिनांक 10 जनवरी, 1990 द्वारा संशोधित।

2-अधिसूचना संख्या-1666/सत्रह सं0-1-2006-77 सं0/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित एवं पुनः संख्यांकित।

3-अधिसूचना संख्या-2541/17-1-91-72-सं/87, दिनांक 27 नवम्बर, 1991 द्वारा बढ़ाया गया।

[47-(1) यदि पेंशन स्वीकृत किये जाने का आदेश संसूचित किये जाने के पश्चात् प्रमुख सचिव की जानकारी में ऐसा कोई तथ्य लाया जाय जिसका पेंशन की स्वीकृति या पहले से स्वीकृत पेंशन की धनराशि पर प्रभाव पड़ता हो तो वह, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, तो सम्यक् सत्यापन करने के पश्चात् नियम-44 के अधीन दिये गये आदेश को रद्द करने या उपान्तरित करने का आदेश जारी करेगा। सम्बन्धित मुख्य लेखा अधिकारी/[वित्त नियंत्रक][1] तत्पश्चात् पेंशन भुगतान आदेश/प्राधिकार-पत्र वापस मांग लेगा और उसे उक्त आदेश के अनुसार रद्द या उपान्तरित कर देगा। पेंशन आदेश का रद्द या उपान्तरित किया जाना

(2) उप नियम (1) के अधीन पेंशन रद्द या कम किये जाने के परिणामस्वरूप पेंशन भोगी द्वारा प्राप्त अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, किसी भावी भुगतान से समायोजन द्वारा वसूल की जा सकेगी और वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जा सकती है।][1]

अध्याय-नौ

प्रकीर्ण

48-(1) यदि कोई सदस्य यह चाहता है कि इन नियमों के अधीन उसकी मांग का भुगतान चेक द्वारा किया जाय तो प्रमुख सचिव सुसंगत बिल की जांच और प्रतिहस्ताक्षर करने के पश्चात् परिशिष्ट-दो में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। चेक द्वारा भुगतान

(2) प्रमुख सचिव, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से इन नियमों के अधीन समस्त दावों के भुगतान हेतु चेक प्रणाली लागू कर सकेंगे।

1-अधिसूचना संख्या-15/सत्रह सं0-1-90-67 सं0/89, दिनांक 10 जनवरी, 1990 द्वारा संशोधित।

प्रत्यायोजन

49-प्रमुख सचिव इस नियमावली के अधीन अपनी समस्त या कोई भी शक्ति सदन के सचिवालय के लेखा अधिकारी को या अनु सचिव के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

एक वर्ष से अधिक की मांग के लिए पूर्व स्वीकृति

[50-(1) इस नियमावली के अधीन ऐसी किसी मांग का, जिसे उसके देय होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो या प्रस्तुत कर दिया गया हो, किन्तु एक वर्ष के भीतर भुगतान न किया गया हो, भुगतान यथास्थिति, सभा या परिषद् सचिवालय में नियुक्त उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के ज्येष्ठतम् अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निमित्त राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगा।][1]

मृत सदस्यों को देय मांग

[51-पूर्ववर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इस नियमावली के अधीन किसी मृत सदस्य के देय किसी दावे का भुगतान मृत सदस्य की सम्पदा के दावेदार को सामान्य विधिक प्राधिकार प्रस्तुत किये बिना निम्नलिखित स्थिति में किया जा सकता है :-

(क) जहां दावा की गयी सकल धनराशि पांच हजार रुपये से अधिक न हो, वहां प्रमुख सचिव के आदेश से, यदि उस जिले का, जिसमें मृत सदस्य का अपना सामान्य निवास स्थान हो, कलेक्टर यह प्रमाण-पत्र दे कि दावेदार ऐसा भुगतान पाने के लिये समुचित व्यक्ति है ;

(ख) जहां दावा की गयी सकल धनराशि पांच हजार रुपये से अधिक हो, वहां प्रमुख सचिव के आदेश से ऐसे प्रतिभू सहित जैसी प्रमुख सचिव अपेक्षा करे, प्रपत्र "त" में क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र के निष्पादन पर ;

1-अधिसूचना संख्या-3019/सत्रह-सं0-1-2000-148 सं0/2001, दिनांक 15 दिसम्बर, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित।

[परन्तु प्रमुख सचिव उप खण्ड (क) में विहित शर्त के अधीन रहते हुए, सामान्य विधिक प्राधिकार जारी होने तक पांच हजार रुपये से अनाधिक धनराशि का अनन्तिम रूप से भुगतान कर सकता है।][1]

[टिप्पणी :-(1) सामान्यतया दो प्रतिभू होंगे, जो दोनों ही आर्थिक रूप से ज्ञात सुदृढ़ स्थिति के होंगे, जब तक कि दावे की सकल धनराशि सात हजार पांच सौ रुपये से कम होने की दशा में राज्यपाल के लिये और उनकी ओर से प्रपत्र "त" में क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र स्वीकार करने वाला प्राधिकारी प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर यह विनिश्चय करेगा कि क्या दो के स्थान पर केवल एक प्रतिभू स्वीकार किया जाय।

(2) बाध्यताधारी और क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र का निष्पादन करने वाले प्रतिभू-व्यस्क होने चाहिये जिससे कि बन्ध-पत्र का विधिक प्रभाव और बल हो सके। बन्ध-पत्र संविधान के अनुच्छेद 299 (1) के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राज्यपाल की ओर से स्वीकार किये जाने की भी अपेक्षा की जाती है।

(3) किसी सन्देह की स्थिति में, भुगतान केवल विधिक प्राधिकार प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को किया जायगा।][2]

52-(1) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) की नियमावली, 1976, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को टेलीफोन सुविधा) नियमावली, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को रेल कूपन) नियमावली, 1981 एतद्द्वारा निरसित की जाती है। निरसन और अपवाद

(2) किसी ऐसे निरसन के होते हुए भी, उप नियम (1) में निर्दिष्ट नियमावलियों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य होगी और सदैव से विधिमान्य समझी जायगी।

1-अधिसूचना संख्या-2541/17-1-91-72-सं0/87, दिनांक 27 नवम्बर, 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना संख्या-453सं0/17-1-85-231/83, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा प्रतिस्थापित।

परिशिष्ट-एक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को रेल कूपन जारी करने से सम्बन्धित नियम

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 देखिए।]

पैरा-1 रेल कूपनों के लिए मांग-रेल कूपनों के लिये प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् द्वारा जनरल मैनेजर, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली से मांग की जायेगी।

[पैरा-2-रेल कूपन की आपूर्ति-ऐसी मांग की जाने पर, उक्त रेलवे प्रशासन, रेल कूपनों की पुस्तिकायें भेजेगा जिनका प्रयोग उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी भी भारतीय रेल से किसी भी श्रेणी में यात्रा करने के लिए किया जा सकेगा और आवश्यक धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार के नाम डालेगा।

पैरा 3-प्रमाण-पत्र का प्रपत्र-प्रत्येक कूपन पुस्तिका में प्रमुख सचिव द्वारा दिया गया निम्नलिखित प्रमाण-पत्र होगा :-

"मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी -------- उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् के/की सदस्य हैं और इनके द्वारा नियमानुसार उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर यात्रा करने के लिये रेल कूपनों के बदले टिकट जारी किये जा सकते हैं।"

प्रमुख सचिव,
विधान सभा/परिषद् (मुहर)

पैरा 4-रेल कूपन-रेल कूपन पुस्तिकाओं के रूप में उपलब्ध होंगे। प्रत्येक कूपन पुस्तिका में ऐसे अभिधान के, जैसा रेलवे बोर्ड से परामर्श करके समय-समय पर विनिश्चित किया जाय, धन मूल्य के कूपन होंगे।][1]

1-अधिसूचना संख्या-336सं/सत्रह-1-87-78-सं0-86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 द्वारा संशोधित।

पैरा-5-प्रत्येक कूपन, क्रमानुसार पुस्तिका संख्या और कूपन संख्या से संख्याकित किया जायगा।

पैरा-6-उपलब्धता-कूपन पुस्तिका केवल उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के उस सदस्य के ही प्रयोग के लिये उपलब्ध होगी जिसका नाम कूपन पुस्तिका पर विनिर्दिष्ट किया जायगा। सम्बद्ध सदस्य को पुस्तिका देने से पहले प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् उसका नाम लिख देगा।

[पैरा-7--उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा वचन देना-पुस्तिका का प्रयोग करने वाला सदस्य निम्नलिखित रूप से वचन देगा जो प्रत्येक कूपन पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर मुद्रित किया जायगा :-

"मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी ------------------------- एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उसके अधीन बनायी गई नियमावली के अधीन मुझे अनुमन्य कूपनों का प्रयोग मेरे द्वारा उक्त अधिनियम या नियमावली के अनुसार उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर की गयी यात्राओं के लिये किया जायेगा।

"सदस्य के हस्ताक्षर" ।][1]

पैरा-8-सदस्य को पुस्तिका देने के पूर्व, प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् द्वारा उक्त वचन सदस्य से लिखा लिया जायगा।

पैरा-9-कूपन पुस्तिका की उपलब्धता :-कूपन पुस्तिका की उपलब्धता की अवधि किसी वर्ष में पहली जून से उसके ठीक पश्चात् पड़ने वाले वर्ष में 31 मई तक होगी और वह उक्त अवधि में पहली जून या किसी अनुवर्ती दिनांक से जारी की जा सकती है।

पैरा-10-कूपन और कूपन पुस्तिकायें अन्तरणीय नहीं होगी :-इस नियमावली के अधीन जारी की गयी कूपन पुस्तिकायें और उसमें दिये गये कूपन अन्तरणीय नहीं होंगे और उनका प्रयोग केवल उस सदस्य द्वारा जिसके पक्ष में वे जारी किये जायं, यात्राओं के लिए ही किया जायगा। यदि सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् का सदस्य न रह जाय तो कूपन पुस्तिका प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् को लौटा दी जायगी।

---

[1] -अधिसूचना संख्या 336सं/सत्रह-1-87-78-सं0-86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 द्वारा संशोधित।

पैरा-11-कूपन से टिकट खरीदने की रीति :-यात्रा करने वाला सदस्य कूपन पुस्तिका से कोई कूपन पृथक किये बिना उसे बुकिंग क्लर्क को प्रस्तुत करेगा। खुले हुए कूपन अर्थात पुस्तिका से पृथक किये गये कूपन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

पैरा-12-बुकिंग क्लर्क स्वयं पुस्तिका से उतने कूपनों को निकाल लेगा जितने यात्रा के लिये आवश्यक हों। प्रतिरूपण को बचाने के लिये बुकिंग क्लर्क पुस्तिकाधारी से उसका परिचय-पत्र दिखाने के लिये कह सकता है और कूपन पुस्तक के हस्ताक्षर से उसके हस्ताक्षर का मिलान करने के लिए उसे एक कागज पर अपना हस्ताक्षर करने को कह सकता है। बुकिंग क्लर्क द्वारा कूपन पुस्तिका से आवश्यकता से अधिक कूपन पृथक कर दिये जाने की स्थिति में बुकिंग क्लर्क कूपनों के पृष्ठ पर एक उचित अभियुक्ति "गलती से पृथक कर दिया गया" लिख देगा और ऐसे खुले हुए कूपन, जब वे टिकट देने के लिए प्रस्तुत किया जाय, स्वीकार कर लिये जायेंगे, बशर्ते :

(क) जिस कूपन-पुस्तिका से कूपन पृथक किये गये हों, उसे प्रस्तुत किया जाय ; और

(ख) कूपन पुस्तिका की उपलब्धता की अवधि समाप्त न हुई हो।

[पैरा-13-कूपनों के बदले में बुकिंग क्लर्क ऐसी श्रेणी में जैसी अपेक्षा की जाय, (द्वितीय श्रेणी स्लीपर) कम्पार्टमेन्ट के एक तरफ की यात्रा वापसी यात्रा का टिकट, जैसी अपेक्षा की जाय, उस पर मुद्रित किराये को काट देगा और टिकट के दूसरे तरफ लाल रोशनाई से "केवल सदस्यों के लिए रेल कूपन" इंगित करने वाले शब्द लिख देगा।] [1]

पैरा-14-यदि एक ही सदस्य के पक्ष में जारी की गयी दो विभिन्न पुस्तिकाओं से रेल कूपन टिकट देने के लिए प्रस्तुत किये जायें तो उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए।

---

[1]-अधिसूचना संख्या 336सं/सत्रह-1-87-78-सं0-86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 द्वारा संशोधित।

पैरा-15-सदस्य की पहचान-कोई भी सदस्य पूर्ववर्ती पैरा के अधीन दिये गये टिकट से यात्रा करते समय अपने पास अपना परिचय-पत्र रखेगा जिसमें प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित उसकी फोटो होगी और रेल प्राधिकारियों द्वारा मांगने पर उसे प्रस्तुत करेगा।

पैरा-16-रेल कूपनों पर दिये गये टिकटों की उपलब्धता-टिकटों की दिनांक और उपलब्धता की अवधि वही होगी जो साधारण टिकटों के लिए होती है।

पैरा-17-तीर्थ यात्रा और सीमाकर-उन स्थानों से और उन स्थानों तक, जहां पर तीर्थ यात्रा या सीमा-कर लगाया जाता हो, यात्रा के लिए रेल कूपनों के बदले में टिकट देते समय, कूपन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से तीर्थ यात्रा या सीमा-कर नकद लिया जायगा। इस प्रकार वसूली गयी कर की धनराशि टिकटों के मुख भाग पर दर्ज की जायगी।

[पैरा-18-उच्चतर श्रेणी में यात्रा और आरक्षण शुल्क-कूपनों के बदले प्राप्त टिकटों को रेलवे स्टैंडिंग रूल्स के अनुसार किसी उच्चतर श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकता है और इन कूपनों का प्रयोग दो श्रेणियों के बीच के किराये के अन्तर का भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है। कूपनों का प्रयोग सीट और बर्थ के आरक्षण के शुल्क का भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है।][1]

पैरा-19-सामान-साधारण टिकट के अनुसार सामान को निःशुल्क ले जाने की अनुमति दी जायगी। निःशुल्क सामान के अतिरिक्त सामान पर समान दर से शुल्क लिया जायगा और धनराशि नकद में ली जायगी।

पैरा-20-बिना बदले गये कूपन-जो सदस्य बिना बदले गये कूपनों पर यात्रा करते हुए पाये जायेंगे, उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला समझा जायगा और वे विहित शास्तियों के भागी होंगे। ऐसे मामलों में किराया और अतिरिक्त प्रभार का भुगतान नकद किया जायगा।

[पैरा-21-कूपनों का प्रयोग-रेल कूपनों का प्रयोग किसी बुकिंग आफिस में यात्री टिकट, आरक्षण शुल्क, उच्चतर श्रेणी में यात्रा के लिये किराये में अन्तर, सुपर फास्ट गाड़ियों में अनुपूरक शुल्क और शयन-स्थान के लिए स्लीपर शुल्क के लिए बदलने के प्रयोजनों के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायगा। कूपनों को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य शुल्क, अर्थात् सामान शुल्क आदि का भुगतान करने के लिए, जो अधिनियम और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अनुज्ञेय नहीं है, स्वीकार नहीं किया जायगा।][1]

---

[1]-अधिसूचना संख्या 336सं/सत्रह-1-87-78-सं0-86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित।

पैरा-22-कूपन का अधिहरण-रेल प्रशासन जिसने कूपन पुस्तिका जारी किया हो; इस प्रमाण पर उसका अधिहरण कर सकता है कि जिन शर्तों पर वह जारी किया गया था, उसका पालन नहीं किया गया है। ऐसा करने के पूर्व उसे इस मामले को प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् को निर्दिष्ट करना चाहिये और इस प्रकार अधिहरण करने के लिये उसकी स्वीकृति लेनी चाहिये। इस प्रकार अधिहरण किये जाने पर, कूपन पुस्तिका का मूल्य प्रमुख सचिव को वापस कर दिया जायेगा या उसे भविष्य में दिये जाने वाले कूपनों के प्रति समायोजित किया जा सकता है।

पैरा-23-धनराशि की वापसी-अप्रयुक्त कूपनों पर किसी भी धनराशि को वापस करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि अप्रयुक्त कूपनों को रेल शासन को उनकी उपलब्धता की अवधि के भीतर लौटा न दिया जाय।

पैरा-24-अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर कूपनों के बदले में दिये गये अप्रयुक्त या अंशतः प्रयुक्त टिकटों पर धनराशि की वापसी नहीं की जायेगी।

परिशिष्ट दो

चेक द्वारा मांगों के भुगतान की प्रक्रिया

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम 48 देखिये]

(1) प्रमुख सचिव, चेक बुक सीधे कोषागार अधिकारी, लखनऊ से या यदि बैठक का स्थान लखनऊ के अलावा कहीं और हो तो जहां बैठक हो, उस जिले के मुख्यालय के कोषागार अधिकारी से फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-पांच, भाग एक के नियम 54 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त करेगा।

(2) चेक, प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर से उन सदस्यों को जारी किये जायेंगे जो चेक द्वारा भुगतान लेना चाहें। सभी चेक सम्बद्ध सदस्यों को दिये जायेंगे और आदिष्ट (आर्डर) चेक होंगे। वाहक (वेयरर) चेक किसी भी स्थिति में जारी नहीं किया जायेगा।

(3) चेक की धनराशि, यथास्थिति, उस कोषागार से जहां से चेक-बुक प्राप्त की गयी हो या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थानीय शाखा से देय होगी। सदस्य अपने बैंक द्वारा या अन्य प्रकार से चेक भुनाने के लिये अपना प्रबन्ध स्वयं करेगा।

(4) प्रमुख सचिव चेक के विषय में फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-पांच, भाग-एक, के अध्याय तीन के सेक्शन पांच में निर्धारित अनुदेशों का सावधानी से पालन करेगा।

प्रपत्र-क

राज्य/आयोजनेत्तर

विधान मण्डल के सदस्यों का वेतन और अन्य मांगों का बिल

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-4 देखिये]

विधान सभा/परिषद् के सदस्य का नाम-------------------

जिला-------------------

लेखा परीक्षा संख्या | आय व्ययक शीर्षक | वर्ष 200 के लिये भुगतान की सूची का बाउचर संख्या

	मासिक दर	धनराशि
	रुपया पैसा	रुपया पैसा

(1) ---------------------------- मास, 200 का अपना वेतन प्राप्त किया।

(2) ---------------------------- मास, 200 का अपना निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता प्राप्त किया।

(3) ---------------------------- मास, 200 का अपना आवास भत्ता, यदि कोई हो, प्राप्त किया।

(4)

(5)

सकल पावना

घटाइये-निम्नलिखित कटौतियां-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 के नियम-6 के अधीन

(2) ----------------------------------

(3) ----------------------------------

कुल कटौतियां

शुद्ध देय धनराशि

(क) (कुल धनराशि शब्दों में) --------------------

(ख) शुद्ध धनराशि सदस्य द्वारा अपने हाथ से लिखी जायेगी।

कृपया ----------------------- को भुगतान करें।

दिनांक -----, 200 हस्ताक्षर-----सदस्य के हस्ताक्षर------

रु0 शब्दों में रुपये के लिये

पारित नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर

*राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री -------------- सदस्य, विधान सभा/परिषद् को लखनऊ में किसी निःशुल्क आवास की व्यवस्था नहीं की गयी है।

या

*राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री ------------- सदस्य, विधान सभा/परिषद् ----------- रुपये प्रतिमास के आवास भत्ते के हकदार हैं।

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर --------------

*(जो लागू न हो उसे काट दिया जाय)

निदेश

1-वेतन बिल उस माह के, जिसके लिये वेतन अर्जित किया गया हो, अन्तिम कार्य दिवस से दो दिन पूर्व किसी जिला कोषागार में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

2-यदि कोई सदस्य चाहे कि वेतन बिल का भुगतान किसी बैंकर या अभिकर्ता (एजेन्ट) को किया जाय तो बिल पर बैंकर या अभिकर्ता का नाम अंकित किया जा सकता है और तब उसे भुगतान के लिये

ऐसे बैंकर या अभिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जायगा। इससे सदस्य के लिये स्वयं या संदेशवाहक द्वारा उपस्थित होने की अवश्यकता न रह जायगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में भुगतान सीधे बैंकर या अभिकर्ता को किया जा सकेगा।

3-सरकार पर संदेशवाहक को दी गयी धनराशि या चेक या बिल के सम्बन्ध में किसी कपट या दुर्विनियोग के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(क) कोषागारों में भुगतान होने की स्थिति में

-------------- रुपये

का भुगतान करें।

परीक्षा और प्रविष्टि की गई

दिनांक, 200 लेखाकार कोषागार अधिकारी

(ख) बैंक में भुगतान होने की स्थिति में

सेवा में,

एजेन्ट, स्टेट बैंक आफ इण्डिया --------------------

कृपया ------------- रुपये (---------) का भुगतान करें।

कोषागार

दिनांक ------------, 200 कोषागार अधिकारी

प्राप्तिकर्ता का बैंक के प्रति उन्मोचन

भुगतान प्राप्त हुआ

नाम --------------

पद ---------------

महालेखाकार के कार्यालय में प्रयोग के लिये

---------------------------- रुपये के लिये स्वीकृत

---------------- रुपये पर आपत्ति

लेखा परीक्षक

अधीक्षक

प्रपत्र-ख

अनुपस्थिति का प्रमाण-पत्र

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-6 देखिये]

सदस्य का नाम ---------------- सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद्

जिला -------------------

उस बैठक का प्रकार जिससे अनुपस्थित रहा ---------------

अनुपस्थिति का दिनांक -------

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों के सम्बन्ध में उपस्थित रहने की जो अपेक्षा की गयी थी, उसमें मैं-

(क) अपनी बीमारी, या

(ख) अपने परिवार में गम्भीर बीमारी या शोक, या

(ग) अपने घर पर धार्मिक अनुष्ठान, या

(घ) भारत में या भारत के बाहर राज्य सरकार या भारत सरकार की ओर से किसी कर्तव्य के पालन, या

(ङ) निवारक निरोध से संबंधित विधि के अधीन निरुद्ध रहने के कारण अनुपस्थित रहा। अनुरोध है कि उपर्युक्त दिनों के लिये मेरे वेतन से कटौती न की जाय।

(हस्ताक्षर) --------------

(दिनांक) --------------

प्रपत्र-ग

सहवर्ती द्वारा की गई यात्रा का विवरण-पत्र

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-11 देखिये]

1-सदस्य का नाम -------------- सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद्

2-सहवर्ती का नाम और पूरा पता -------------------------------

3-यात्रा प्रारम्भ करने का दिनांक ------------------------------------

4-रेलवे स्टेशन, जहां से यात्रा प्रारम्भ हुई ----------------------------------

5-रेलवे स्टेशन, जहां यात्रा समाप्त हुई --

6-रेलगाड़ी की संख्या और नाम जिससे यात्रा की गयी थी ----------------------

7-वापसी यात्रा के प्रारम्भ का दिनांक ---

8-रेलवे स्टेशन, जहां से वापसी यात्रा प्रारम्भ हुई ------------------------------

9-रेलवे स्टेशन, जहां वापसी यात्रा समाप्त हुई ---------------------------------

10-रेलगाड़ी का नाम और संख्या जिससे वापसी यात्रा की गयी थी ----------------

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त यात्रा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-7 के उपबन्धों के अनुसार की गयी है।

(हस्ताक्षर) --------------

(दिनांक) --------------

[प्रपत्र-घ][1]

[xxx xxx xxx]

प्रपत्र-ङ

नये कूपनों के लिये अनुरोध

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-14 देखिये]

सदस्य का नाम ---------------- सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद्

जिला -------------------

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने समस्त रेल कूपनों का, जो मुझे जारी किया गया था, उपयोग कर लिया है, सिवाय ----------- रुपये के मूल्य के कूपनों के, जिन्हें अप्रयुक्त कूपनों के रूप में मैंने वापस कर दिया है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने रद्द की गई यात्राओं के लिये समस्त टिकट रिफंड रसीद प्रमुख सचिव को प्रस्तुत कर दी है।

---

[1] -अधिसूचना संख्या 336 सं0/17-1-87 सं/86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 द्वारा निकाला गया।

कूपनों का ब्यौरा

(हस्ताक्षर) ---------------

(दिनांक) ---------------

प्रपत्र–च

सहवर्ती द्वारा बस से यात्रा का ब्यौरा

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम 21 देखिये]

सदस्य का नाम --------------------- सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद्

जिला --------------------

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ------------------आयु लगभग -------------वर्ष ---- निवासी ------------ को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-13(2) के अधीन अपने सहवर्ती के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस संख्या -------- द्वारा (स्थान) ------------- से --------------- (स्थान) तक ले जा रहा हूं।

बस पास की संख्या--------

(हस्ताक्षर)----------------

(दिनांक)----------------

प्रपत्र–छ

यात्रा भत्ता के लिये यात्रा का ब्यौरा

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-32(1) देखिये]

(1)सदस्य का नाम ----------- सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद्

(2) निवास स्थान -------------------------------------

(3) --------------- से प्रस्थान का दिनांक और समय

(4) ---------------- में आगमन का दिनांक और समय

(5) उपस्थिति का दिनांक --------------------------------

(6) ----------------- से प्रस्थान का दिनांक और समय ---------

(7) ----------------- में आगमन का दिनांक और समय ---------

(8) क्या यात्रा सड़क से की गयी, यदि हां, तो कैसे -----------------

(9) सड़क से की गयी यात्रा की दूरी -------------------------

(10) यदि यात्रा सड़क से की गयी तो वाहन का प्रकार बतायें और यह भी बतायें कि वाहन निजी था या किराये का --------------

(एक) निवास-स्थान से स्टेशन तक -----------------

(दो) ---------------- स्टेशन से निवास स्थान -----------------तक

(11) क्या इन यात्राओं का यात्रा भत्ता या इस अवधि के लिये दैनिक भत्ता किसी अन्य शासकीय स्रोत से आहरित किया गया है ?

(12) यात्रा का प्रयोजन ---------------------------

(हस्ताक्षर)-----------------

(दिनांक)-----------------

प्रपत्र–ज

विधान मण्डल के सदस्यों का यात्रा भत्ता बिल

आयोजनेत्तर/राज्य

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-34 (1) देखिये]

विधान सभा/परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान मण्डल

101-विधान सभा/विधान परिषद्

04-यात्रा व्यय (मतदेय)

(यात्रा भत्ता का बिल बनाने के लिये अनुदेश)

1-विभिन्न प्रकार की यात्रा तथा यात्रायें और विराम एक ही पंक्ति में न लिखे जाने चाहिये।

2-किसी एक यात्रा के बिल के योग में आने वाले किलोमीटर के किसी अंश के लिए भत्ता नहीं लिया जाना चाहिए।

3-यदि यात्रा भत्ता के बिल में प्रथम मद विराम का हो तो इस विराम के आरम्भ का दिनांक अभ्युक्ति स्तम्भ में दिखलाया जाना चाहिए।

4-स्तम्भ-13 की प्रत्येक प्रविष्टि के साथ-साथ स्तम्भ-14 में भी तद्नुरूप प्रविष्टि होनी चाहिये।

5-यदि कोई व्यक्ति यह चाहे कि यात्रा भत्ता-बिल की धनराशि का भुगतान किसी बैंक या अभिकर्ता को किया जाय तो यात्रा भत्ता के बिल पर ऐसे बैंक या अभिकर्ता का नाम अंकित किया जा सकता है और तब उसे ऐसे बैंक या अभिकर्ता के द्वारा भुगतान पाने के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। इससे सरकारी सेवक के लिये स्वयं या अपने किसी सन्देशवाहक के द्वारा उपस्थित होने की आवश्यकता न रह जायगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में भुगतान सीधे बैंक या अभिकर्ता को किया जा सकेगा।

(यदि बिल पूर्व लेखा परीक्षण के लिए भेजा गया हो तो यहां पर पूर्व लेखा परीक्षण मुहर अंकित की जायेगी)

टिप्पणी-बिल बनाने में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होना चाहिये।

महालेखाकार के कार्यालय में प्रयुक्त किये जाने के लिये

लेखा शीर्षक जिसके लेखे से रुपया देय है।

-------------रुपये के लिए स्वीकृति

------------- रुपये के लिए आपत्ति की गई

आपत्ति के कारण ----------------------

ज्येष्ठ लेखाकार,

सरकारी आज्ञा

विधान सभा/परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

यात्रा भत्ता बिल

विधान मण्डल के सदस्यों के लिये

जिला ------------------------------ नाम------------------------------

पद नाम -------------------------- मास के लिये

मुख्यालय -------------------- वेतन रु0 8000.00

यात्राओं और विरामों का विवरण						यात्रा किस प्रकार की गई	रेल का किराया की गई यात्रा की		सड़क या ट्राली द्वारा									
						अर्थात् रेल (डाक या सवारी गाड़ी) स्टीमर, सड़क अथवा ट्राली से	---------- स्टीमर का किराया ---------- किरायों की श्रेणी संख्या		दूरी ---------- भत्ता की मांग की गई है जिसके लिये मील भत्ता देय है		दिनों की संख्या जिनके लिये दैनिक भत्ता की मांग की गई है जिसके लिये दैनिक भत्ता देय है		वास्तविक व्यय		विराम का प्रयोजन	यात्रा या अंतिम यात्रा का दिनांक	अभ्युक्ति	
प्रस्थान			आगमन				धनराशि								विवरण	धनराशि		
									साधारण दर से		अन्य दर से							
स्थान	दिनांक	समय	स्थान	दिनांक	समय													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

गाड़ी और स्टीमर का किराया (स्तम्भ 10) इस बिल की धनराशि प्राप्त हुई

रु0 पै0

सड़क द्वारा मील संख्या स्टाम्प

मील दर से (स्तम्भ 11)

मील दर से (स्तम्भ 12)

---------- दिन जिसके लिये दैनिक भत्ता मांगा गया है (स्तम्भ 14)

----------------------- यात्रा करने वाले सदस्य के हस्ताक्षर

कार्यालय ज्ञापन-पत्र

वास्तविक व्यय (स्तम्भ 16)

दिनांक --------- 200

योग –

घटाइये .... सरकार को देय किराया

(फाइनेंशियल हैण्डबुक, खण्ड तीन, विनियोग 19--19 के लिये रु0 पै0 पैरा 29)

व्यय जिसमें इस बिल का धन सम्मिलित है।

अन्य कटौतियां

शुद्ध अभ्यर्थन ---------- शेष ----------

रुपये अंकों और शब्दों में --

रुपये के लिये स्वीकृत -------------------

दिनांक ------------20 ------------------ नियंत्रक अधिकारी

(क) यदि कोषागार से भुगतान हो

रुपये का भुगतान कीजिये -------------------------

परीक्षित तथा प्रविष्ट किया गया---------------

दिनांक 20 लेखाकार कोषागार अधिकारी

(ख) यदि बैंक में भुगतान हो

अभिकर्ता, स्टेट बैंक आफ इण्डिया

कृपया --------------- रुपये का भुगतान कीजिये

( )

कोषागार कोषागार अधिकारी

दिनांक 20 प्राप्तकर्ता की ओर से बैंक की रसीद

भुगतान पाया

नाम ----------------------

पद -----------------------

टिप्पणी-यथास्थिति (क) या (ख) को काट दीजिये।

प्रपत्र-झ

अग्रिम यात्रा भत्ता के लिये अनुरोध

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-34(1) देखिये]

(1) सदस्य का नाम ----------------------------------

(2) निवास स्थान ------------------------------------

(3) ---------- से प्रस्थान का दिनांक और समय ----------

(4) ---------- में आगमन का दिनांक और समय ---------

(5) --------- से प्रस्थान का दिनांक और समय ----------

(6) मूल निवास स्थान से ---------- तक का रेल का एक ओर का प्रथम श्रेणी का किराया --------- रुपया

(7) यदि यात्रा सड़क से की गयी हो तो वाहन का प्रकार बतायें और यह भी बतायें कि वाहन निजी था या किराये का

(एक) निवास स्थान से स्टेशन तक -------------------------

(दो) ------------------------- स्टेशन से निवास स्थान तक

(8) यात्रा का प्रयोजन --

(9) बीच में कितनी अवधि के लिये ठहर चुके हैं -------------------------

(हस्ताक्षर) -------------

(दिनांक) --------------

प्रमाणित किया जाता है कि इस यात्रा/अवधि के लिये सदस्य के रूप में मांगा गया धन मैंने किसी अन्य शासकीय स्रोत से आहरित नहीं किया है और न करूंगा।

(हस्ताक्षर) -------------

(दिनांक) --------------

प्रपत्र-ञ

वापसी यात्रा के ब्यौरे

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-34(2) देखिये]

(निवास स्थान में आगमन के पश्चात् तुरन्त प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को लौटाया जायगा।)

प्रमाणित किया जाता है कि -

मैंने ------------------- तक वापसी यात्रा नीचे दिये गये विवरण के अनुसार की :

(1) ------------ से ------------ को प्रस्थान करने का समय और दिनांक

(2) आगमन का समय और दिनांक ----------------

(3) रेलगाड़ी का नाम और संख्या ------------------

(हस्ताक्षर) -------------------

(पता) -----------------------

(दिनांक) ---------------------

प्रपत्र-ट

टेलीफोन सुविधा के लिये आवेदन-पत्र

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-39(1) देखिये]

1-सदस्य का नाम --

2-निर्वाचन-क्षेत्र का नाम -------------------------------------

3-लखनऊ नगर में सामान्य निवास स्थान ---------------------------

4-लखनऊ नगर के बाहर सामान्य निवास स्थान ----------------------

5-स्थान जहां नये टेलीफोन लगाना अभीष्ट है :

(क) लखनऊ नगर में ------------------------------------

(ख) लखनऊ नगर के बाहर -----------------------------

6-(क) लखनऊ नगर स्थित उस भू-गृहादि का विवरण, जिसमें टेलीफोन लगाना अभीष्ट है ---

(ख) भू-गृहादि पर अध्यासन का प्रकार (क्या स्वामित्व या किरायेदारी में है, आवंटित है या अन्य प्रकार से अनन्य अध्यासन में है) ----------------

7-(क) लखनऊ नगर के बाहर स्थित उस भू-गृहादि का विवरण, जिसमें टेलीफोन लगाना अभीष्ट है

(ख) भू-गृहादि आ अध्यासन का प्रकार (क्या स्वामित्व या किरायेदारी में है, आवंटित या अन्य प्रकार से अनन्य अध्यासन में है)

8-निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज का नाम ---------------------------

(क) स्तम्भ संख्या 6 में उल्लिखित भू-गृहादि के विषय में --------------

(ख) स्तम्भ संख्या 7 में उल्लिखित भू-गृहादि के विषय में -------------

9-कोई अन्य सूचना जिसे सदस्य [देना] [1] चाहें -------------------------

मैं एतद्द्वारा-

(क) घोषणा करता हूं कि ऊपर निर्दिष्ट नियमावली के द्वारा या अधीन आरोपित निबन्धन और शर्तें मेरे लिये आबद्ध कर होंगी।

(ख) घोषणा करता हूं कि पैरा-6 और 7 में उल्लिखित [परिसर] [1] का उपयोग किसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के लिये नहीं किया जा रहा है।

(ग) सरकार को सभी अदत्त [मोबाइल और] [1] टेलीफोन बिल के भुगतान का बचन देता हूं।

(घ) मैं प्रमुख सचिव को ऐसी समस्त अदत्त धनराशि की, जिसे मैं उपर्युक्त नियमावली के अधीन या अनुसार भुगतान करने के लिये विधिक रूप से आबद्ध हूं अपने वेतन बिल और यात्रा बिल से कटौती करने का अधिकार देता हूं।

दिनांक

पूरा हस्ताक्षर

---

[1]-अधिसूचना संख्या-1666/सात-सं0-1-2006-77(सं0)/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा संशोधित।

प्रपत्र-ठ

टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन-पत्र

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-42(3) और (5) देखिये]

1-सदस्य का नाम --

2-निर्वाचन-क्षेत्र का नाम --

3-लखनऊ में पता --

4-लखनऊ नगर के बाहर सामान्य निवास स्थान -----------------------

5-क्या प्रपत्र-ट में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां तो कब -

6-क्या कोई नया टेलीफोन कनेक्शन अभीष्ट है ? -----------------------

7-यदि स्तम्भ-6 का उत्तर हां में हो, तो उस स्थान और भू-गृहादि का विवरण दीजिये जहां टेलीफोन कनेक्शन लगाना अभीष्ट हो ---------------------

8-भू-गृहादि पर अध्यासन का प्रकार (क्या स्वामित्व या किरोयदारी में है, आवंटित है या अन्य प्रकार से अनन्य अध्यासन में है) ----------------

9-निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज का नाम -----------------------------

10-(क) क्या सदस्य के पास इस आवेदन-पत्र के दिनांक के पूर्व से कोई टेलीफोन है ----------

(ख) यदि ऐसा है तो उस स्थान और [परिसर][1] का विवरण दीजिये जहां टेलीफोन लगा है--- -----------------------------------

(ग) टेलीफोन संख्या जिसके संबंध में टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति [चाही] [1]है;

[(घ) क्या सदस्य के पास मोबाइल फोन का सिमकार्ड है जिसके सम्बन्ध में प्रभारों की प्रतिपूर्ति चाही गयी है। यदि ऐसा है तो उसका विवरण दीजिए ।][1]

11-कोई अन्य सूचना जिसे सदस्य [देना।][1] चाहें ---------------------------

मैं एतद्द्वारा-

(क) घोषणा करता हूं कि ऊपर निर्दिष्ट नियमावली के द्वारा या अधीन आरोपित निबन्धन और शर्तें मेरे लिये आबद्ध कर होंगी।

---

[1]-अधिसूचना संख्या-1666/सात-सं0-1-2006-77(सं0)/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा संशोधित।

(ख) घोषणा करता हूं कि पैरा [पैरा-7 और 8][1] में उल्लिखित [परिसर][1] का उपयोग किसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के लिये नहीं किया जा रहा है।

(ग) सरकार को सभी अदत्त [मोबाइल और][1] टेलीफोन बिल के भुगतान का वचन देता हूं।

(घ) मैं प्रमुख सचिव को ऐसी समस्त अदत्त धनराशि की, जिसे मैं उपर्युक्त नियमावली के अधीन या अनुसार भुगतान करने के लिये विधिक रूप से आबद्ध हूं अपने वेतन बिल और यात्रा बिल से कटौती करने का प्राधिकार देता हूं।

दिनांक पूरा हस्ताक्षर

---

[1]-अधिसूचना संख्या-1666/सात-सं0-1-2006-77(सं0)/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा संशोधित।

प्रपत्र-ड

पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

भाग-एक

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-24 देखिये]

(राज्य विधान मण्डल के भूतपूर्व सदस्य द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायगा।)

प्रेषक,

श्री/श्रीमती/कुमारी --

(उत्तर प्रदेश विधान सभा/उत्तर प्रदेश विधान परिषद्/यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली/यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल का भूतपूर्व सदस्य) (यहां पर उस सदन का उल्लेख कीजिये जिसके सदस्य सब से अन्त में रहे हो)

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश विधान सभा/
उत्तर प्रदेश विधान परिषद्,
विधान भवन,
लखनऊ।

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन पेंशन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त अधिनियम की धारा-24 के अर्थान्तर्गत मैं निम्नलिखित अवधि के लिये निम्नलिखित रूप में कार्य के संबंध में पेंशन का हकदार हूं-

[(1) यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली के, जिसने इस रूप में इण्डियन इन्डिपेन्डेन्स ऐक्ट, 1947 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् 26 जनवरी, 1950 तक कार्य किया था, सदस्य और तत्पश्चात् (1952 में हुए प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व) अस्थायी उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में --------------से ---------------- तक।

(2) यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल के, जिसने इस रूप में इण्डियन इन्डिपेन्डेन्स ऐक्ट, 1947 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् 26 जनवरी, 1950 तक कार्य किया था, सदस्य और तत्पश्चात् (1952 में हुए प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व) अस्थायी उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य के रूप में -------------- से --------------------तक।[1]

---

[1]-अधिसूचना संख्या-453/17-1-85-231-83, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा संशोधित।

(3) 1952 में हुए प्रथम सामान्य निर्वाचन के पश्चात् उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य के रूप में ---------------से---------------तक।

(4) 1952 में हुये प्रथम सामान्य निर्वाचन के पश्चात् उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य के रूप में ------------ से --------------- तक।

उपर्युक्त अवधि का कुल योग ------------- वर्ष --------------- मास और ------------ दिन ----------------

2-यह अनुरोध है कि मुझे पेंशन स्वीकार करने के लिये कार्यवाही की जाय। मैं अपनी पेंशन ------------ स्थित सरकारी कोषागार से लेना चाहता हूँ।

3-मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी/राज्य विधान मण्डल के वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ :-

(एक) हस्ताक्षर का तीन नमूना

(दो) पास पोर्ट आकार में नवीनतम फोटो की तीन प्रतियां।

4-(एक) मेरा वर्तमान पता -- है।

(दो) मेरा स्थायी पता -- है।

5-(एक) जन्म दिनांक ईस्वी (सन्) के अनुसार

(दो) लम्बाई

(तीन) पहचान चिन्ह

(चार) अंगूठा और उंगलियों के चिन्ह

अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

6-पेंशन स्वीकृत होने के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में मेरी मृत्यु पर मेरे जीवित रहने की समयावधि की देय पेंशन के बकाया के भुगतान के लिये मैं श्री/श्रीमती --------------------- को नाम-निर्दिष्ट करता/करती हूं।

7-मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि-

(एक) मैं राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के निर्वाचित पद या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक का पद धारण नहीं कर रहा हूँ ;

(दो) मैं संसद के किसी सदन या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् या उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य नहीं हूं ;

(तीन) मैं केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में किसी निगम या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर न तो नियोजित हूं और न ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हूं ;	या	मैं --------------- पद पर हूं या ------------------ का सदस्य हूं या ----------- के रूप में नियोजित हूं और मुझे कुल पारिश्रमिक -------- रुपये मिलता है (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय)।
(चार) मैं संविधान सभा, अस्थायी संसद या लोक सभा/राज्य सभा का सदस्य कभी नहीं था;	या	मैं संविधान सभा, अस्थायी संसद या लोक सभा/राज्य सभा का -------------- से --------------- तक सदस्य था;
(पांच) मुझे कोई पेंशन नहीं मिलती है, न मैंने उसके लिये आवेदन-पत्र दिया है, और न ही मैं संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन किसी पेंशन का हकदार हूं ;	या	संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन ------------- रुपये की पेंशन के लिये मैंने आवेदन-पत्र दिया है;
(छः) मुझे कोई सैनिक/सिविल पेंशन नहीं मिलती है;	या	मुझे --------- रुपये सैनिक/सिविल पेंशन---------- से मिलती है (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय;)
(सात) मुझे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से कोई पेंशन नहीं मिलती है;	या	मुझे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से ------------ रुपये की पेंशन मिलती है।

नाम-------------------------

स्थान-------------------------

दिनांक -----------------------

भवदीय,

( )

भाग-दो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ---------------------- से ---------------- तक और ------------से ---------------------------तक -------------- सभा/परिषद् के सदस्य रहे/रहीं।

प्रमुख सचिव,
विधान सभा/परिषद्

भाग-तीन

लेखा/संसदीय अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान सभा

लेखा/संसदीय अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

श्री/श्रीमती/कुमारी ---------------- को दिनांक ------------------- से ---------------------- रुपये (-------------- रुपये) मात्र प्रति मास की पेंशन स्वीकृत की जाती है।

हस्ताक्षर,
स्वीकृति अधिकारी।
पदनाम ----------------

प्रपत्र-ढ

पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

भाग-एक

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-24 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-43(3) देखिये]

(राज्य विधान मण्डल के पागल भूतपूर्व सदस्य की सम्पदा का प्रबन्ध करने वाले व्यक्ति या राज्य विधान मण्डल के भूतपूर्व सदस्य के उत्तराधिकारी द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायगा।)

प्रेषक,

श्री/श्रीमती/कुमारी ---------------------------------

(भूतपूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा/उत्तर प्रदेश विधान परिषद्/यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली/यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल की ओर से) (यहां पर उस सदन का उल्लेख कीजिये जिसमें सदस्य सबसे अन्त में रहे हों)

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश विधान सभा/उत्तर प्रदेश विधान परिषद्,

लखनऊ।

विषय :- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन पेंशन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त अधिनियम की धारा-24 के अर्थान्तर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी ------------------- निम्नलिखित अवधि के लिये निम्नलिखित रूप से कार्य करने के संबंध में पेंशन के/की हकदार थे/थी-

[(1) यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली के जिसने इस रूप में इण्डियन इन्डिपेन्डन्स ऐक्ट, 1947 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् 26 जनवरी, 1950 तक कार्य किया था, सदस्य और तत्पश्चात् (1952 में हुये प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व) अस्थाई उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में ----------- से --------------------- तक।

(2) यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल के जिसने इस रूप में इण्डियन इन्डिपेन्डन्स ऐक्ट, 1947 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् 26 जनवरी, 1950 तक कार्य किया था, सदस्य और तत्पश्चात्

(1952 में हुये प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व) अस्थाई उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य के रूप में ----------- से --------------------- तक।][1]

(3) 1952 में हुए प्रथम सामान्य निर्वाचन के पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के सदस्य के रूप में ------------------------------- से ---------------------------------- तक।

(4) 1952 में हुए प्रथम सामान्य निर्वाचन के पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद् के सदस्य के रूप में ---------------------------------- से ---------------------------------- तक।

---

[1] –अधिसूचना संख्या-453-सं0/17-1-85-231-83, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा संशोधित।

उपर्युक्त अवधि का कुल योग------------------------------------
वर्ष-----------------------मास और-------------दिन----------------

2-यह अनुरोध है कि मुझे पेंशन स्वीकार करने के लिये कार्यवाही की जाय। मैं उनकी पेंशन-------------स्थित सरकारी कोषागार से लेना चाहता/चाहती हूं।

3-मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी राज्य विधान मण्डल के वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूं।

(एक) अपने हस्ताक्षर का तीन नमूना।

(दो) पासपोर्ट आकार में अपने नवीनतम फोटो की तीन प्रतियां।

(तीन) श्री/श्रीमती/कुमारी ----------------------- की सम्पदा का प्रबन्ध करने के लिये मुझे नियुक्त करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र [(यदि इस नियमावली के अधीन अपेक्षित हो)][1]

4-(एक) मेरा वर्तमान पता ------------------------------------- है।

(दो) मेरा स्थायी पता --------------------------------------- है।

5-(एक) मेरा जन्म-दिनांक ईस्वी सन् के अनुसार ------------------ है।

(दो) लम्बाई -------------------------------------

(तीन) पहचान चिन्ह -----------------------------

(चार) अंगूठा और उंगलियों का चिन्ह -----------------------

अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

6-ईस्वी सन् के अनुसार भूतपूर्व सदस्य के जन्म का दिनांक ------------

7-मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी ----------

(एक) राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति का निर्वाचित पद या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक का पद इस समय धारण नहीं करते हैं/करती हैं, उस अवधि में जिसके लिये पेंशन मांगी जा रही है, धारण नहीं करते थे/करती थी;

---

[1] –अधिसूचना संख्या-453-सं0/17-1-85-231-83, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा बढ़ाया गया।

(तीन) केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में किसी निगम या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हैं/थे/थीं और न ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से किसी पारिश्रमिक के/की की अन्यथा हकदार हैं/थे/थी;	या	----------------------- पद पर हैं/थे/थी या ------------ के/की सदस्य हैं/थे/थी या ----------------------- के रूप में नियोजित थे/थी या ------------- में है और उसके द्वारा प्राप्त कुल मासिक पारिश्रमिक ------------ रुपये प्रतिमाह है/था (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय);
(चार) संविधान सभा/ अस्थायी संसद या लोक सभा/राज्य सभा के/की सदस्य कभी नहीं थे/थी;	या	संविधान सभा/अस्थायी संसद या लोक सभा/राज्य सभा के/की ----------------- तक सदस्य थे/थी ;
(पांच) न तो कोई पेंशन पाते/पाती हैं/थे/थी, न उन्होंने कोई आवेदन-पत्र दिया है/दिया था, और न संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन किसी पेंशन के/की हकदार है;	या	संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन ------------- रुपये पेंशन पाते/पाती है/थे/थी या उन्होंने उसके लिये आवेदन-पत्र दिया है/दिया था;
(छः) कोई सैनिक/सिविल पेंशन नहीं पाते/पाती हैं या थे/थी ;	या	सैनिक/सिविल पेंशन के रूप में जो --------------- आहरित किया जाता है/था/थी। रुपये पाते/पाती है/थे। (सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय) ।

(सात) स्वतंत्रता सेनानी के रूप में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से कोई पेंशन नहीं पाते/पाती हैं या/थे/थी ;	या	स्वतंत्रता सेनानी के रूप में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से ------------ रुपये की पेंशन पाते/पाती हैं/थे/थी ।

नाम---------------------------

स्थान---------------------------

दिनांक -------------------------

भवदीय,

( )

भाग-दो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ------------------- से -------------- तक और -----------------से ---------------------तक सभा/परिषद् के सदस्य रहे/रहीं।

प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद्

भाग-तीन

लेखा/संसदीय अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान सभा

लेखा/संसदीय अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

श्री/श्रीमती/कुमारी ------------- को दिनांक ---------------- से ---------- रुपये (------------- रुपये) मात्र प्रतिमास की पेंशन स्वीकृत की जाती है।

हस्ताक्षर,
स्वीकृति प्राधिकारी
पदनाम

प्रपत्र–ण

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-45(2) देखिये]

प्रमाण-पत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे आवेदन-पत्र में दिये गये या प्रमाणित किये गये तथ्यों में जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन मुझे पेंशन स्वीकृत की गयी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

पेंशनभोगी या सदस्य की सम्पदा का प्रबन्ध करने वाले

व्यक्ति के हस्ताक्षर

(दिनांक सहित)

टिप्पणी-यदि पेंशन के लिये अपने आवेदन-पत्र में पेंशन भोगी द्वारा दिये गये या प्रमाणित तथ्य में कोई परिवर्तन हो तो वह उसकी सूचना तुरन्त प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् को देगा।

[1][प्रपत्र–त]

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-51(ख) देखिये]

विधान सभा/परिषद् उत्तर प्रदेश के किसी मृत सदस्य को देय वेतन और भत्तों के बकाये या किसी अन्य दावे का या उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के किसी मृत भूतपूर्व सदस्य की पेंशन का आहरण करने के लिये क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र का प्रपत्र।

1-अधिसूचना संख्या 453-सं0/17-1-85-231-83, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा बढ़ाया गया।

यह सब को ज्ञात हो कि मैं, -------------- (क) श्री/श्रीमती ---------------
(ख) का/की/विधवा/पति/पुत्र/पुत्री (ख) निवासी -----------------------------
(ग) ------------------ (जिसे आगे बाध्यता धारी कहा गया है जिस शब्द के अन्तर्गत, जब तक कि सन्दर्भ से उसे अपवर्जित न किया गया हो या उसके प्रतिकूल न हो, उसका/उसकी दायाद, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी है) और मैं/हम (1) ---------------------- (घ) पुत्र श्री ------------------------
निवासी ------------------------- और (2) ------------------------
(ङ) ------------------- पुत्र श्री --------------------------------
निवासी -------------------- बाध्यताधारी की ओर से प्रतिभू (जिसे/जिन्हें आगे "प्रतिभू" कहा गया है जिस शब्द के अन्तर्गत, जब तक कि सन्दर्भ से उसे अपवर्जित न किया गया हो या उसके प्रतिकूल न हो, उसका/उसकी दायाद, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी है) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को (जिसे आगे "सरकार" कहा गया है जिस शब्द के अन्तर्गत जब तक कि उसे सन्दर्भ से अपवर्जित न किया गया हो या उसके प्रतिकूल न हो, उसके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) मांग करने पर, और बिना आपत्ति के -- रुपये
(च) (----------------------------- रुपये)
की धनराशि का संयुक्तता और पृथकता से भुगतान करने के लिये स्वयं को आबद्ध करता हूं/करते हैं। यह भुगतान पूर्णतः और सही रूप में करने के लिये हम अपने को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करते हैं।

दिनांक -------- मास ---------- वर्ष तद्नुरूप शक संवत् तिथि ------------
200 ---------------

चूंकि उपर्युक्त श्री/श्रीमती -------------- (ख) ------------------
जो अपनी मृत्यु के समय उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् के/की सदस्य थे/थी उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के भूतपूर्व सदस्य के रूप में -------------------------
रुपये की पेंशन प्राप्त कर रह थे/रही थी/प्राप्त करने के लिये हकदार थे/थीं;

और चूंकि उक्त श्री/श्रीमती ------------------------ (ख) की मृत्यु दिनांक ------------, 200 ----------- को हो गयी और उन्हें वेतन और भत्तों

के लिये या उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के भूतपूर्व सदस्य के रूप में अपने पेंशन के संबंध में/उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् के सदस्य के रूप में ----------- से संबंधित (जिसे विनिर्दिष्ट किया जायगा।) अपने दावे के लिये ---------------- रुपये (च) (---------------------------------- रुपये) की धनराशि देय है;

और चूंकि उपर्युक्त बद्ध बाध्यताधारी (क) अपने पति/पत्नी/पिता, उक्त श्री/श्रीमती --------- (ख) के दायाद के रूप में उक्त धनराशि का हकदार होने का दावा करते/करती हैं, किन्तु उसने श्री/श्रीमती -----------------------------

(ख) की सम्पत्ति और परिसम्पत्ति का प्रबन्धाधिकार पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है;

और चूंकि बाध्यताधारी ने सरकार का यह समाधान कर दिया है कि वह उपर्युक्त धनराशि का/की हकदार है और यह कि यदि उससे उक्त श्री/श्रीमती -------------------

(ख) की सम्पत्ति और परिसम्पत्ति का प्रबन्धाधिकार पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी तो इससे असम्यक् विलम्ब और कष्ट होगा ;

और चूंकि , सरकार बाध्यताधारी को उक्त धनराशि का भुगतान करना चाहती है किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों और आदेशों के अधीन बाध्यताधारी को उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने के पूर्व यह आवश्यक है कि उक्त श्री/श्रीमती ------------------- (ख) को इस प्रकार देय धनराशि के समस्त दावों के प्रति सरकार की क्षतिपूर्ति करने के लिये वह प्रथमतः एक प्रतिभू/दो प्रतिभू के साथ बन्ध-पत्र निष्पादित करें ;

अब इस बन्धक पत्र की शर्त यह है कि यदि बाध्यताधारी को भुगतान करने के पश्चात् बाध्यताधारी या प्रतिभू उपर्युक्त ------------------- रुपये (च) (------------- रुपये) की धनराशि के संबंध में सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये किसी दावे की दशा में, सरकार को ---------- रुपये (च) (------------------- रुपये) की धनराशि वापस करेंगे और अन्यथा भी उपर्युक्त धनराशि के संबंध में सरकार की क्षतिपूर्ति करेंगे और तत्संबंधी समस्त दायित्वों और उसके लिये किसी दावें के परिणामस्वरूप किये गये समस्त व्ययों की अपहानि से उसे

मुक्त रखेंगे। तदुपरान्त उपर्युक्त लिखित बन्ध-पत्र या बाध्यता शून्य हो जायेगी अन्यथा उक्त बन्ध-पत्र पूर्ण रूप से प्रवृत्त, प्रभावी और प्रभावोत्पादक रहेगा और एदत्द्वारा यह सम्मत है और घोषित किया जाता है कि किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् उत्तर प्रदेश के प्रमाण-पत्र पर जो अंतिम, निश्चायक और दावेदार और या प्रतिभू पर बन्धनकारी होगा, यहां इसके अधीन दिये गये समस्त देयों को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकेगी।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस पर ऊपर लिखित दिनांक और वर्ष को पक्षकारों ने अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ------------------------

*ऊपर नामित बाध्यताधारी ने :-

ऊपर नामित प्रतिभू ने :-

** (1) ------------------------ (पता) साक्षी (1)

------------------- (पता)

(प्रथम प्रतिभू) (2)

------------------- (पता)

*** (2) ------------------- (पता) की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किये।

(द्वितीय प्रतिभू)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

††---

† की उपस्थिति में --------------------------------------- द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिये और उनकी ओर से स्वीकार किया गया।

टिप्पणी :- (क) दावेदार का पूरा नाम

(ख) विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के मृत सदस्य का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के भूतपूर्व सदस्य के रूप में पेंशनभोगी का पूरा नाम

(ग) दावेदार के निवास-स्थान का पूरा पता

(घ) प्रथम प्रतिभू

(ङ) द्वितीय प्रतिभू

(च) दावे की धनराशि

---

* वाध्यताधारी का हस्ताक्षर

** प्रथम प्रतिभू का हस्ताक्षर

*** द्वितीय प्रतिभू का हस्ताक्षर

† संविधान के अनुच्छेद 299 के अनुसरण में राज्यपाल के लिये और उनकी ओर से बन्धपत्र स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम।

†† साक्षी का नाम और पदनाम।

टिप्पणी :- बाध्यताधारी और प्रतिभू को व्यस्क होना चाहिये जिससे बन्धक-पत्र का विधिक, भाव या बल हो।

इस बन्ध-पत्र पर समुचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिये।

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय अनुभाग-1

संख्या 3533सं/सत्रह-81-94-सं-81

लखनऊ, 11 सितम्बर, 1981

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980) की धारा [***][1] 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल को सुविधायें) नियमावली, 1981

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल को सुविधायें) नियमावली, 1981 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2-इस नियमावली में,-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 से है :

(ख) ''सदस्यों की उपलब्धियां नियमावली'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 से है :

(ग) अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित, किन्तु इस नियमावली में अपरिभाषित, समस्त अन्य शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उसके लिये दिये गये हैं।

अध्याय-दो

वेतन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

वेतन कब देय होगा

3-(1) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नेता विरोधी दल का वेतन अनुवर्ती मास के प्रथम दिन को देय हो जायगा और उसे उसी दिन या किसी भी पश्चात्वर्ती दिन को आहरित किया जा सकता है।

---

[1]-अधिसूचना संख्या 3817/17-सं-1-90-94 सं-81, दिनांक 12 सितम्बर, 1980 द्वारा निकाला गया।

(2) यदि नेता विरोधी दल का अभिज्ञान, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा वापस ले लिया जाय या तो नेता विरोधी दल का पद अन्यथा रिक्त हो जाय, तो उसका वेतन, ऐसी वापसी या रिक्ति के दिनांक के अगले दिन को देय हो जायेगा और उसे उसी दिन या किसी भी पश्चात्वर्ती दिन को आहरित किया जा सकता है।

4-(1) नेता विरोधी दल अपने वेतन बिल का आहरण अधिकारी होगा, और प्रमुख सचिव ऐसे बिल के संबंध में नियंत्रक अधिकारी होगा। आहरण अधिकारी

(2) नेता विरोधी दल उस जिले के जहां वेतन का भुगतान किया जाना अपेक्षित हो, कोषागार अधिकारी को ऐसे बिल का भुगतान किये जाने के पूर्व सत्यापन के प्रयोजनार्थ अपने हस्ताक्षर का नमूना भेजेगा।

5-जब कोई व्यक्ति त्याग-पत्र देने या मृत्यु के कारण या अन्यथा नेता विरोधी दल न रह जाय, तब प्रमुख सचिव महालेखाकार को उस दिनांक की, जिस दिनांक को ऐसा व्यक्ति नेता विरोधी दल न रह जाय, सूचना तत्काल देगा। महालेखाकार को सूचना

6-इस अध्याय के उपबन्ध, निर्वाचन क्षेत्र भत्ते की मांग के संबंध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे वेतन के संबंध में लागू होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

अध्याय-तीन

सवारी

[7 *** *** ***

8 *** *** ***

9 *** *** ***

10 *** *** ***

अध्याय-चार

वास्तविक व्यय

11 *** *** ***][1]

---

[1] –अधिसूचना संख्या 3817/17-सं-1-90-94 सं-81, दिनांक 12 सितम्बर, 1980 द्वारा निकाला गया।

अध्याय-पांच
टेलीफोन

12-(1) नेता विरोधी दल सदस्य के रूप में ''सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन नियमावली'' के नियम-37 या नियम-38 के अधीन जिस टेलीफोन के लिये हकदार है उसके अतिरिक्त राज्य सरकार के व्यय पर सचिवालय में अपने कार्यालय कक्ष में एक आन्तरिक और एक बाह्य टेलीफोन लगाये जाने का हकदार होगा।

(2) नेता विरोधी दल उप नियम (1) में निर्दिष्ट समस्त टेलीफोन से ट्रंक राज्य, सरकार के व्यय पर निःशुल्क स्थानीय काल और उसके अतिरिक्त ऐसे काल का, जो लोक हित में किये जायें, हकदार होगा।

अध्याय-छः
कर्मचारीगण

नेता विरोधी दल के लिये कर्मचारीगण

[13-प्रमुख सचिव नेता विरोधी दल के लिये निम्नलिखित कर्मचारीगण की व्यवस्था करेगा अर्थात्-

नेता विरोधी दल के लिये कर्मचारीगण
(क) एक निजी सचिव ;
(ख) एक जन सम्पर्क अधिकारी निःसंवर्गीय;
(ग) दो अपर निजी सचिव[3] ;
(घ) एक समीक्षा अधिकारी[3] ;
(ङ) एक सहायक समीक्षा अधिकारी[3] ;
(च) कार चालक[3] ;
(छ) वरिष्ठ अनुसेवक ;
(ज) दो अनुसेवक।][2]

[14- * *][1]

अध्याय-सात
प्रकीर्ण

प्रकीर्ण उपबन्ध

15-नेता विरोधी दल को ऐसी अन्य सुविधायें मिलती रहेंगी जिनके लिये वह ''सदस्यों की उपलब्धियां नियमावली'' के अधीन सदस्य के रूप में हकदार है और जिनके लिये इस नियमावली के अधीन कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है।

1-अधिसूचना संख्या 3817/17-सं-1-90-94सं-81, दिनांक 12 सितम्बर, 1980 द्वारा निकाला गया।

2-अधिसूचना संख्या 3164 सं0/17-1-82-94 सं-81, दिनांक 15 जुलाई, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

3-अधिष्ठापित अनुभाग की पत्रावली सं0-81 (अधि0)/80 के पृष्ठ-111 व 112 पर अंकित आदेशानुसार।

16-सदस्यों की उपलब्धियां नियमावली के नियम-48 और 49 के उपबन्ध और उक्त नियमावली के अधीन विहित प्रपत्र, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस नियमावली के उपबन्धों के संबंध में लागू होंगे। सदस्यों की उपलब्धियां नियमावली के नियम-48 और 49 का लागू होना

17-यदि इस नियमावली के किसी उपबन्ध के निर्वचन के बारे में कोई सन्देह या विवाद हो, तो उस मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। नियमावली का निर्वचन

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग-1

संख्या-1221सं/सत्रह-1-89-94-सं0/81

लखनऊ, 25 मार्च, 1989

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विधान सभा के नेता विरोधी दल को राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से कैबिनेट मंत्री का स्तर दिये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2-तद्नुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के नेता विरोधी दल के प्रति वही शिष्टाचार एवं सौजन्य बरता जायगा, जिसका उल्लेख शासन के प्रोटोकाल विभाग के शासनादेश संख्या 599/56-3 ख (1) 1-24-77, दिनांक 6 मार्च, 1979 में किया गया है।

आज्ञा से,

नारायण दास,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग-1

संख्या 637/सात-सं0-1-97-31-सं0-97

लखनऊ, 25 जून, 1997

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 17-क के साथ पठित धारा-30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राजयपाल उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1997

अध्याय-1

सामान्य

संक्षिप्त नाम 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1997 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं 2-इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 1980) से है;

(ख) "अग्रिम" का तात्पर्य इस नियमावली के अन्तर्गत दिये जाने वाले भवन निर्माण अग्रिम या यथास्थिति, वाहन अग्रिम से है;

[(ग) "भूतपूर्व सदस्य" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य रहा हो किन्तु इस नियमावली के अधीन अग्रिम के लिये कोई आवेदन-पत्र देने के पूर्व ऐसा सदस्य नहीं रह गया था;

(घ) "सदस्य" का तात्पर्य किसी आसीन सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसे इस नियमावली के अधीन प्रति संदेय अग्रिम स्वीकृत किया गया हो या स्वीकृत किया जाय ;

(ङ) "पेंशन" का तात्पर्य अधिनियम के अध्याय आठ के अधीन देय पेंशन से है;

(च) "आसीन सदस्य" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस नियमावली के अधीन अग्रिम के लिये कोई विधिमान्य आवेदन-पत्र देने के दिनांक को विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य हो।][1]

अग्रिम की अनुमन्यता

[3-(1) "किसी आसीन सदस्य को इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निवास-स्थान का निर्माण या क्रय करने के लिये या वाहन क्रय करने के लिये अधिनियम की धारा-17-क के अधीन प्रति संदेय अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।

परन्तु यह है कि यदि किसी ऐसे सदस्य को एक प्रयोजन के लिये स्वीकृत किया गया अग्रिम और उस पर देय ब्याज प्रतिसंदत्त कर दिया गया हो तो इस नियमावली के अधीन उस सदस्य को दूसरे प्रयोजन के लिये भी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है][2]

---

[1]-अधिसूचना संख्या-2713/सात-सं0-1-89-132(1)-सं0-80 (टी0सी0), दिनांक 7 सितम्बर, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]-अधिसूचना संख्या-1850/सत्रह-सं0-1-2000-42(सं0)-99, दिनांक 3 जून, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) किसी भूतपूर्व सदस्य को इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निवास-स्थान का निर्माण या क्रय करने के लिये अधिनियम की धारा-17-क के अधीन रहते प्रति संदेय अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि-

(क) वह उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक से छः मास के भीतर या उसके, यथास्थिति, सभा या परिषद् का सदस्य न रह जाने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, ऐसे अग्रिम के लिए आवेदन करें;

(ख) वह 60 वर्ष से अधिक आयु का न हो;

(ग) वह अधिनियम की धारा-24 के अधीन पेंशन का हकदार हो ;

परन्तु ऐसे किसी भूतपूर्व सदस्य को जिसने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989 के प्रारम्भ के पूर्व ऐसे अग्रिम के लिये आवेदन किया हो, उसकी आयु को दृष्टि में लाये बिना ऐसा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है और जहां ऐसा आवेदन-पत्र ऐसे प्रारम्भ के पूर्व अस्वीकार कर दिया गया हो, वहां पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी उचित समझी जाय, पुनः विचार किया जा सकता है।

[(3) यदि कोई सदस्य, जिसे इस नियमावली के अधीन अग्रिम स्वीकृत किया गया हो, स्वीकृति के दिनांक से तीन मास के भीतर अग्रिम की धनराशि और उसका ब्याज वापस कर देता है और फिर कारणों का उल्लेख करते हुये, अग्रिम स्वीकृत किये जाने के लिये पुनः आवेदन करता है तो प्रमुख सचिव [2][X X X] मामले के परिस्थितियों पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् उप नियम (1) और (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अग्रिम को पुनः स्वीकृत कर[2] सकता [X X X] है।][1]

---

[1]-अधिसूचना संख्या-1850/सत्रह-सं0-1-2000-42सं0-99, दिनांक 3 जून, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना संख्या-2713/सात-सं0-1-89-132(1)-सं0-85, दिनांक 7 सितम्बर, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित।

[(4) प्रमुख सचिव[3] [X X X] स्वविवेक से ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कोई सरकारी देय बकाया हो, इस नियमावली के अधीन अग्रिम के किसी आवेदन-पत्र को ग्रहण करने से इन्कार कर [X X X] सकता है[3]।][1]

अग्रिम के मंजूरी और आहरण एवं वितरण प्राधिकारी

(4) प्रमुख सचिव[3] अग्रिम स्वकृत करने के संबंध में [***][3] मंजूरी प्राधिकारी होंगे। अग्रिम की स्वीकृति के आवश्यक आदेश [***][2] यथास्थिति सभा/परिषद् सचिवालय[3] द्वारा जारी किये जायेंगे और स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण [***] उक्त सचिवालय द्वारा किया जायेगा।][1]

अध्याय-2

भवन निर्माण अग्रिम

भूखंड/भवन क्रय या भवन निर्माण हेतु स्वीकृति

5[(1)][3]-भवन निर्माण अग्रिम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अथवा प्रदेश के किसी विकास प्राधिकरणों से भूखण्ड क्रय तथा उस पर भवन निर्माण हेतु अथवा उक्त संस्थाओं द्वारा निर्मित भवन क्रय करने हेतु स्वीकृत किया जायेगा। अग्रिम स्वीकृत करने से पहले उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् या किसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड/भवन के आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित सदस्य से प्राप्त कर ली जायगी।

[(2) किसी सदस्य द्वारा अधिकार स्वरूप धृत भूमि पर निवास स्थान के निर्माण के लिये भी भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। सदस्य ऐसी भूमि पर अपने हक के संबंध में संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और यह [* * *][3] प्रमुख सचिव द्वारा सत्यापन किये जाने के अधीन होगा।][4]

1-अधिसूचना संख्या-1850/सत्रह-सं0-1-2000-42सं0-99, दिनांक 3 जून, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना संख्या-2713/सात-सं0-1-89-132(1)-सं0-85, दिनांक 7 सितम्बर, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित।

3-अधिसूचना संख्या-905/सोलह-सं-1-2003-99सं0/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

4-अधिसूचना संख्या-2197/सत्रह-सं-1-87-132(1)सं0(80), दिनांक 29 जुलाई, 1987 पुरःस्थापित तथा प्रतिस्थापित।

पंजीकरण धनराशि

6-भू-खण्ड/भवन क्रय करने के लिये नियम-5 में निर्दिष्ट संस्थाओं के यहां अपना नाम पंजीकरण कराने हेतु देय वांछित धनराशि सदस्यों को अपने निजी स्रोतों से वहन करनी होगी।

अग्रिम की अधिकतम धनराशि

7-किसी सदस्य को स्वीकृत किये जाने वाले भवन निर्माण अग्रिम की अधिकतम धनराशि रु0 2,00,000.00 (दो लाख रुपये) होगी।[2]

अग्रिम की किश्तें

8-भवन निर्माण अग्रिम दो किश्तों में स्वीकृत किया जायगा जिसकी प्रथम किश्त 1,20,000.00 रुपये (रुपया एक लाख बीस हजार मात्र)[1] से अनधिक अथवा भू-खण्ड का मूल्य एवं नींव भरने तक के कार्य को पूरा करने हेतु अपेक्षित धनराशि, इनमें से जो भी कम हो, होगी। शेष धनराशि सामान्यतया दूसरी किश्त में प्रथम किश्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में [* * *] प्रमुख सचिव[2] को संतोषजनक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देने और अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि की प्रतिभूति में सम्पत्ति [* * *] (भू-खण्ड और उस पर निर्माण) शासन के पक्ष में बन्धक रख दिये जाने के पश्चात् ही अवमुक्त की जायेगी।[1]

परन्तु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्/विकास प्राधिकरण से भू-खण्ड के साथ बना बनाया मकान क्रय किये जाने की दशा में अग्रिम की राशि एक मुश्त अवमुक्त की जा सकेगी। इस प्रकार के मामलों में अवमुक्त की जाने वाली अग्रिम की राशि भू-खण्ड के साथ भवन का मूल्य या 2,00,000.00 रुपये मात्र, जो भी कम हो, होगी।

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन

9-भूखण्ड/भवन के मूल्य के स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन व्यय भी सम्मिलित समझा जायगा।

व्यय धनराशि के आहरण के पूर्व अनुबन्ध-पत्र प्रस्तुत किया जाना भूमि भवन बन्धक रखना

[10-(1) नियम-5 के उप नियम (1) के अधीन भू-खण्ड क्रय करने हेतु अग्रिम की प्रथम किश्त की धनराशि या भवन क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के पूर्व संबंधित सदस्य को प्रपत्र संख्या 1 में एक अनुबन्ध-पत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा।

1-अधिसूचना संख्या-2197/सत्रह-सं-1-87-132(1)सं0/80, दिनांक 29 जुलाई, 1987 पुरःस्थापित तथा प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना संख्या-905/सोलह-सं-1-2003-99सं0/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

(2) नियम-5 के उप नियम (1) के अधीन भू-खण्ड क्रय करने के लिये स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि या भवन क्रय करने के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित करने के एक मास के भीतर भू-खण्ड या भवन को विधिवत् क्रय करके शासन के पक्ष में बन्धक रखने हेतु [* * *] प्रपत्र संख्या-2 में बन्धक [* * *] विलेख 3 भरकर प्रस्तुत करना होगा [* * *] और जिसे भरे जाने की तिथि से चार माह के भीतर रजिस्टर्ड कराके [* * *][2] बन्धक-पत्र [* * *] सुरक्षित अभिरक्षा एवं अभिलेख हेतु प्रमुख सचिव [* * *][2] को प्रस्तुत करना होगा।

नियम-5(2) के अधीन अग्रिम का आहरण करने के पूर्व भूमि बन्धक रखना

11- नियम-5 के उपनियम (2) के अधीन निवास स्थान के निर्माण के लिये स्वीकृत अग्रिम की प्रथम किश्त की धनराशि आहरित करने के पूर्व राज्य सरकार के पक्ष में भूमि बन्धक रखने के लिये प्रपत्र संख्या-2-क में बन्धक पत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा और बन्धक पत्र रजिस्टर्ड कराके उसे सुरक्षित अभिरक्षा [***] [2] एवं अभिलेख के लिये प्रमुख सचिव [***][2] को प्रस्तुत करना होगा।[1]

वसूली की किश्तें

12-अग्रिम की वसूली ब्याज सहित अधिकतम 120 मासिक किश्तों में की जायेगी।

सम्पूर्ण धनराशि एवं ब्याज की वसूली हो जाने पर सम्पत्ति को बन्धक मुक्त किया जाना

13-अग्रिम एवं उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली प्रमाणित रूप से सुनिश्चित हो जाने के बाद अग्रिम की प्रतिभूति में बन्धक की गयी सम्पत्ति संलग्नक प्रपत्र-3 में बन्धक मुक्त कर दी जायेगी।

1-अधिसूचना संख्या-2197/सत्रह-सं-1-87-132(1)सं0/80, दिनांक 29 जुलाई, 1987 प्रतिस्थापित तथा हटाया गया।

2-अधिसूचना संख्या-905/सोलह-सं-1-2003-99सं0/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

14-भवन निर्माण अग्रिम के संबंध में इस नियमावली द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के पंजीकरण हेतु देय स्टाम्प शुल्क शासन द्वारा वहन किया जायगा।

[15- *** *** ***

]1

अन्य सस्थाओं से ऋण

16-यदि किसी सदस्य ने किसी अन्य संस्था जैसे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, सहकारी आवास संघ, एवं किसी विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सार्वजनिक संस्था से अपने भू-खण्ड पर भवन निर्माण हेतु ऋण ले रखा है, तो उसे भी इस नियमावली के अधीन अग्रिम इस शर्त के अधीन उपलब्ध कराया जा सकता है कि उक्त संस्थाओं से लिया गया ऋण निर्माण कार्य के लिये अपर्याप्त हो और ऐसी दशा में भूमि/भवन पर शासन का द्वितीय भार (सेकेन्ड चार्ज) होगा।

अध्याय-3

वाहन अग्रिम

वाहन अग्रिम की अधिकतम धनराशि

17-(1) सदस्यों को वाहन (यथा मोटर कार या जीप) क्रय करने के लिये स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम की अधिकतम धनराशि, अधिनियम की धारा 17-क के अधीन रहते हुये, वाहन के वास्तविक मूल्य से अधिक नहीं होगी।

(2) वाहन क्रय हेतु सदस्य द्वारा विक्रेता के खाते में रजिस्ट्रेशन के लिये जमा की जाने वाली धनराशि, यदि कोई हो, स्वयं सदस्य द्वारा वहन की जायेगी।

अग्रिम एक मुश्त में

18-वाहन अग्रिम की धनराशि एकमुश्त में अवमुक्त की जा सकेगी।

अग्रिम के मूल्य से अधिक धनराशि की वापसी

19-यदि वाहन का मूल्य स्वीकृत धनराशि से कम हो तो शेष धनराशि शासन को तुरन्त लौटा दी जायगी।

1-अधिसूचना संख्या 2197/सत्रह-सं-1-87-132(1)सं0/80, दिनांक 29 जुलाई, 1987 प्रतिस्थापित तथा हटाया गया।

20-स्वीकृत धनराशि के आहरण के पूर्व [संबंधित][1] सदस्य को [***] प्रपत्र-4 में एक अनुबन्ध-पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत अग्रिम के आहरण के एक महीने के अन्दर संबंधित सदस्य वाहन क्रय करके [***] प्रपत्र संख्या 5 में बन्धक-पत्र भरकर प्रस्तुत [***] करेगा।[1] अनुबंध-पत्र और बंधक-पत्र [***] सुरक्षित अभिरक्षा[1] तथा अभिलेख हेतु प्रमुख सचिव [***] [1] को प्रस्तुत किये जायेंगे। अनुबंध-पत्र और बन्धक पत्र का प्रस्तुतीकरण

21-अग्रिम से वाहन नकद क्रय किया जायगा और वह हायर परचेज अथवा किस्तों में नहीं खरीदा जायगा। वाहन का नकद क्रय

22-अग्रिम के आहरण के एक मास के भीतर वाहन क्रय करके संबंधित सदस्य उसका कम्प्रिहेंसिव बीमा करवायेंगे तथा बीमे की पालिसी और अन्य संबंधित कागजात आहरण अधिकारी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे। वाहन का कम्प्रिहेंसिव बीमा

23-वाहन अग्रिम की वसूली ब्याज सहित अधिकतम 120 किश्तों में की जायगी। वसूली की किश्तें

अध्याय-4

भवन निर्माण/वाहन क्रय अग्रिम और ब्याज की वसूली तथा विविध उपबन्ध

24-इस नियमावली के अधीन स्वीकृत किसी अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की वसूली सदस्यों से उनके वेतन, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, प्रतिकर आवास भत्ता या किसी अन्य भत्ता बिल से प्रमुख सचिव द्वारा अपेक्षित धनराशि काट कर की जायगी और ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जो सदस्य न रह जाय या[2] जो उस समय सदस्य न हो जब उसे [***][1] कोई प्रतिसंदेय अग्रिम दिया गया हो, अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की वसूली उसे देय पेंशन की धनराशि से की अग्रिमों की वेतन, भत्तों और पेंशन से वसूली

1-अधिसूचना संख्या-905/सत्रह-सं-1-2003-99सं0/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

2-अधिसूचना संख्या-894 सं/सत्रह-1-2002-634 (व)सं/98, दिनांक 15 जून, 2002 द्वारा निकाला गया।

जायेगी। यदि अग्रिम/ब्याज की वसूली हेतु निर्धारित मासिक किश्त की धनराशि पेंशन की मासिक धनराशि और अन्य देयों की धनराशि, यदि कोई हो, से अधिक हो तो अन्तर की धनराशि ऐसे व्यक्ति द्वारा संगत प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा की जायगी और धनराशि जमा करने के प्रमाण में ट्रेजरी चालान की प्रति प्रत्येक माह की 7 तारीख तक, यथास्थिति, [***][1] सभा/ [***][1] परिषद् सचिवालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

अग्रिम की वसूली आहरण के बाद वाले माह से

25-अग्रिम की वसूली भूखण्ड क्रय हेतु स्वीकृत अग्रिम की प्रथम किश्त के आहरण अथवा भवन या वाहन क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के तुरन्त बाद वाले माह से प्रारम्भ होगी।

अग्रिम की अवशेष धनराशि एकमुश्त जमा करने की छूट

26-सदस्य की अग्रिम की अवशेष सम्पूर्ण धनराशि वसूली हेतु निर्धारित अवधि से पहले एक मुश्त जमा करने की छूट होगी।

ब्याज की वसूली

27-मूलधन की वसूली समाप्त होने के तुरन्त बाद वाले माह से ब्याज की धनराशि की वसूली प्रारम्भ होगी। ब्याज की धनराशि की मासिक किश्त मूल धन की किश्त की राशि से कम नहीं होगी। सदस्य को ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करने की छूट होगी।

ब्याज की दर

28-अग्रिम की राशि पर ब्याज की दर तथा ब्याज की धनराशि का आंकलन, ब्याज की दर में छूट और अपेक्षाकृत अधिक ब्याज वाले अग्रिम के समायोजन की प्रक्रिया वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिये यथास्थिति, गृह निर्माण अग्रिम या वाहन-क्रय अग्रिम के संबंध में निर्धारित की जाती है।

---

[1]-अधिसूचना संख्या-905/सोलह-सं-1-2003-99सं0/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

29-अग्रिम एवं उस पर देय ब्याज की वसूली का लेखा जोखा, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा रखा जायगा। पेंशन से वसूली की स्थिति में सम्बन्धित जिले के कोषाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक इस आशय का एक प्रमाण पत्र, यथास्थिति माह में अग्रिम/ब्याज की किश्त की वसूली कर ली गयी है और उसे संगत प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है। वसूली का लेखा जोखा

[29-क-अग्रिम और उस पर देय ब्याज की वसूली पूरी कर लिए जाने पर, यथास्थिति, सभा/परिषद् सचिवालय द्वारा अदेयता प्रमाण-पत्र जारी किया जायगा। अग्रिम और या उस पर ब्याज की अधिक वसूली का उल्लेख करने वाले अदेयता प्रमाण-पत्र की स्थिति में, सदस्य को अधिक धनराशि के प्रतिसंदाय के आदेश किये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कार्यवाही, यथास्थिति, सुसंगत अनुदान संख्या, मुख्य शीर्ष/उपमुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष, व्योरेवार शीर्ष, जिनके अधीन उक्त सदस्य का वेतन/पेंशन आहरित किया जाता था/आहरित किया जा रहा है, का उल्लेख करते हुए सभा/परिषद् सचिवालय द्वारा की जाएगी। उक्त सचिवालय उक्त अधिक धनराशि का आहरण और वितरण, सम्बन्धित सदस्य को मानक शीर्ष "42-अन्य व्यय" के अधीन उक्त धनराशि की व्यवस्था करके करेगा।][1] कतिपय दशाओं में एक मुश्त वसूली

[30-जिस व्यक्ति को अग्रिम स्वीकृत किया गया हो, यदि-

(क) उसकी मृत्यु हो गयी हो;

(ख) वह, यथास्थिति, सभा या परिषद् का सदस्य न रह गया हो और किसी पेंशन का हकदार न हो;

(ग) वह किसी भी कारण से किसी पेंशन का हकदार न रह गया हो,

1-अधिसूचना संख्या-905/सत्रह-सं0-1-2003-99सं/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

(घ) उसने, यथास्थिति, अग्रिम के प्रतिदान या ब्याज की किश्तों का नियमित भुगतान न किया हो (और ऐसी छः किश्तों से अधिक किश्त का बकायेदार हो);

(ङ) उसने अग्रिम की किन्हीं शर्तों का जिसके अन्तर्गत इस नियमावली की अपेक्षानुसार किसी बन्ध-पत्र या, विलेख के निष्पादन और प्रस्तुतिकरण से संबंधित शर्त भी है, उल्लंघन किया हो;

(च) भारत का नागरिक न रह गया हो;

तो अग्रिम और उस पर देय ब्याज की अवशेष सम्पूर्ण धनराशि, यदि कोई हो, राज्य सरकार को तुरन्त देय हो जायगी और, प्रमुख सचिव द्वारा[2] यथास्थिति, सदस्य या उसके विधिक प्रतिनिधियों से किसी भी रीति से वसूली की जा सकेगी।][1]

अग्रिम का उपयोग

31-[***] अग्रिम[2] का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायगा, जिस प्रयोजन हेतु उसे स्वीकृत किया गया है। अग्रिम प्राप्तकर्ता को [***] प्रमुख सचिव[2] द्वारा समय समय पर अपेक्षा किये जाने पर प्रमुख सचिव को[2] इस बात की संतुष्टि करने के लिये प्रमाण [***][2] देना होगा कि [***] धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया गया है जिसके लिये वह स्वीकृत किया गया है और सम्पत्ति/वाहन पर उसका निर्विवाद अधिकार है। अन्यथा उपयोग की दशा में अग्रिम का दुरुपयोग माना जायेगा और [***] प्रमुख सचिव[2] अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि जिस तरह [*] चाहे एक मुश्त वसूल कर [***] सकेगा।[2]

अग्रिम की धनराशि का आहरण

32-इस नियमावली के अधीन स्वीकृत अग्रिम की धनराशि का आहरण स्वीकृति के दिनांक से एक मास के भीतर या अनुवर्ती 31 मार्च के पूर्व, जो भी पहले हो, कर लिया जाय, अन्यथा स्वीकृति आदेश निरस्त समझा जायेगा।

विविध उपबन्ध

33-अग्रिम के संबंध में जिन बातों का उल्लेख इस नियमावली में नहीं किया गया है उनके संबंध में वही उपबन्ध लागू होंगे और वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो सरकारी कर्मचारियों के मामले में लागू होते हैं।

1-अधिसूचना संख्या-2317/17-सं-1-89-132(1)-सं-80, (टी0सी0), दिनांक 7 सितम्बर, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना संख्या-905/सत्रह-सं0-1-2003-99सं/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

प्रपत्र संख्या-1

गृह निर्माण करने हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् या विकास प्राधिकरण से भूमि क्रय करने के लिये या उनके द्वारा तैयार गृह क्रय करने के लिये अग्रिम लेते समय निष्पादित किये जाने वाले करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनांक -- दो हजार --------------------- तद्नुसार शक संवत् दिनांक -----------------200 को श्री/श्रीमती/कुमारी---
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री---
निवासी--
(पदनाम) राज्य विधान सभा/परिषद् के सदस्य या भूतपूर्व सदस्य (जिसे आगे ''उधार लेने वाला'' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उसके विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी हैं) एक पक्ष और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल [जिन्हें आगे ''राज्यपाल'' कहा गया] दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

चूंकि उधार लेने वाला उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् या ----------------- विकास प्राधिकरणों से गृह-निर्माण हेतु भूखण्ड/तैयार गृह जो न्यूनाधिक ------------------------ वर्ग फुट है और जो रजिस्ट्रीकरण जिला ------------- के उप जिला ----------------- थाना----------------में स्थित है और जिसके उत्तर में ------------------------------------ दक्षिण में -------------------------------पूर्व में --------------------और पश्चिम में -----------------------------है, ---------------------------------- रुपये (केवल --------------------------रुपये) में क्रय करने के लिये सहमत है;

और चूंकि उधार लेने वाले ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त उसका कोई संशोधन भी है) के उपबन्धों के अधीन उक्त भूखण्ड/उक्त गृह उससे सम्बद्ध भूमि सहित क्रय करने के लिये---रुपये (केवल ---------------------रुपये) ऋण की स्वीकृति के लिये राज्यपाल से आवेदन किया है और राज्यपाल आगे दिये गये निबन्धनों और शर्तों पर उधार लेने वाले को ------------ रुपये (केवल ---------- रुपये) की उक्त धनराशि उधार देने के लिये सहमत हैं ;

अतएव, अब इस विलेख के उभय पक्षकारों के मध्य एतद्‌द्वारा यह करार किया जाता है कि राज्यपाल द्वारा उधार लेने वाले को ------------- रुपये ऋण की धनराशि का भुगतान किये जाने (जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाला एतद्‌द्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफल स्वरूप उधार लेने वाला राज्यपाल से यह करार करता है कि (1) उधार लेने वाला राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में उसे प्राप्त होने वाले वेतन, यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ता, प्रतिकर आवास भत्ते या अन्य भत्ते में से या उक्त नियमावली द्वारा यथा उपबन्धित अपनी पेंशन या उसे प्राप्त होने वाली कोई अन्य धनराशि से मासिक कटौती कराकर, जिसके लिये उधार लेने वाला एतद्‌द्वारा राज्यपाल को प्राधिकृत करता है, उक्त धनराशि, उस पर उक्त नियमावली के अनुसार संगणित ब्याज सहित, राज्यपाल को भुगतान करेगा, और (2) इस विलेख के निष्पादन के दिनांक से एक मास के भीतर उक्त ऋण की सम्पूर्ण धनराशि उक्त भू-खण्ड/तैयार गृह क्रय करने में व्यय करेगा तथा यदि भुगतान किया गया वास्तविक मूल्य ऋण की धनराशि से कम है तो अन्तर की धनराशि राज्यपाल को तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा और (3) उक्त भू-खण्ड तथा उस पर निर्मित किये जाने वाले भवन/उक्त तैयार गृह और उससे सम्बद्ध भूमि स्वीकृत ऋण और उस पर संगणित ब्याज की धनराशि की प्रतिभूति स्वरूप राज्यपाल के पक्ष में उक्त नियमावली के दिये हुये प्रपत्र में बंधक करेगा ;

और एतद्‌द्वारा अग्रेतर यह करार भी किया जाता है कि उधार लेने वाला उक्त भू-खण्ड क्रय करने के तुरन्त पश्चात् अपने उपयोग के लिये उस पर एक उपयुक्त निवास गृह निर्माण करेगा ;

और एतद्‌द्वारा यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है यदि उक्त भू-खण्ड या उक्त गृह को इस विलेख के दिनांक से एक मास के भीतर उपर्युक्त के अनुसार खरीदा और बन्धक नहीं रखा जाता है या यदि उधार लेने वाला उस अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या चाहे किसी भी कारण से राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं रह जाता है और पेंशन का हकदार नहीं होता है या चाहे किसी भी कारण से उसे पेंशन नहीं मिलती है या पेंशन मिलना बंद हो जाती है या ऋण की प्रतिसंदाय किश्त या उस पर ब्याज का भुगतान देय दिनांक को करने में असफल रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऋण की सम्पूर्ण धनराशि और उस पर प्रोद्‌भूत ब्याज तुरन्त देय और संदेय हो जायेगा :

और उधार लेने वाला यह करार और घोषणा करता है कि राज्यपाल, विधान सभा/परिषद्, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव के प्रमाण-पत्र पर जो अंतिम, निश्चायक और उधार लेने पर बाध्यकारी होगा, उधार लेने वाले से इसके अधीन समस्त देयों को भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल कर सकते हैं :

और अन्त में यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि राज्यपाल उक्त ऋण के अतिशेष और अदत्त ब्याज को उधार लेने वाले के विधिक प्रतिनिधि, समनुदेशिती से किसी भी रीति से वसूल करने के हकदार होंगे :

जिसके साक्ष्य में उधार लेने वाले ने ऊपर प्रथम उल्लिखित दिनांक तथा वर्ष को इस विलेख पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है।

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त उधार
लेने वाले द्वारा हस्ताक्षर किया गया --

(1) ------------------------

(पता)

( )

उधार लेने वाला

(1) ------------------------

(पता)

प्रपत्र संख्या-2

विधान सभा/परिषद् के सदस्य को स्वीकृत गृह निर्माण हेतु ऋण के लिये बन्धक का प्रपत्र यह अनुबन्ध आज दिनांक ----------- 2000 -------------- तद्नुसार शक संवत् ------------ को श्री/श्रीमती/कुमारी -------------- आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ----------------- अस्थायी निवासी ग्राम ---------------------- डाकघर ------------- जिला -------------- (पदनाम) सदस्य/भूतपूर्व सदस्य, राज्य विधान सभा/परिषद् (जैसी भी स्थिति हो) (जिसे आगे "बन्धककर्ता" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जहां तक कि संदर्भ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी है) एक पक्ष और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे, 'बन्धकदार' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जहां तक कि संदर्भ के विरुद्ध न हो उसके पद के उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) दूसरे पक्ष के बीच किया गया;

चूंकि बन्धककर्ता (यथास्थिति) ----------------------- विकास प्राधिकरण (विकास प्राधिकरण का नाम) या उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा किये गये दिनांक ------------------ के पट्टे के अधीन दिनांक ----------- को समाप्त होने वाली ------------ वर्ष की अवधि के लिये ----------------- रुपये (केवल ---------------- रुपये) प्रति मास/वर्ष के किराये पर इसमें आगे वर्णित भूखण्ड, दायाप्ति और परिसर/गृह का हकदार है;

और चूंकि, बन्धककर्ता ने बन्धकदार से अपने निजी उपयोग के लिये उपयुक्त आवास के रूप में उक्त दायाप्ति पर गृह निर्माण करने ------------------ से गृह क्रय करने के लिये व्यय की अदायगी हेतु ----------- रुपये (केवल --------------रुपये) की धनराशि के ऋण के लिये आवेदन किया है;

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत, जहां संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो तत्समय प्रवृत्त उसका कोई संशोधन या परिवर्तन भी है और जिसे इस विलेख का भाग समझा जायेगा) उपबन्धों के अधीन बन्धकदार ने बन्धककर्ता को ---------------------------------- रुपये (केवल ------------------ रुपये) की उक्त धनराशि एक मुश्त (संलग्न अनुसूची में उल्लिखित किश्तों में) उधार और अग्रिम देने का करार किया है;

अतएव, अब, यह अनुबन्ध इस बात का साक्षी है कि उक्त ऋण के प्रतिफल स्वरूप और उक्त करार के अनुसरण में बन्धककर्ता एतद्द्वारा आगामी ---------------------- को या उसके पूर्व बन्धकदार को उक्त मूल धनराशि और उक्त नियमावली के अनुसार उस पर संगणित ब्याज का भुगतान करने और यदि उक्त दिनांक को ऋण का प्रतिसंदाय नही किया जायेगा तो उक्त नियमावली के अनुसार ब्याज का भुगतान करने के लिये बन्धकदार के साथ प्रसंविदा करता है ;

और, यह अनुबन्ध इस बात का साक्षी है कि पूर्वोक्त प्रतिफल के लिये बन्धककर्ता उस पूरे भू-खण्ड को जिसकी गाटा संख्या ----------------------- है और जो ------------------- रजिस्ट्रीकरण जिला, --------------------- उप जिला ---------------- थाना ------------------- में स्थित है जो न्यूनाधिक ------------------- वर्गमीटर है, और जिसके उत्तर में ----------- दक्षिण में ---------- पूर्व में ---------------- और पश्चिम में ------------------ है तथा बने हुये निवास-गृह और निवास गृह के साथ बने हुये या आगे बनाये जाने वाले बाह्य कार्यालय, अस्तबल, रसोईघर और समस्त प्रकार के वाह्य भवन जिनका उपयोग किया जा रहा हो या किया जाना आशायित हो, और उसके समस्त अधिकारी, सुखाधिकारों और अनुलग्नकों को या इनमें से किसी को जो उक्त परिसर से संबंधित हो उसके अन्तर्गत उक्त भूमि पर सभी निर्माण और बने हुये या आगे बनाये जाने वाले भवन, उक्त पट्‌टे द्वारा स्वीकृत उक्त वर्षों की अवधि के अंतिम दिन को छोड़ कर उसके अव्यतीत अवधि के लिये बन्धकदार, उसके पद के उत्तरवर्तियों और समनुदेशतियों को धृत करने हेतु पट्‌टान्तरित करता है, पट्‌टे पर देता है और अन्तरित करता है। परन्तु सदैव यह कि यदि और जैसे ही इस विलेख की प्रतिभूति पर दिये गये उक्त अग्रिम और उस पर उक्त नियमावली के अनुसार संगणित ब्याज का प्रतिसंदाय बन्धककर्ता के वेतन और अन्य लाभ से या उसकी पेंशन से मासिक किश्तों में कटौती करके कर दिया गया हो या यदि पेंशन की मासिक धनराशि ऋण और उस पर उक्त नियमावली के अनुसार संगणित ब्याज के प्रतिसंदाय के लिये निर्धारित मासिक किश्त से कम हो तो इस अन्तर को बन्धककर्ता द्वारा उक्त नियमावली के अनुसार अपनी आय के निजी स्रोत से या चाहे किसी भी अन्य स्रोत से जमा कर दिया गया हो तब किया गया पट्‌टान्तरण शून्य हो जायेगा और बन्धककर्ता बन्धकदार के साथ एतद्द्वारा प्रसंविदा

करता है कि अवधि का निर्धारण या सम्पदा का सृजन करने वाला वह पट्टा जिसके आधार पर उक्त भूमि या गृह बन्धककर्ता द्वारा धृत है, अब एक अच्छा विधिमान्य और प्रभावकारी पट्टा है और पूर्णरूप से प्रवृत्त, असमपहृत और अनभ्यर्पित है और भारमुक्त है और किसी प्रकार से शून्य या शून्यकरणीय नहीं होगा और यह कि इस विलेख के दिनांक तक पट्टा विलेख में आरक्षित समस्त किराये का और समस्त प्रसंविदाओं, शर्तों और करार का, जो उसमें दी गयी हैं, और जिनका बन्धककर्ता की ओर से भुगतान, अनुपालन और सम्पादन किया जाना है उनका भुगतान अनुपालन और सम्पादन कर दिया गया है और यह भी बन्धककर्ता सर्वदा, जब तक कि कोई धनराशि इस विलेख की प्रतिभूति पर देय रहे, उक्त समस्त किराये, प्रसंविदाओं, शर्तों और करार का भुगतान, अनुपालन और संपादन करेगा और बन्धकदार को उक्त किराये के असंदाय या ऐसी प्रसंविदाओं या करार का इनमे से किन्हीं का अनुपालन या संपादन न करने के कारण बन्धकदार द्वारा किये गये या सहन किये गये समस्त कार्यों, कार्यवाहियों, व्ययों, प्रभारों, दावों और मांगों की, यदि कोई हो, क्षतिपूर्ति करेगा, और यह भी कि बन्धककर्ता को अब उक्त परिसर बन्धकदार को उपर्युक्त रीति से पट्टान्तरित करने का समुचित अधिकार और पूर्ण शक्ति है और यह कि बन्धकदार के लिये एतद्द्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान बन्धककर्ता या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसके माध्यम से दावा करता हो या उसका न्यासी हो, बिना किसी अवरोध या विघ्न के उक्त पट्टान्तरित परिसर में प्रवेश करना और उसको धृत करना और उसका उपभोग करना विधिपूर्ण होगा और यह कि बन्धककर्ता एतद्द्वारा एतद् पश्चात् किसी भी समय बन्धकदार के अनुरोध पर, अपने व्यय पर, ऐसे सभी हस्तान्तरण-पत्रों और कार्यों को निष्पादित और सम्पादित करेगा जो उक्त परिसर को बन्धकदार में उपर्युक्त रीति से जैसा बन्धकदार द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो, और अधिक प्रभावशाली ढंग से निहित करने के लिये आवश्यक और उचित हो, किन्तु सदैव और एतद्द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बन्धककर्ता की ओर से इसमें निहित प्रसंविदाओं का उल्लंघन किया जाय या चाहे किसी भी कारण से वह राज्य विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय और चाहे किसी भी कारण से पेंशन का हकदार न रह जाय या उसे पेंशन न मिले या पेंशन मिलना बन्द हो जाय या वह ऋण की प्रतिसंदाय किश्त या उस पर ब्याज का भुगतान करने में असफल रहे या इस विलेख की प्रतिभूति पर बन्धकदार को देय या संदेय समस्त धनराशि का भुगतान होने के पूर्व उसकी मृत्यु

हो जाय तब और इनमें से किसी भी स्थिति में बन्धकदार के लिये उक्त परिसर या भवन या उसके किसी भाग को या तो एक साथ या खंडों में या जो सार्वजनिक नीलाम द्वारा या असार्वजनिक संविदा पर विक्रय करना या विक्रय किसी संविदा को विखंडित करना और बिना किसी हानि के लिये उत्तरदायी हुये जो उससे हो उसे पुनः विक्रय करना या उसे किसी भी अवधि या कालावधि के लिये किराये पर उठाना और ऐसे किसी विक्रय या किराये पर उठाने को कार्यान्वित करने के लिये ऐसा समस्त कार्य करना और हस्तान्तरण पत्रों को निष्पादित करना जैसा बन्धकदार उचित समझे, विधिपूर्ण होगा और एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि बेचे गये परिसर के क्रय धन या उसके किसी भाग के लिये बन्धकदार की रसीद क्रेता या क्रेताओं को प्रभावी तौर पर उससे उन्मुक्त कर देगी और एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त शक्ति के अधीन उक्त परिसर या उसके किसी भाग के विक्रय के पश्चात् बन्धककर्ता का इसमें पहले वर्णित पट्टे द्वारा उसे स्वीकृत अवधि के अंतिम दिन तक बेचे गये परिसर पर कब्जा क्रेता, उसके निष्पादक प्रशासक और ऐसे समनुदेशितियों के जिन्हें समनुदेशित किया जाय, के न्यास के रूप में माना जायगा, और उसी प्रकार निस्तारित किया जायेगा जैसा वह या वे निदेश दें और एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि बन्धकदार ऐसे किसी किराये, लाभ, प्रीमीयम, सलामी या धन को जो परिसर से या यथा उपर्युक्त किराये पर उठाने या विक्रय से प्राप्त हो, प्रथमतः इस प्रतिभूति के संबंध में ऐसे विक्रय पर या अन्यथा उपगत समस्त व्यय का भुगतान करने और तत्पश्चात् ऐसे धन को इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय बाकी धन को पूरा करने और तत्पश्चात् अतिशेष का, यदि कोई हो, बन्धककर्ता को भुगतान करने के लिये न्यास के रूप में रखेगा और बन्धककर्ता एतद्द्वारा यह करार करता है और घोषणा करता है कि इस विलेख द्वारा उपबन्धित किसी उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बन्धकदार, प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् के प्रमाण-पत्र पर जो अंतिम, निश्चायक और बन्धककर्ता पर बाध्यकारी होगा, इस विलेख के अधीन समस्त देयों को बन्धककर्ता से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकता है और एतद्द्वारा अन्ततः यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि बन्धकदार उक्त ऋण के अतिशेष को ब्याज सहित उसके विधिक प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों से, किसी भी रीति से वसूल करने का हकदार होगा ;

जिसके साक्ष्य में बन्धककर्ता ने ऊपर प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है।

2-इस विलेख के निष्पादन पर देय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन और भुगतान किया जायेगा और इस विलेख के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रभार बन्धककर्ता द्वारा वहन किया जायगा।

इसमें निर्दिष्ट अनुसूची :

रुपया ---------------------- दिनांक ------------------- को या उसके पूर्व

रुपया ---------------------- दिनांक ------------------- को या उसके पूर्व

निम्नलिखित की उपस्थिति में बन्धककर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया :

प्रथम साक्षी ------------------------ द्वितीय साक्षी ----------------------

पता ------------------------------ पता ----------------------------

व्यवसाय --------------------------- व्यवसाय -------------------------

(विलेख रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिये)

टिप्पणी : बन्धक के दो साक्षी होना आवश्यक है।

[प्रपत्र संख्या-2-क]

विधान सभा/विधान परिषद् के ऐसे सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों का, जिनका भूमि पर स्वामित्वाधिकार हो, स्वीकृत गृह निर्माण हेतु ऋण के लिये बन्धक का प्रपत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांक दो हजार__________ के___________मास के___________________दिन तद्नुसार शक संवत् 200---- के मास के___________________दिन को श्री/श्रीमती/कुमारी________________ आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ____________ स्थायी निवासी ग्राम____________ डाकघर____________ जिला___________सदस्य/भूतपूर्व सदस्य, राज्य विधान सभा/परिषद् (जैसी भी स्थिति हो) (जिसे आगे "बन्धककर्ता" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जहां तक कि संदर्भ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी है) एक पक्ष और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "बन्धकदार" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जहां तक कि संदर्भ के विरुद्ध न हो उनके पद के उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) दूसरे पक्ष के बीच किया गया ;

और, चूंकि, भूखण्ड, दायाप्ति और परिसर जो एतद्पश्चात् वर्णित है और जिसके एतद्द्वारा हस्तान्तरित, अन्तरित तथा आश्वासित करने का एतद्पश्चात् उल्लेख किया गया है (जिसे आगे उक्त "दायाप्ति" कहा गया है) बन्धककर्ता के पूर्णतः अभिग्रहण और कब्जे में है या अन्यथा भी वह उसका पूरा हकदार है ;

और, चूंकि, बन्धककर्ता ने बन्धकदार से अपनी निजी उपयोग के लिये उपयुक्त आवास के रूप में उक्त दायाप्ति पर गृह निर्माण करने के लिये व्यय की अदायगी हेतु_______________रुपये (केवल__________________रुपये) की अग्रिम धनराशि के लिये आवेदन किया है;

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत, जहां संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, तत्समय प्रवृत्त उसका कोई संशोधन या परिवर्धन भी है और जिसे इस विलेख का भाग समझा जायगा) उपबन्धों के अधीन बन्धकदार ने बन्धककर्ता को__________________ रुपये (केवल_______________रुपये) की उक्त धनराशि उधार और अग्रिम देने का करार किया है जो निम्न प्रकार से देय होगी अर्थात् इस विलेख के निष्पादन पर______________रुपये की धनराशि और पहले दी गयी धनराशि के उपयोग का आवश्यक सबूत देने के पश्चात् अतिशेष (यदि और जब तक कि इस पर प्रयोज्य बिक्री की शक्ति का प्रयोग न कर लिया गया हो);

अतएव अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और बन्धककर्ता द्वारा एतद्पूर्व वर्णित व्यय पूर्ति के प्रयोजनार्थ बन्धकदार द्वारा बन्धककर्ता को इस विलेख के निष्पादन पर भुगतान की गयी ____________ रुपये की धनराशि जिसकी प्राप्ति बन्धककर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है (और______________ रुपये की अतिशेष धनराशि जो एतद्पूर्व वर्णित रीति से दी जायगी) के प्रतिफल स्वरूप बन्धकर्ता एतद्द्वारा आगामी ______________ को या उसके पूर्व बन्धकदार को उक्त ____________________ रूपये की धनराशि का (और आगे दी जाने वाली ऐसी धनराशियों का जो इससे पूर्व वर्णित इस हेतु किये गये करार के अनुसरण में बन्धकदार द्वारा बन्धककर्ता को दी जायेगी) और उक्त नियमावली के अनुसार उस पर संगणित ब्याज का प्रतिसंदाय करने और यदि उक्त दिनांक को ऋण का प्रतिसंदाय नहीं किया जायगा तो उक्त नियमावली के अनुसार ब्याज का भुगतान करने के लिये बन्धकदार के साथ प्रसंविदा करता है ;

और, यह विलेख इस बात का भी साक्षी है कि पूर्वोक्त प्रतिफल के लिये बन्धककर्ता उस पूरे भू-खण्ड को जो______________________ जिला के ____________________ रजिस्ट्रीकरण जिला ______________ उप रजिस्ट्रीकरण जिला________________ में स्थित है जो न्यूनाधिक______________ वर्गमीटर है और जिसके उत्तर में______________________ दक्षिण में__________________ पूर्व में______________ और पश्चिम में________________ है इस पर बने हुए निवास-गृह और उक्त निवास गृह के साथ बने हुए या आगे बनाये जाने वाले वाह्य कार्यालय, अस्तबल, रसोईघर और उसके समस्त अधिकारों, सुखाधिकारों और अनुलग्नकों या इनमें से किसी को भी जो उक्त दायाप्ति से सम्बन्धित हो, जिसके अन्तर्गत उक्त भूमि पर सभी निर्माण और बने हुए या आगे बनाये जाने वाले भवन भी हैं, को बन्धकदार को तथा उसके प्रयोगार्थ पूर्णतः धारण करने के लिये एतद्पश्चात् उल्लिखित मोचन की शर्त के अध्यधीन एतद्द्वारा हस्तान्तरित अन्तरित तथा आश्वासित करता है। परन्तु सदैव यह कि यदि और जैसे ही इस विलेख की प्रतिभूति पर दिये गये उक्त अग्रिम और उस पर उक्त नियमावली के अनुसार संगणित ब्याज का प्रतिसंदाय बन्धककर्ता के वेतन और अन्य लाभ से उसकी पेंशन से मासिक किश्तों में कटौती करके कर दिया गया हो या यदि पेंशन की मासिक धनराशि ऋण और उस पर उक्त नियमावली के अनुसार संगणित ब्याज के प्रतिसंदाय के लिये निर्धारित मासिक किश्त से कम हो तो इस अन्तर को बन्धककर्ता द्वारा उक्त नियामवली के अनुसार अपनी आय के निजी स्रोत से या चाहे किसी अन्य स्रोत से जमा कर दिया गया हो तो ऐसी किसी

भी दशा में बन्धकदार बन्धककर्ता के अनुरोध तथा व्यय पर उक्त दायाप्ति को बन्धककर्ता को तथा उसके प्रयोग के लिये अथवा जैसा वह निदेश दे प्रतिहस्तान्तरित, प्रति अन्तरित तथा प्रति आश्वासित करेगा। किन्तु सदैव और एतद्द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बन्धककर्ता की ओर से इसमें निहित उसकी प्रसंविदाओं का उल्लंघन किया जाय या चाहे किसी भी कारण से वह राज्य विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय और चाहे किसी भी कारण पेंशन का हकदार न रह जाय या उसे पेंशन न मिले या पेंशन मिलना बन्द हो जाय या वह ऋण की प्रतिसंदाय किस्त या उस ब्याज का भुगतान करने में असफल रहे या इस विलेख की प्रतिभूति पर बन्धकदार को देय या संदेय समस्त धनराशि का भुगतान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय तब और इनमें से किसी भी स्थिति में बन्धकदार के लिये दायाप्ति या उसके किसी भाग को या तो एक साथ या खण्डों में या तो सार्वजनिक नीलाम द्वारा या असार्वजनिक संविदा पर विक्रय करना या विक्रय की किसी संविदा को विखण्डित करना और बिना किसी हानि के लिये उत्तरदायी हुए जो उससे हो उसे पुनः विक्रय करना और ऐसे किसी विक्रय को कार्यान्वित करने के लिये ऐसे समस्त कार्य करना और हस्तान्तरण पत्रों को निष्पादित करना जैसा बन्धकदार उचित समझे, विधि पूर्ण होगा और एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि बेचे गये परिसर के क्रय धन या उसके किसी भाग के लिये बन्धकदार की रसीद क्रेता या क्रेताओं को प्रभावी तौर पर उससे उन्मुक्त कर देगी और एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि बन्धकदार उक्त शक्ति के अनुसरण में किये गये विक्रय से प्राप्त धन को प्रथमतः इस प्रतिभूति के सम्बन्ध में ऐसे विक्रय पर या अन्यथा उपगत समस्त व्यय का भुगतान करने और तत्पश्चात् ऐसे धन को इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय बाकी धन को पूरा करने और तत्पश्चात् अधिशेष का (यदि कोई हो) बन्धककर्ता को भुगतान करने के लिये न्यास के रूप में रखेगा और बन्धककर्ता एतद्द्वारा यह करार करता है और घोषणा करता है कि इस विलेख द्वारा उपबन्धित किसी उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बन्धकदार, प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् के प्रमाण-पत्र पर जो अन्तिम, निश्चायक और बन्धककर्ता पर बाध्यकारी होगा, इस विलेख के अधीन समस्त देयों को बन्धककर्ता से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकता है और एतद्द्वारा अन्ततः यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि बन्धकदार उक्त ऋण के अतिशेष को ब्याज सहित बन्धककर्ता के विधिक प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों से किसी भी रीति से वसूल करने का हकदार होगा। एतद्द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि उक्त नियमावली इस विलेख का भाग समझी और मानी जायेगी ;

और बन्धककर्ता बन्धकदार से एतद्द्वारा अन्त में यह प्रसंविदा करता है कि वह अर्थात् बन्धककर्ता इस प्रतिभूति के जारी रहने के दौरान इस विलेख तथा उक्त दायाप्ति के सम्बन्ध में उसकी ओर से अनुपालनीय और पालनीय उक्त नियमावली के समस्त उपबन्धों और शर्तों का अनुपालन और पालन करेगा।

जिसके साक्ष्य में बन्धककर्ता ने ऊपर प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है।

2-इस विलेख के निष्पादन पर देय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन और भुगतान किया जायगा और इस विलेख के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रभार बन्धककर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त बन्धककर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया।

प्रथम साक्षी

पता

व्यवसाय

द्वितीय साक्षी

पता

व्यवसाय

(विलेख रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए)

[**टिप्पणी** :-बन्धक के दो साक्षी होना आवश्यक है।] [1]

---

[1] -अधिसूचना संख्या-2197 सं/17-1-87-132(1)सं-80, दिनांक 29 जुलाई, 1987 द्वारा बढ़ाया गया।

प्रपत्र संख्या-3

गृह निर्माण हेतु ऋण के लिये प्रति हस्तान्तरण का प्रपत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांक ____________________200________ तद्नुसार शक संवत् दिनांक ______________________200________________ को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्यपाल" कहा गया है) एक पक्ष और श्री/श्रीमती/कुमारी________________________आत्मज/पत्नी/आत्मजा__________ __________ निवासी________________________ (पदनाम) सदस्य या भूतपूर्व सदस्य राज्य विधान सभा/परिषद्, (जिसे आगे "बन्धककर्ता" कहा गया है) दूसरे पक्ष के बीच किया गया जो दिनांक ____________________200____________ को बन्धककर्ता एक पक्ष और राज्यपाल दूसरे पक्ष के बीच किये गये और सब रजिस्ट्रार ______________________________ के कार्यालय में पुस्तक________________के खण्ड______________ में पृष्ठ________________ से ________________ पर संख्या____________________ के रूप में________________ के लिये दिनांक ______________________200________________को राष्ट्रीयकृत बन्धक विलेख (जिसे आगे मूल "विलेख" कहा गया है) का पूरक है।

और चूंकि मूल विलेख की प्रतिभूति पर देय और प्राप्त मूलधन और ब्याज के रूप में समस्त धन अर्थात्____________________रुपये (केवल________________________रुपये) का पूर्ण रूप से भुगतान और शोधन कर दिया गया है और राज्यपाल तद्नुसार बन्धककर्ता के अनुरोध पर ऐसे बन्धकित परिसर निष्पादित का जो इस लिखित अनुबन्ध में जैसा इसमें आगे दिया गया है, सम्मिलित है, प्रतिहस्तान्तरण करने के लिये सहमत हो गये हैं;

अब, यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त अनुबन्ध के अनुसरण में और आमुख के प्रतिफल में, राज्यपाल एतद्द्वारा ____________________में स्थित उस पूरे भूखण्ड जो न्यूनाधिक __________________________ है और जिसके उत्तर में _______________ दक्षिण में _______________पूर्व में _______________ और पश्चिम में ______________________ ________________ है, और उस पर बने हुए निवास गृह और वाह्य कार्यालय, अस्तबल, रसोईघर और भवन और ऐसे समस्त और एकल अन्य परिसर जो मूल विलेख में समाविष्ट हो या जिन्हें उसके द्वारा प्रत्याभूत

किये जाने के लिये अभिव्यक्त किया गया हो या जो अब मूल विलेख के अधीन या उसके आधार पर मोचन के अधीन किसी प्रकार से राज्यपाल में उसके अधिकार, सुखाचार और अनुलग्नकों सहित,जैसा कि मूल विलेख में अभिव्यक्त किया गया है, निहित हो और मूल विलेख के आधार पर उस परिसर में, उसके बाहर या उस पर राज्यपाल की समस्त सम्पदा, अधिकार, हित, हक, सम्पत्ति, दावा और मांग, चाहे जो भी हो, जो ऐसे परिसर में एतदूपूर्व धृत हो और एतदूद्वारा बन्धककर्ता, उसके दायादों, निष्पादकों, प्रशासकों और समानुदेशितियों को ऊपर उल्लिखित परिसर को उनके उपयोग के लिये रखने तथा धारण करने के लिये स्वीकृत, अभ्यर्पित और प्रतिहस्तान्तरित करते हैं, मूल विलेख द्वारा प्रत्याभूत किये जाने के लिये आशयित समस्त धन से और उक्त धन या उसके किसी भाग के लिये या उसके सम्बन्ध में या मूल विलेख के लिए या उसके संबंध में या परिसर से सम्बन्धित किसी बात के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाहियों, वाद, लेखा, दावा और मांग से मुक्त और उन्मोचित करके बन्धककर्ता, उसके दायादों, निष्पादकों, प्रशासकों और समानुदेशितियों को स्वीकृत, समानुदेशित और प्रतिहस्तान्तरित करते हैं और राज्यपाल एतदूद्वारा बन्धककर्ता उसके दायादों, निष्पादकों, प्रशासकों और समानुदेशितियों के साथ यह प्रसंविदा करते हैं कि राज्यपाल ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया या जानबूझ कर नहीं होने दिया है या ऐसी किसी बात के पक्षकार या उसके संसर्गी नहीं रहे हैं जिससे उक्त परिसर या उसका कोई भाग, हक, सम्पदा में या अन्यथा किसी भी प्रकार से अभियोजित, भारग्रस्त या प्रभावित है या किया जा सकता है।

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने ऊपर प्रथम उल्लिखित दिनांक एवं वर्ष को इस विलेख पर अपने हस्ताक्षर किये हैं और मुहर लगाई है।

2-इस विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क का, यदि कोई हो, वहन और भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायगा।

निम्नलिखित की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिये और उनकी ओर से ____________________________ द्वारा हस्ताक्षर किया गया, मुहर लगाई गयी और दिया गया :

(1) ____________________________

(2) ____________________________

प्रपत्र संख्या-4
(नियम-19 देखिये)

वाहन क्रय करने के लिये अग्रिम लेते समय निष्पादित किये जाने वाले करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनांक______________________दो हजार__________ तद्नुसार शक संवत् दिनांक____________________200____________को श्री/श्रीमती/कुमारी________________________________ आत्मज/पत्नी/आत्मजा ___________________निवासी______________________________(पदनाम) राज्य विधान सभा/परिषद् के सदस्य/भूतपूर्व सदस्य (जिसे "आगे उधार लेने वाला" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उसके विधिक प्रतिनिधि और समानुदेशिती भी है) एक पक्ष और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्यपाल" कहा गया है) दूसरे पक्ष के बीच किया गया ;

चूंकि उधार लेने वाले ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त उसका कोई संशोधन भी है) मोटर कार/जीप क्रय करने के लिये ________________________रुपये (केवल __________________________रुपये) ऋण की स्वीकृति के लिये राज्यपाल को आवेदन किया है और राज्यपाल आगे दिये गये निर्बन्धनों और शर्तों पर उधार लेने वाले को उक्त धनराशि उधार देने के लिये सहमत हैं ;

अतएव अब इस विलेख के समय पक्षकारों के मध्य एतद्द्वारा यह करार किया जाता है कि राज्यपाल द्वारा उधार लेने वाले को_____________________ रुपये केवल____________रुपये (की धनराशि का भुगतान किये जाने) जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाला एतद्द्वारा स्वीकार करता है के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला राज्यपाल से यह करार करता है कि (1) उधार लेने वाला राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में उसे प्राप्त होने वाले, वेतन, यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, प्रतिकर आवास भत्ते और अन्य भत्ते में से या उक्त नियमावली में यथा उपबंधित अपनी पेंशन या उसे प्राप्त होने वाली किसी अन्य धनराशि से मासिक कटौती कराकर जिसके लिये उधार लेने वाला एतद्द्वारा राज्यपाल को प्राधिकृत करता है, उक्त धनराशि उस पर उक्त नियमावली के अनुसार संगणित ब्याज सहित राज्यपाल को भुगतान करेगा और (2) इस विलेख के निष्पादन के

दिनांक से एक मास के भीतर उक्त ऋण की सम्पूर्ण धनराशि मोटर कार, जीप क्रय करने में व्यय करेगा तथा यदि भुगतान किया गया वास्तविक मूल्य ऋण की धनराशि से कम है तो अन्तर की धनराशि राज्यपाल को तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा और (3) उक्त मोटर कार/जीप को स्वीकृत ऋण व उस पर संगणित ब्याज की धनराशि की प्रतिभूतिस्वरूप राज्यपाल के पक्ष में आडमान करते हुए उक्त नियमावली में दिये हुए, प्रपत्र में आडमान एक विलेख निष्पादित करेगा ;

और एतद्द्वारा अग्रेतर यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मोटर कार/जीप को इस विलेख के दिनांक से एक मास के भीतर उपर्युक्त के अनुसार खरीदा और आडमान नहीं रखा जाता है या यदि उधार लेने वाला उस अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या चाहे किसी भी कारण से राज्य विधान मण्डल का सदस्य नहीं रह जाता है और पेंशन का हकदार नहीं होता है या चाहे किसी भी कारण से उसे पेंशन नहीं मिलती है या पेंशन मिलना बन्द हो जाती है या ऋण की प्रतिसंदाय किस्त या उस पर ब्याज का भुगतान करने में असफल रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऋण की सम्पूर्ण धनराशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज तुरन्त देय और संदेय हो जायेगा ;

और उधार लेने वाला एतद्द्वारा यह करार करता है और घोषणा करता है कि राज्यपाल, प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् के प्रमाण-पत्र पर जो अन्तिम, निश्चायक और उधार लेने वाले पर बाध्यकर होगा इसके अधीन समस्त देयों को उधार लेने वाले से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकते हैं और अन्ततः यह करार किया जाता है ओर घोषणा की जाती है कि राज्यपाल उक्त अग्रिम के अतिशेष और अदत्त ब्याज को उधार लेने वाले के विधिक प्रतिनिधियों और समानुदेशितों से,किसी भी रीति से वसूल करने के हकदार होंगे।

जिसके साक्ष्य में उधार लेने वाले ने ऊपर प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है।

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त__________________________ द्वारा हस्ताक्षर किया गया।

(नाम पता सहित)

1____

2____

प्रपत्र संख्या-5

मोटर कार/जीप अग्रिम के लिये बन्धक-पत्र का प्रपत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांक -- दो हजार ------- ---------------- तद्नुसार शक संवत् दिनांक -- 200 ------------------------------ को श्री/श्रीमती/कुमारी ---------------------------- आत्मज/पत्नी/आत्मजा ------------------------------- निवासी (पदनाम) राज्य विधान सभा/परिषद् सदस्य/भूतपूर्व सदस्य (जिसे आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है) एक पक्ष और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्यपाल" कहा गया है) दूसरे पक्ष के बीच किया गया ;

चूंकि उधार लेने वाले ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त उसका कोई संशोधन या परिवर्द्धन भी है) के निर्बन्धनों के अधीन मोटर कार/जीप (जिसे आगे "उक्त वाहन" कहा गया है) क्रय करने के लिये ------------------ रुपये (केवल ---------------- रुपये) के अग्रिम के लिये आवेदन किया है/था और उसे उसकी स्वीकृति दी गयी है ;

और चूंकि उन शर्तों में से जिन पर उधार लेने वाले को उक्त अग्रिम दिया गया है/था एक शर्त यह है/थी कि उधार लेने वाले को उधार दी गयी धनराशि के लिये प्रतिभूति स्वरूप उधार लेने वाला उक्त वाहन को राज्यपाल के प्रति आडमान करेगा ;

और चूंकि उधार लेने वाले ने उपर्युक्त दी गई धनराशि से या अंशतः उससे उक्त वाहन जिसके विवरण इसके नीचे लिखित अनुसूची में दिये गये हैं, क्रय कर लिया है ;

अब यह अनुबन्ध इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रगतिफल के लिये उधार लेने वाला एतद्द्वारा राज्यपाल को ------------------ रुपये (केवल ------------------ रुपये) की पूर्वोक्त धनराशि प्रत्येक मास की प्रथम दिन को ------------------------------ रुपये प्रत्येक के समान संदायों द्वारा भुगतान करने की प्रसंविदा करता है और उक्त नियमावली के अनुसार तत्समय देय और बकाया धनराशि पर संगणित ब्याज का भुगतान करेगा और उधार लेने वाला सहमत है कि ऐसे भुगतान उक्त नियमावली द्वारा उपबन्धित रीति से उसके वेतन और अन्य भत्तों से मासिक कटौती द्वारा वसूल कर लिये जाय, और उक्त करार के अनुसरण में उधार लेने वाली एतद्द्वारा उक्त वाहन को जिसके विवरण इसके नीचे लिखित अनुसूची में दिये गये हैं, उक्त अग्रिम और उक्त नियमावली द्वारा यथा अपेक्षित उस पर ब्याज के लिये प्रतिभूति के रूप में राज्यपाल को समानुदेशित और अन्तरित करता है ;

और उधार लेने वाला एतद्द्वारा करार करता है और घोषणा करता है कि उसने उक्त वाहन के क्रय मूल्य का पूर्ण भुगतान कर दिया है और यह कि यह वाहन उसकी आन्यंतिक सम्पत्ति है और उसने इसे गिरवी नहीं रखा है और जब तक उक्त अग्रिम के सम्बन्ध में कोई धनराशि राज्यपाल को संदेय रहती है वह उक्त वाहन की सम्पत्ति को न बेचेगा,न गिरवी रखेगा, न विलय करेगा और न उसका कब्जा छोड़ेगा, परन्तु सदैव यह कि और एतद्द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मूल धनराशि की उक्त किसी किश्त अथवा ब्याज का भुगतान या उसकी वसूली उनके देय होने के दस दिन के भीतर उपर्युक्त रीति से न हो या यदि उधार लेने वाला चाहे किसी भी कारण से विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय और पेंशन का हकदार न हो या चाहे किसी भी कारण से उसे पेंशन न मिले या पेंशन मिलना बन्द हो जाय या वह ऋण की प्रतिसंदाय किस्त या उस पर ब्याज का भुगतान करने में असफल रहे या उसकी मृत्यु हो जाय या यदि उधार लेने वाला उक्त प्रसंविदा की सम्पत्ति को बेच दे या गिरवी रख दे या विलय कर दे या उक्त वाहन का कब्जा छोड़ दे या दिवालिया हो जाय या अपने लेनदारों के साथ समझौता या ठहराव करे या यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के विरुद्ध किसी डिक्री या निर्णय के निष्पादन में कोई कार्यवाही करे तो उक्त मूल धनराशि का सम्पूर्ण भाग जो उस समय देय और अदत्त बचा होगा उस पर यथा पूर्वोक्त संगणित ब्याज सहित तुरन्त संदेय हो जायगा और एतद्द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि इसके पूर्व उल्लिखित किसी भी बात के होने पर राज्यपाल उक्त वाहन को अभिगृहीत कर सकते हैं और कब्जे में ले सकते हैं और या तो उसे हटाये बिना कब्जे में रख सकते हैं या उसे अन्यत्र हटा सकते हैं और या तो सार्वजनिक नीलाम द्वारा या असार्वजनिक संविदा द्वारा बेच सकते हैं और विक्रय धनराशि में से उक्त अग्रिम की उस समय अदत्त बच रही अतिशेष धनराशि और यथा पूर्वोक्त संगणित उस पर देय कोई ब्याज और अनुरक्षण करने, प्रतिवाद करने या इसके अधीन अपने अधिकारों को कार्यान्वित करने में समुचित रूप से उपगत या किये गये सभी खर्च, प्रभार, व्यय और भुगतान हेतु रोक सकते हैं और अतिशेष, यदि कोई हो को उधार लेने वाले, उसके निष्पादकों, प्रशंसकों या निजी प्रतिनिधियों को भुगतान कर देंगे परन्तु यह और कि उक्त वाहन को कब्जे में लेने या बेचने की पूर्वोक्त शक्ति राज्यपाल के, उधार लेने वाले या उसके निजी प्रतिनिधियों पर उक्त देय और ब्याज के बाकी रह जाने या उक्त वाहन के ऐसी धनराशि पर बेचे जाने की दशा में जिससे शुद्ध विक्रय धनराशि प्राप्त धनराशि से कम रह जाय, वाद लाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और उधार लेने वाला एतद्द्वारा यह भी करार करता है कि जब तक कोई धनराशि राज्यपाल को संदेय और प्राप्त रहे वह, उधार लेने वाला,

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित की जाने वाली बीमा कंम्पनी से बीमाकृत करके उक्त वाहन को अग्नि, चोरी या दुर्घटना से हानि या क्षति के विरुद्ध सुरक्षित रखेगा और महालेखाकार का समाधान करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि मोटर इन्श्योरेन्स कम्पनी जिससे उक्त वाहन का बीमा कराया गया है, को यह नोटिस प्राप्त हो गया है कि राज्यपाल उस पालिसी से हितबद्ध हैं और उधार लेने वाला एतद्द्वारा यह भी करार करता है कि वह उक्त वाहन को नष्ट या क्षतिग्रस्त या उसके युक्तियुक्त अवक्षयण से होने वाले क्षय से अपेक्षाकृत अधिक क्षय नहीं होने देगा और यह भी कि उक्त वाहन को कोई क्षति पहुंचने या दुर्घटना होने पर उधार लेने वाला तुरन्त उसकी मरम्मत करायेगा और ठीक करवा लेगा, और एतद्द्वारा उधार लेने वाला यह भी करार करता है और घोषणा करता है कि राज्यपाल, प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् के प्रमाण-पत्र पर जो अन्तिम, निश्चायक और उधार लेने वाले पर बाध्यकर होगा इसके अधीन सभी देयों को उधार लेने वाले से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकते हैं।

जिसके साक्ष्य में उक्त ---------------------- (उधार लेने वाला) ने ऊपर प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है।

अनुसूची

वाहन का विवरण :

निर्माता का नाम :

विवरण :

सिलेण्डरों की संख्या :

इंजन का संख्यांक :

चेसिस का संख्यांक :

लागत मूल्य :

उधार लेने वाले द्वारा हस्ताक्षरित :

निम्नलिखित की उपस्थिति में उधार लेने वाले द्वारा हस्ताक्षर किया गया :

दो साक्षी

(1) -------------------------------- और

(2) -------------------------------------

आज्ञा से,

श्रीनाथ सहाय,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग-1

संख्या-487सं/17-1-88-34 सं0-87

लखनऊ, 15 फरवरी, 1988

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980) की धारा-5 के परन्तुक के साथ पठित धारा-30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988 कही जायगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2- इस नियमावली में,-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 से है;

(ख) ''अधिक सामान प्रभार'' का तात्पर्य इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा अधिक सामान ले जाने के लिये उद्ग्रहीत या संग्रहीत प्रभार से है;

(ग) ''इण्डियन एयर लाइन्स '' का तात्पर्य वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 3 के अधीन इस नाम से स्थापित निगम से है और इसके अन्तर्गत इण्डियन एयर लाइन्स की ओर से या उसके सहयोग से या अन्यथा वायुयान द्वारा परिवहन सेवा प्रदान करने में लगा हुआ कोई व्यक्ति या निकाय भी है;

(घ) ''प्रकीर्ण प्रभार आदेश'' का तात्पर्य वायुयान द्वारा परिवहन सेवा के लिये इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश से है।

[3-(1) कोई सदस्य जो अधिनियम की धारा-5 के परन्तुक के अधीन वायुयान द्वारा यात्रा करने का विकल्प करता है, प्रमुख सचिव को अपना विकल्प देगा जिसमें वर्ष के दौरान उसके द्वारा अपेक्षित वायुयान कूपनों के मूल्य को इंगित किया जायेगा। प्रकीर्ण प्रभार आदेश की व्यवस्था और उसकी सम्पूर्ति

(2) प्रमुख सचिव, इण्डियन एयर लाइन्स से, सम्बन्धित सदस्य के नाम इंगित मूल्य के प्रकीर्ण प्रभार आदेश के क्रय के लिये और अप्रयुक्त प्रकीर्ण प्रभार आदेश की वापसी के लिये भी व्यवस्था करेगा।

(3) प्रमुख सचिव सम्बद्ध सदस्य को अधिनियम की धारा-5 के परन्तुक में निर्दिष्ट वायुयान यात्रा कूपन, उप नियम (2) के अधीन क्रय किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश के रूप में जारी करेगा।

(4) इस नियम के अधीन जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश का उपयोग किसी सदस्य के द्वारा अपनी निजी यात्रा के लिए किया जाएगा और उनके द्वारा अपने साथ सहवर्तियों या परिवार के सदस्यों को ले जाने के लिए भी किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि जहां किसी सदस्य ने प्रमुख सचिव द्वारा जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश का बिना उपयोग किये इण्डियन एयर लाइन्स से भिन्न किसी एयर लाइन्स द्वारा भारत में भ्रमण के लिये कोई यात्रा की हो, तो वहां ऐसे सदस्य को नियम 10-क के अधीन वायुयान टिकट को प्रस्तुत करने पर ऐसी यात्रा हेतु उसके द्वारा क्रय किये गये वायुयान टिकट के मूल्य के बराबर धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।][1]

[4-(1) इण्डियन एयरलाइन्स के किसी बुकिंग कार्यालय में प्रकीर्ण प्रभार आदेश प्रस्तुत करने पर, सदस्य अपने लिये और अपने सहवर्तियों या परिवार के सदस्यों के लिए भी प्रकीर्ण प्रभार आदेश के विरुद्ध स्वयं की यात्रा के लिये और अपने सहवर्तियों या परिवार के सदस्यों के लिए जिनके लिए ऐसे सदस्य द्वारा वायुयान टिकट के लिए आवेदन किया जाय, वायुयान टिकट प्राप्त कर सकता है।][2]

(2) यदि उप नियम (1) के अधीन जारी किये गये वायुयान टिकट का मूल्य प्रकीर्ण प्रभार आदेश के मूल्य से कम हो तो शेष धनराशि के लिये सम्बन्धित सदस्य के नाम से नया प्रकीर्ण प्रभार आदेश जारी किया जायगा और वायुयान टिकट जारी करते समय उसे दे दिया जायेगा।

---

[1]-अधिसूचना संख्या-842/90-सं-1-2013-52-सं-2013, दिनांक 22 अगस्त, 2013 द्वारा संशोधित।

[2]-अधिसूचना संख्या-41/सात-सं/1-2006-85-सं/2004, दिनांक 5 जनवरी, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

यात्रा का रद्द किया जाना

5-यदि वायुयान टिकट प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात् आशयित यात्रा रद्द कर दी जाय तो टिकट रद्द करते समय सम्बन्धित सदस्य का नाम प्रत्यर्पणीय धनराशि के लिये नया प्रकीर्ण प्रभार आदेश जारी किया जायगा और सम्बन्धित सदस्य को कोई भी धनराशि नकद भुगतान नहीं की जायेगी।

[परन्तु यह कि यदि उक्त यात्रा वर्ष के अंतिम दिन के पश्चात् की जाती है तो ऐसी यात्रा के रद्दीकरण की दशा में, टिकट को रद्द करते समय प्रत्यर्पणीय धनराशि के लिए कोई नया प्रकीर्ण प्रभार आदेश जारी नहीं किया जायेगा और सम्बन्धित एयर लाइन्स द्वारा किराये के बराबर की धनराशि, यथास्थिति, विधान सभा सचिवालय या विधान परिषद् सचिवालय में जमा कर दी जायेगी।][1]

प्रकीर्ण प्रभार आदेश की विधिमान्यता

6-नियम-3 के उप नियम (3) के अधीन जारी किया गया प्रकीर्ण प्रभार आदेश जारी किये जाने के दिनांक से वर्ष के अन्तिम दिन तक विधिमान्य होगा।

प्रकीर्ण प्रभार आदेश के प्रयोग पर निर्बंधन

7-नियम-3 के उप नियम (3) के अधीन जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश का प्रयोग केवल भारत में यात्रा के लिये वायुयान टिकट के क्रय के लिए ही किया जायगा और अधिक समान प्रभार या किसी अन्य प्रभार के मद्दे भुगतान करने के लिये विधिमान्य नहीं होगा।

अधिनियम और नियमों के उल्लंघन में की गयी वायुयान यात्रा के लिए कटौती

8-जहां वायुयान द्वारा कोई यात्रा अधिनियम या इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में न करके विभिन्न रूप में की गयी हो, वहां प्रमुख सचिव ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक या प्रतिकर आवास या किसी अन्य भत्ता बिल में ऐसी यात्रा के लिये क्रय किये गये वायुयान टिकट के मूल्य के बराबर धनराशि काट कर आवश्यक समायोजन करेगा।

---

[1]-अधिसूचना संख्या : 842/90-सं-1-2013-52 सं-2013, दिनांक 22 अगस्त, 2013 द्वारा बढ़ाया गया।

9-प्रत्येक सदस्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष 8 जून तक प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करेगा और समस्त अप्रयुक्त प्रकीर्ण प्रभार आदेशों को संलग्न करेगा और यदि कोई सदस्य ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे नये प्रकीर्ण प्रभार आदेश जारी नहीं किये जायेंगे। नया प्रकीर्ण प्रभार आदेश जारी करना

10-किसी सदस्य को कोई प्रकीर्ण प्रभार आदेश एक वर्ष या वर्ष के भाग के लिये अग्रिम रूप में जारी नहीं किया जायेगा। कोई अग्रिम प्रकीर्ण प्रभार आदेश जारी नहीं किया जायगा

[10-क-पूर्ववर्ती व्यवस्था के अतिरिक्त जब कोई सदस्य प्रकीर्ण प्रभार आदेश का प्रयोग किये बिना इण्डियन एयर लाइन्स से भिन्न किसी एयर लाइन्स द्वारा नियम 3 में निर्दिष्ट कोई यात्रा करता है, तो प्रमुख सचिव, वायुयान टिकट और बोर्डिंग पास के साथ प्रपत्र-दो में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसे सदस्य को वायुयान टिकट के मूल्य के बराबर की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा।][1] वायुयान किराया की प्रतिपूर्ति

[11-..][2]

1-अधिसूचना संख्या-842/90-सं-1-2013-52 सं-2013, दिनांक 22 अगस्त, 2013 द्वारा बढ़ाया गया।

2-उ0प्र0 शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-2, पत्र संख्या-जी-2-175/दस-2011-601/2011, दिनांक : 31 मार्च, 2011 के क्रमांक 2 (11) के द्वारा उक्त प्रावधान की प्रासंगिकता न रह जाने के कारण निकाला गया।

प्रपत्र-1

नये प्रकीर्ण प्रभार आदेश के लिये अनुरोध करने का प्रपत्र

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988 का नियम-8 देखिये]

सदस्य का नाम --

सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद् ------------------------------------

जिला --

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि मुझे जारी किये गये समस्त प्रकीर्ण प्रभार आदेशों का मैंने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपयोग कर लिया है, सिवाय ---------------- रुपये के मूल्य के प्रकीर्ण प्रभार आदेशों के जिन्हें मैंने अप्रयुक्त प्रकीर्ण प्रभार आदेश के रूप में वापस कर दिया है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि मैंने प्रमुख सचिव को रद्द की गयी यात्राओं के ब्योरे प्रस्तुत कर दिये हैं।

अप्रयुक्त प्रकीर्ण प्रभार आदेश के ब्योरे ---

हस्ताक्षर

(नाम) ---------------------

(दिनांक) -------------------

आज्ञा से,

श्रीनाथ सहाय,

सचिव।

[प्रपत्र-2

वायुयान टिकट के मूल्य की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र, जब यात्रा इण्डियन एयर लाइन्स से भिन्न किसी एयर लाइन्स द्वारा की जाय।

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988 का नियम-8 देखिये।]

1-सदस्य का नाम ....

2-पता (1) लखनऊ में ....

....

(2) स्थायी ....

....

3-यात्रा का दिनांक ....

4-... से .... तक

5-एयर लाइन्स का नाम .... 6-यात्रा का समय ....

7-टिकट नम्बर (मूल रूप में प्रस्तुत) ....

8-बोर्डिंग पास नम्बर (मूल रूप में प्रस्तुत) ....

9-किराये की धनराशि ....

10-कोई अन्य सूचना ....

11-मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि :-

(एक) उपर्युक्त यात्राओं हेतु वायुयान टिकट के मूल्य की प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रथम बार किया जा रहा है और इसके पूर्व आहरित नहीं किया गया था।

(दो) नियम-3 के अधीन जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश का उपयोग उपर्युक्त यात्रा हेतु नहीं किया गया था।

हस्ताक्षर :

(नाम)

(दिनांक)

आज्ञा से,

एस0 के0 पाण्डेय,

प्रमुख सचिव।][2]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952[1]

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1952
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1956
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1961
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1961
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1970
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41, 1972 तथा
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1990]

1–उ0प्र0 अधिनियम संख्या 41, सन् 1972 द्वारा प्रतिस्थापित।

2–अधिसूचना संख्या : 842/90-सं-1-2013-52 सं-2013, दिनांक 22 अगस्त, 2013 द्वारा बढ़ाया गया।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के अधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्तों की व्यवस्था के निमित्त अधिनियम

संक्षिप्त नाम और आरम्भ

संविधान के अनुच्छेद 186 में यह व्यवस्था की गई है कि "विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद् के सभापति और उप-सभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे क्रमशः राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा नियत करे"

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952" होगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

[अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप-सभापति का वेतन]

2-[(1)][2] उत्तर प्रदेश विधान सभा के [अध्यक्ष और उपाध्यक्ष][1] को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के [सभापति और उप-सभापति] को [बारह हजार रुपये मासिक][3] वेतन दिया जायेगा।

[(2) उक्त वेतन तत्समय प्रवृत्त आय-कर से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन उसके सम्बन्ध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुये) देय कर से अतिरिक्त होगा और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा।][4]

3-[* * * * *][5]

उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 19 मई, 1952 के के असाधारण गजट को देखिये।

[अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप सभापति][2] के लिये बिना किराये के सुसज्जित निवास स्थान

[4-[(1)] अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप सभापति][2] में प्रत्येक को लखनऊ में उनकी पूरी पदावधि पर्यन्त [×××××][4] बिना किराये का सुसज्जित निवास स्थान पाने का भी अधिकार होगा। उक्त निवास स्थान का रख-रखाव सार्वजनिक व्यय से ऐसे मान (Scale) अथवा मानों के अनुसार होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किया

1-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 41, सन् 1972 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित।
2-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7, सन् 1969 द्वारा पुनः संख्यांकित।
3-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 10, सन् 2004 एवं अधिनियम सं0 9 सन् 2010 द्वारा संशोधन।
4-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7, सन् 1961 द्वारा बढ़ाया एवं निकाला गया।
5-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 41, सन् 1972 द्वारा निकाला गया।

जायं][1]

[स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में रख-रखाव के अन्तर्गत स्थानीय-कर तथा करों का भुगतान करना और जल की व्यवस्था करना और 100 रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुये जिसके अन्तर्गत (विद्युत ड्यूटी भी है) विद्युत की व्यवस्था करना भी है।][3]

[(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति जिसके उपयोग के लिये उपधारा (1) के अधीन निवास स्थान की व्यवस्था की गई हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् ऐसे निवास स्थान को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उस निवास-स्थान का कब्जा ले सकेगा और ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।][2]

"3[(3) अध्यक्ष और सभापति प्रत्येक को अपने गृह जनपद में अपने निजी निवास स्थान के रख-रखाव के लिये यथा स्थिति ऐसे अध्यक्ष या सभापति के रूप में उनके निर्वाचन के दिनांक से [पन्द्रह हजार रुपये][7] प्रतिमाह पाने का हकदार होगा।"[3]

4-क (*)[4]

[अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप सभापति][4] के लिये परिवहन

5-[अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप सभापति][5] के उपयोग के लिये उपयुक्त परिवहन की भी व्यवस्था की जायेगी जिनका क्रय और रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार सार्वजनिक व्यय से होगा।

5-क (*)[6]

अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप सभापति के भत्ते

6-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उप सभापति को सार्वजनिक कार्य के लिये यात्रा के निमित्त ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर जो राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों से अवधारित किये जायें यात्रिक और दैनिक भत्ता पाने का अधिकार होगा।

1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10 सन् 2004 द्वारा संशोधित।

2-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5 सन् 1990 द्वारा धारा 4, उसकी उप धारा (1) के रूप में संख्याकित और उपधारा (2) बढ़ायी गयी।

3-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30 सन् 1998 द्वारा दिनांक 27 मार्च, 1997 में बढ़ायी गयी।

4-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41 सन् 1972 द्वारा निकाली गयी।

5-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 32 सन् 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।

6-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 08 सन् 1956 द्वारा निकाली गयी।

7-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21 सन् 2005 एवं अधिनियम सं0 9 सन् 2010 द्वारा संशोधित।

यू0 पी0 ऐक्ट सं0 5, 1937 का निरसन

7-यू0 पी0 लेजिस्लेचर (आफिसर्स सेलेरीज) ऐक्ट, 1937 का निरस्त होगा और एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

नियम

8-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(2) उक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए [धारा-2 से 4-क तक उल्लिखित करो][1] को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने और उनके पुनः भुगतान की व्यवस्था ऐसे नियमों में की जा सकती है।

[(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमित सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।][1]

1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07 सन् 1969 द्वारा प्रतिस्थापित।

वित्त विभाग

विविध

14 मार्च, 1956 ई0

संख्या जी-2-512/210-617-46-उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों के (वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 ई0 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-10, 1952 ई0) की धारा-4 की उपधारा (3) तथा धारा-6 की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके तथा सरकारी आज्ञा संख्या-जी-2185/10-617-46, दिनांक 10 नवम्बर, 1947 (जैसी कि वह सरकारी आज्ञा संख्या जी-2-735/10-633-46, दिनांक 22 जुलाई, 1949 द्वारा संशोधित हुई है) के साथ जारी किये गये नियमों का अवक्रान्त करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय संलग्न अनुसूची के भाग 1 में दिये हुए नियम बनाते हैं।

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 ई0 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, 1952 ई0) की धारा-6 तथा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय--

(1) आदेश देते हैं कि संलग्न अनुसूची के भाग-1 में उल्लिखित नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित, अध्यक्ष (Speaker) तथा सभापति (Chairman) के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, मानों वे उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये हों और मानों शब्द "मंत्री" के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आया हो, यथास्थिति शब्द "अध्यक्ष" अथवा "सभापति" रख दिये गये हों; और

(2) सरकारी आज्ञा संख्या जी0 2185/10-6-617-46, दिनांक 10 नवम्बर, 1947 (जैसी कि वह सरकारी आज्ञा संख्या जी0-2-735/10-635-46, दिनांक 22 जुलाई, 1949 द्वारा संशोधित हुई है) के साथ जारी किये गये नियमों को अवक्रान्त करके संलग्न, अनुसूची के भाग-2 में दिये हुए नियम बनाते हैं।

अनुसूची

भाग-1

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के (यात्रा संबंधी सुविधाओं तथा भत्तों के) नियम, 1955 ई0

1-(क) ये नियम उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के (यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं तथा भत्ते के) नियम, 1955 ई0 कहलायेंगे।

(ख) ये तुरन्त प्रचलित होंगे।

2-यदि मंत्री रेल द्वारा यात्रा करें तो वे निम्नलिखित के अधिकारी होंगे :-

(क) उस गाड़ी (Train) में जिससे यात्रा की जाय उपलब्ध उच्चतम श्रेणी के रक्षित (Reserved) डिब्बे के,

(ख) यदि स्थितिवश आवश्यक प्रतीत हों तो विशेष कैरिज के, वह यदि उपलब्ध हो।

(ग) चार से अनधिक वैयक्तिक परिचारकों (Personal attendants) के निम्नतम श्रेणी के किराये से वास्तव में दिये गये रेल के किराये के, चाहे वे मंत्री के साथ यात्रा करें या उनके पहले या बाद में रेल की यात्रा करें,

(घ) समस्त निजी सामान (Personal luggage) के परिवहन (Conveyance) के, चाहे उसे गाड़ी के लगेज वैन में ले जाया जाय या अन्य गाड़ी से भेजा जाय,

(ङ) मोटर कार के परिवहन (Conveyance) के सम्पूर्ण व्यय के, यदि उसका उपयोग सार्वजनिक हित में की गयी यात्राओं के लिये ही किया गया हो।

टिप्पणी 1-मंत्री, बिना कोई किराया दिये, गाड़ी में रक्षित स्थान (Reserved accommodation) में अपने साथ अपने कुटुम्ब के सदस्यों, अपने सभा सचिवों और वैयक्तिक सचिवों को या ऐसे अन्य सरकारी, गैर सरकारी व्यक्तियों को, जो उनके साथ उस रक्षित स्थान में यात्रा कर रहे हों, ले जा सकते हैं, किन्तु उनकी संख्या उस संख्या से अधिक न होगी जिसके लिये रेलवे ने उस स्थान (Accommodation) को रक्षित करने के निमित्त (Reserving for) किराया लिया हो। नीचे टिप्पणी 2 में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में निर्दिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, रक्षित स्थान में यात्रा करने वाले उतने व्यक्तियों के लिये किराया सीधे रेलवे को अदा किया जाना चाहिए जितने उस संख्या से अधिक हो, जिसकी अनुज्ञा रेलवे ने दी हो और ऐसी दशा में स्थान रक्षित कराने वाले मंत्री को चाहिए कि वे यात्रा आरम्भ करने से पूर्व, ऐसे व्यक्तियों के लिये खरीदे गये टिकटों की संख्या तथा अन्य ब्योरे उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर के द्वारा अधिग्रहण प्रपत्र (Requisition form) में दर्ज करवा लें जहां से यात्रा प्रारम्भ की जाय ऐसा करना इसलिये आवश्यक है कि मंत्री के साथ रक्षित स्थान में यात्रा करने वाले अतिरिक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में रेलवे को दोबारा भुगतान न हो जाय।

टिप्पणी 2-सभा सचिव, वैयक्तिक सचिव या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी, जो मंत्री के साथ रक्षित स्थान (Reserved accommodation) में यात्रा कर रहा हो जब तक कि वह नीचे दी हुई टिप्पणी 3 के अन्तर्गत आता हो, रेल द्वारा यात्रा के उतनी मील के टिकट का मूल्य पाने का अधिकारी न होगा जितने का उस श्रेणी के मूल्य के बराबर हो जिसका किराया उसे सामान्यतः मिल सकता (Ordinarily admissible) हो।

टिप्पणी 3-ऐसी स्थिति में जब वैयक्तिक सहायक (Personal assistant) स्टेनोग्राफर या क्लर्क को सार्वजनिक हित में मंत्री के साथ रक्षित स्थान (Reserved accommodation) में ही यात्रा करना आवश्यक हो, वह ऐसी दशा में भी यात्रा कर

सकता है जब रक्षित स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या उस संख्या से पहले ही अधिक हो जिसके लिये रेलवे द्वारा स्थान रक्षित करने के निमित्त किराया ले लिया गया हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह उस श्रेणी के टिकट खरीद ले, जिसमें यात्रा करने का वह अधिकारी हो। ऐसी स्थिति में मंत्री उस व्यक्ति के यात्रिक भत्ते के प्राप्यक (Bill) पर यह प्रमाणित करेंगे कि वैयक्तिक सहायक, स्टेनोग्राफर या क्लर्क ने लोक सेवा के हित में मेरे साथ रक्षित स्थान में यात्रा की और उसने वास्तव में उस श्रेणी का टिकट खरीदा जिसमें उसे यात्रा करने का अधिकार था। रेलवे का स्थान सुरक्षित रखने के लिये कर्षण सम्बन्धी, जो परिव्यय (Charge on account of haulage) देना पड़ता है, उसमें से उक्त टिकट के मूल्य की धनराशि घटाई नहीं जायेगी।

टिप्पणी-4-ऐसी स्थिति में जब कि यात्रा एयर कन्डीशन (Air conditioned) डिब्बे में की जाय, साधारणतः केवल दो बर्थ वाला कूपे (Couppe) यदि वह उपलब्ध हो, रक्षित किया जायगा।

3-इसके अतिरिक्त मंत्री को रेल का वह किराया पाने का भी अधिकार होगा जो उनके कुटुम्ब के सदस्यों के लिये वास्तव में अदा किया गया हो जो मंत्री के सामान्य निवास स्थान से उनके सरकारी मुख्यावास (Official headquarters) तक या सरकारी मुख्यावास से उनके सामान्य निवास स्थान तक या उनके सामान्य निवास स्थान या सरकारी मुख्यावास से नैनीताल तक या नैनीताल से उसके सामान्य निवास स्थान या सरकारी मुख्यावास तक उनके साथ या उनसे पहले या उनके बाद यात्रा करें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किराये की यह रियायत एक कैलेण्डर वर्ष में मंत्री के सरकारी मुख्यावास और सामान्य निवास स्थान के बीच एक-एक बार आने-जाने के लिये और उसके लिये सरकारी मुख्यावास या सामान्य निवास स्थान और नैनीताल के बीच एक कैलेण्डर वर्ष में एक-एक बार आने-जाने के लिये ही दी जायगी।

4-जब मंत्री सड़क से यात्रा करे तो उन्हें अपने कुटुम्ब के सदस्यों का और चार वैयक्तिक परिचारकों का वास्तविक यात्रिक व्यय अपने इस आशय के प्रमाण-पत्र पर कि जो धनराशि वसूल की जा रही है वह वास्तव में अदा की गयी है प्राप्त करने का अधिकार होगा। ऐसे व्यय के अन्तर्गत निजी सामानों (Personal luggage) से भिन्न भण्डार या सामानों (Stores or goods) के भाड़े (Freight) या जलपान (Refreshment) होटल या डाक बंगलों (Staying bunglow) का व्यय (charge) नहीं है।

स्पष्टीकरण-दौरे में उपभोग के लिये जो भण्डार (store) ले जाया जायेगा उसे निजी सामान समझा जायगा।

5-(1) मंत्री, ड्यूटी पर, भारत के किसी भाग की यात्रा किसी ऐसी सार्वजनिक वायुयान परिवहन कम्पनी (Public air transport company) के वायुयान में कर सकते

हैं, जो नियमित रूप से किराये पर वायुयान चलाती हो, या जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में हों, या उसके द्वारा अधिकृत (charted) हो।

(2) जब मंत्री वायुयान से यात्रा करे तो उन्हें वह किराया यदि कोई हो, जो उन्होंने वायुयान से यात्रा करने के लिये अदा किया हो लेने का अधिकार होगा और साथ ही पैसेन्जर गाड़ी की दरों से रेल द्वारा या सड़क या वायुयान द्वारा भेजे गये अपने निजी सामान (Personal luggage) के लिये सामान भिजवाने का व्यय (cost of transporting) यदि वह वास्तव में अदा किया गया हो और चार से अनधिक वैयक्तिक परिचारकों का, निम्नतम श्रेणी के किराये की दर से, वास्तव में अदा किया गया किराया पाने का अधिकार होगा यदि मंत्री को वायुयान द्वारा की जाने वाली यात्रा के दोनों सिरों पर रेल या सड़क से कोई सम्बद्ध (connected) यात्रा करनी हो उन्हें ऐसी यात्राओं के लिये उपर्युक्त नियम-2 और 4 के अन्तर्गत मिलने वाला यात्रिक भत्ता लेने का अधिकार होगा लेकिन उस स्थलीय परिवहन (surface transport) के लिये कोई भत्ता नहीं लिया जायगा जो वायुयान यात्रा (air journey) का भाग हो और वायुयान द्वारा की गयी यात्रा के लिये दिये गये किराये में सम्मिलित हो।

6-मंत्री को अपने सरकारी मुख्यालय से भिन्न किसी भी स्थान (station) पर, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो या उसके बाहर, किन्तु जो भारत में स्थित हो, उन दिनों के लिये जिनमें वे सरकारी कार्यवश अपने मुख्यालय से अनुपस्थित रहे, वास्तविक व्यय (actual out of pocket expenses) जो उन्होंने अपने पास से किया हो, प्राप्त करने का अधिकार होगा।

7-मंत्री को अपने पद ग्रहण करने के समय अपने घर से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यालय तक या उस पहाड़ी स्थान (hill station) तक, जहां सरकार तत्समय अल्पावकाश (recessing) पर हो, जाने के लिये इन नियमों के अधीन यात्रा सम्बन्धी समस्त सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। पद रिक्त करने वाले मंत्री को भी यथास्थिति सरकार के मुख्यालय या पहाड़ी स्थान से अपने घर तक जाने के लिये यात्रा सम्बन्धी उपर्युक्त सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार होगा।

भाग-2

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के पदाधिकारियों के (यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं तथा भत्तों) के नियम, 1955

1-(क) ये नियम "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के (पदाधिकारियों के यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं तथा भत्तों के) नियम, 1955 ई0" कहलायेंगे।

(ख) ये तुरन्त प्रचलित होंगे।

2-विधान सभा के अध्यक्ष (Speaker) और विधान परिषद् के सभापति (Chairman) को सरकारी कार्य, (इस पद के अन्तर्गत नियोजन, रचनात्मक कार्य, शिक्षा, जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी समारोह तथा इसी प्रकार के अन्य समारोह हैं) के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये या पद ग्रहण या रिक्त करने के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये भाग-1 के नियमों में उल्लिखित यात्रा सम्बन्धी समस्त सुविधायें और भत्ते प्राप्त करने का अधिकार होगा सिवाय इसके कि उक्त नियमों के नियम-2 की टिप्पणी-1 के अन्तर्गत वे रक्षित स्थान में अपने साथ केवल अपने कुटुम्ब के सदस्यों या अपने वैयक्तिक सहायक, स्टेनोग्राफर या क्लर्क को ले जा सकते हैं जिनकी संख्या उस संख्या से अधिक न होना चाहिए जिसके लिये स्थान रक्षित करने के निमित्त रेलवे ने किराया लिया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि देश के बाहर सरकारी कार्य के सम्बन्ध में की गयी किसी भी यात्रा के लिये राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

3-उन व्यक्तियों को छोड़कर, जो उपर्युक्त नियम-2 के अन्तर्गत आते हों, या जब भाग-1 के नियमों के नियम-2 के नीचे दी हुई टिप्पणी-3 लागू होती हो, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति का किराया, जो अध्यक्ष या सभापति के साथ रक्षित स्थान में यात्रा करें, रेलवे को रक्षित स्थान की श्रेणी का टिकट खरीद कर अवश्य अदा किया जाना चाहिए और रक्षित स्थान में की गयी यात्रा के सम्बन्ध में यात्रिक भत्ते के प्रत्येक प्राप्यक में अध्यक्ष या सभापति को उन व्यक्तियों की संख्या निर्दिष्ट कर देनी चाहिए जिन्होंने उनके साथ यात्रा की हो और यह प्रमाणित कर देना चाहिए कि आवश्यक टिकट खरीद लिये गये थे।

भाग-1 तथा 2 में उल्लिखित समस्त उच्च अधिकारियों के सम्बन्ध में लागू होने वाली सामान्य टिप्पणियां

टिप्पणी-1-स्थान रक्षित कराने वाले अधिकारी के लिये वह अपेक्षित होगा कि वह यात्रा प्रारम्भ करने से पहले अपने साथ रक्षित स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिये खरीदे गये टिकटों की संख्या तथा अन्य ब्योरे अधिग्रहण प्रपत्र (Requisition-form) में उस स्टेशन के, जहां से यात्रा आरम्भ की जाय, स्टेशन मास्टर से दर्ज करा लें। यह इसलिये आवश्यक है कि रेलवे द्वारा वसूल किये गये किराये के सम्बन्ध में सरकार और रेलवे अधिकारियों के बीच सन्धान (adjustment) किया जा सके।

टिप्पणी-2-अधिकारी स्वविवेक से अपने वैयक्तिक परिचारकों को अपने साथ रक्षित स्थान में यात्रा करने की अनुमति दे सकता है, किन्तु ऐसे स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या उन बर्थों की संख्या तक सीमित रहेगी जिन्हें रक्षित करने के लिये किराया अदा किया गया हो।

टिप्पणी-3-अधिकारी के साथ उसके रक्षित स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिये टिकट खरीदने के निमित्त रेलवे को, जो किराया दिया गया हो, उसका सन्धान निम्नलिखित रूप में किया जायेगा :

(क) केवल अधिकारी के प्रयोग के लिये रक्षित (reserved) किये गये ऐसे सैलून की दशा में जिसके लिये विशेष कर्षण दरें (haulage rates) देय हों, अर्थात ऐसे सैलून जिसके लिये ब्याज, संधारण और मूल्यांपकर्ष व्यय (Interest, Maintenance and Depreciation) सरकार द्वारा दिये जाते हैं, जब परिचारकों को छोड़कर उस सैलून में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 4 से अधिक हो तो यात्रा करने वाले 4 से अधिक जितने भी व्यक्ति होंगे (inexcess of four) उन सब का किराया रेलवे अपने पास रख लेगी।

(ख) रेलवे के साधारण स्टाफ के सैलून की दशा में जिसके लिये सार्वजनिक दरों के अनुसार व्यय (Charges) देय हो, जब सैलून में यात्रा करने वाले व्यक्तियों का वास्तविक किराया सैलून के लिये देय न्यूनतम किराये से अधिक हो, तो इस प्रकार इन दोनों धनराशियों का जो अन्तर होगा उसे रेलवे अपने पास रख लेगी।

(ग) कम्पार्टमेन्ट की दशा में जब यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या उस न्यूनतम संख्या से अधिक हो, जिसके लिये कम्पार्टमेन्ट सर्वसाधारण के लिये रक्षित किया जा सकता हो, तो यात्रा करने वाले उतने व्यक्तियों का किराया रेलवे अपने पास रख लेगी जितने उक्त न्यूनतम संख्या से अधिक (inexcess) होंगे।

टिप्पणी-किरायों के उस भाग की धनराशि जो रेलवे द्वारा अपने पास नहीं रखी जायेगी, उस विभाग के नाम, जो रक्षित स्थान के कर्षण (haulages) का व्यय वहन करे, रेलवे द्वारा उन प्राप्यकों (bill) में से काटकर जमा कर दी जायेगी जो सम्बद्ध विभाग को प्रस्तुत किये जायें।

टिप्पणी-4-ड्यूटी पर की जाने वाली यात्राओं के सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन को अधिग्रहण (requisition) भेजने के विषय में विहित प्रक्रिया का अनुसरण उन यात्राओं की दशा में किया जायेगा जो ड्यूटी के अतिरिक्त की जाय और देय किराया बाद में महालेखापाल (Accountant General) द्वारा वसूल किया जायेगा।

आज्ञा से,

बिपिन बिहारी लाल,

सेक्रेटरी।

उत्तर प्रदेश शासन

संसदीय अनुभाग

संख्या-544सं/सत्रह-73-272-69

लखनऊ, दिनांक 28 फरवरी, 1973

विज्ञप्ति

विविध

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की धारा-6 और 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या-504/17-220-52, दिनांक 28 मार्च, 1958 द्वारा प्रख्यापित तथा समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष तथा उप सभापति यात्रा सुविधायें तथा भत्ते नियमावली, 1958 को निरस्त करते हुए राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या जी-2-512/10-617-46, दिनांक 14 मार्च, 1956 द्वारा प्रख्यापित उसकी अनुसूची के भाग 1 में दिये गये उत्तर प्रदेश के मंत्रियों (यात्रा संबंधी सुविधाओं तथा भत्तों के) नियम, 1955 ई0 के साथ पठित उसके भाग-2 में दिये गये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के पदाधिकारियों के (यात्रा संबंधी सुविधाओं तथा भत्तों के) नियम, 1955 ई0 आवश्यक परिवर्तनों सहित उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के उप सभापति की यात्रा संबंधी सुविधाओं तथा भत्तों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो वे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत तदर्थ बनाये गये हों और मानो कि--

(क) उक्त भाग-1 में दिये गये नियमों में शब्द "मंत्री" के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आया हो, शब्द "यथास्थिति, विधान सभा के उपाध्यक्ष अथवा विधान परिषद् के उप सभापति" रख दिये गये हों; और

(ख) उक्त भाग-2 में दिये गये नियमों के नियम-2 में शब्द "विधान सभा के अध्यक्ष (Speaker) और विधान परिषद् के सभापति (Chairman)" के स्थान पर शब्द "विधान सभा के उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद् के उप सभापति" रख दिये गये हों और नियम-3 में शब्द "अध्यक्ष या सभापति" के स्थान पर "उपाध्यक्ष या उप सभापति" रख दिये गये हों।

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पेंशन अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-10, 1974)*

1-**संक्षिप्त नाम**-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पेंशन अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

2-**निवर्ती अध्यक्ष को पेंशन इत्यादि**-(1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 68 वर्ष की आयु का हो जाने और कम से कम दस वर्ष तक (जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की कोई अवधि भी है) उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर रहने के पश्चात् उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर या तो अपनी पदावधि की समाप्ति या अपने पद से त्याग-पत्र देने के कारण न रह जाय, शेष जीवन पर्यन्त तीन सौ रुपये प्रतिमास पेंशन तथा डेढ़ सौ रुपया प्रतिमास सहायता भत्ता का और राज्य सरकार के किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार का भी हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में लागू न होगी जो अध्यक्ष के पद पर न रह जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल या संसद के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी हो।

(3) यदि कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन पेंशन तथा भत्ता पाने का हकदार हो जाय, बाद में राज्य विधान मण्डल या संसद के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी हो जाय अथवा उसको सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जाय, या संघ अथवा राज्य में मंत्री पद स्वीकार कर ले, अथवा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य लाभ का पद स्वीकार करे तो वह अपने शेष जीवन के लिये उक्त पेंशन तथा भत्ता पाने और निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार का हकदार न रह जायेगा।

3-**गत विधान सभा के अध्यक्ष को लागू होना**-धारा-2 के उपबन्ध उस व्यक्ति पर जो 18 मार्च, 1974 तक पांचवीं विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर रहा हो, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होते हैं जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् अध्यक्ष के पद पर न रह जाय।

4-**पेंशन राज्य की संहत निधि पर भारित होगी**-इस अधिनियम के अधीन देय कोई धनराशि राज्य की संहत निधि पर भारित होगी।

---

* उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 10 जून, 1974 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981)

1-**संक्षिप्त नाम**-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

2-**परिभाषाएं**-इस अधिनियम में,

(क) "सभा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है;

(ग) "परिवार" का तात्पर्य किसी मंत्री के सम्बन्ध में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन से है जो ऐसे मंत्री के साथ रहते हों और उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हों;

(घ) "अनुरक्षण" के अन्तर्गत किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में, स्थानीय रेंट और करों का भुगतान करना और जल और विद्युत शुल्क सहित विद्युत की व्यवस्था करना भी है;

(ङ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत मुख्य मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री भी हैं।

3-**वेतन**-(1) प्रत्येक मंत्री और राज्य मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त [बारह हजार][1] प्रति मास के वेतन का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त [दस हजार][1] प्रति मास के वेतन का हकदार होगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट वेतन उस कर के अतिरिक्त होगा जो उस वेतन (जिसके अन्तर्गत परिलब्धियां भी हैं) के सम्बन्ध में आयकर से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय हों और ऐसे कर का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जायगा।

4-**निवास स्थान**-(1) प्रत्येक मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिये लखनऊ में निवास स्थान का किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायेगा।

"(1-क) प्रत्येक मंत्री जिसके उपयोग के लिये उपधारा (1) के अधीन लखनऊ में निवास-स्थान की व्यवस्था की गयी हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् ऐसे वास-स्थान को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उस वास स्थान का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।

** संख्या 2545/सत्रह-वि0-1-103-81, दिनांक 3 अक्टूबर, 1981।

[1]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2000 एवं अधिनियम सं0 9 सन् 2010 द्वारा संशोधित।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिये "मंत्री" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो मंत्री न रह गया हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे मंत्री का दर्जा दिया गया था।"

(2) जहां किसी मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार निवास स्थान की व्यवस्था न की गयी हो, या वह उक्त उपधारा के लाभ का उपभोग न करें, वहां वह (क) उपमंत्री की स्थिति में, तीन सौ रुपये प्रति मास, और (ख) किसी अन्य स्थिति में पांच सौ रुपये प्रति मास की दर पर प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा।

5-सवारी-(1) प्रत्येक मंत्री को अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक मोटर गाड़ी और उसे चलाने के लिये शोफर की व्यवस्था की जायेगी जिसका क्रय और अनुरक्षण सरकारी व्यय पर इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी का उपयोग करने के लिये निबन्धन और शर्तें ऐसी होगी जैसे विहित की जायें।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी समय किसी उप मंत्री को दी गयी मोटर गाड़ी विधिमान्य रूप से दी गयी समझी जायेगी।

6-यात्रा भत्ता आदि-(1) उपमंत्री से भिन्न प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु अपने और परिवार के सदस्यों के लिये, उस दर और उन शर्तों पर जो विहित की जाये, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में, (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु* ऐसे दिनांक से ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर, जो विहित की जाय, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक मंत्री-

(क) पद ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान से लखनऊ के लिये यात्रा करने के सम्बन्ध में, और

(ख) पद त्याग करने पर लखनऊ से लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक यात्रा करने के सम्बन्ध में, अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये और अपने परिवार के सामान के परिवहन के लिये यात्रा भत्ता का हकदार होगा।

(4) उपधारा (1) से (3) में किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट मोटर गाड़ी या राज्य सरकार की किसी अन्य गाड़ी से की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

---

* उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1889 द्वारा संशोधित।

7-सर्किट हाउस आदि का उपयोग-प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह या अन्य विश्राम गृह का प्रयोग करने का हकदार होगा।

8-चिकित्सीय सुविधा-प्रत्येक मंत्री और उसके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में निःशुल्क आवास और उन सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायं, चिकित्सा परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे।

9-मंत्री के पद पर नियुक्ति और उसकी रिक्ति की अधिसूचना-जिस दिनांक से कोई व्यक्ति मंत्री बनता है या नहीं रहता है उसे सरकारी गजट में अधिसूचित किया जायेगा और कोई मंत्री अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस दिनांक से ऐसा बना या नहीं रह गया।

10-कोई वृत्ति करने के निषेध-कोई मंत्री अपनी पदावधि के दौरान जिसके लिये वह वेतन और भत्ता लेता है, मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई वृत्ति या कोई व्यापार या पारिश्रमिक के लिये कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा।

11-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 1980 के अधीन सुविधायें-प्रत्येक मंत्री जो, यथास्थिति, सभा या परिषद् का सदस्य हो, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-14, 9, 18 और अध्याय आठ के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा।

12-वेतन आदि का त्याग-कोई मंत्री, किसी समय, ऐसे वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का, जिनका वह हकदार है, पूर्णतया या उसके किसी भाग का त्याग इस आशय की लिखित घोषणा द्वारा कर सकता है :-

परन्तु ऐसा कोई त्याग उसी प्रकार किसी भी समय अग्रगामी प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

13-नियम बनाने की शक्ति-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) धारा-14 द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे और वे तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियमों से निरसित न किया जाय।

14-निरसन-उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार

गोपन अनुभाग-1

संख्या-2/1/1/87-सी0एक्स0-(1)

लखनऊ : दिनांक 13 अक्टूबर, 1997

अधिसूचना

नियम

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 1981 की धारा 6 और (उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित सन् 1981 के उक्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-2/1/2/81-सी0एक्स0 (1) यू0पी0ए0-14/1981-रूल्स-1982, दिनांक 17 अगस्त, 1982 और संख्या-2/1/1/1981-सी0एक्स0-(1) दिनांक 1 अगस्त, 1983, जिसके द्वारा क्रमशः उत्तर प्रदेश उप मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1982 और उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1983 प्रकाशित की गयी थीं, का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1)-यह नियमावली उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

उप मंत्री द्वारा पदीय कर्तव्यस्थ यात्रा

2-कोई उप मंत्री, उस मंत्री को, जिससे व सम्बद्ध हो, सूचना देकर राज्य के भीतर किसी स्थान की कर्तव्यस्थ यात्रा कर सकता है और सरकार की पूर्व स्वीकृति से राज्य के बाहर किसी स्थान की कर्तव्यस्थ यात्रा कर सकता है। लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिये, राज्य के बाहर किसी यात्रा के सम्बन्ध में सरकार की स्वीकृति की एक प्रति उप मंत्री के यात्रा भत्ता बिल से संलग्न की जायगी।

रेल द्वारा यात्रा की सुविधा

3 (1)-जब उप मंत्री से भिन्न कोई मंत्री रेल द्वारा यात्रा करता है, तब वह निम्नलिखित का हकदार होगा :-

(क) उस रेल गाड़ी में जिससे यात्रा की जाय, उपलब्ध उच्चतम श्रेणी के आरक्षित डिब्बा (कम्पार्टमेन्ट) का,

(ख) यदि स्थितिवश अत्यावश्यक प्रतीत हो तो विशेष सवारी-डिब्बा (स्पेशल कैरिज) का, यदि उपलब्ध हो,

(ग) चार से अनधिक वैयक्तिक परिचारकों को निम्नतम् श्रेणी के किराये के दर से वास्तव में दिये गये रेल के किराये का, चाहे वे उनके साथ या उनके पहले, या पश्चात् यात्रा करें,

(घ) समस्त निजी सामान के परिवहन का, चाहे उसे रेल गाड़ी के सामान यान (लगेज वैन) में ले जाया जाय या किसी अन्य रेल गाड़ी से भेजा जाय।

(ङ) मोटर कार की सवारी का सम्पूर्ण व्यय, यदि उसका प्रयोग केवल लोक हित में की गयी यात्रा के लिये किया गया हो,

टिप्पणी-(एक)-कोई मंत्री इस उप नियम के अधीन आरक्षित स्थान में जितने व्यक्तियों का स्थान आरक्षित करने के लिये रेलवे ने किराया लिया हो उतने व्यक्तियों के किराये का भुगतान किये बिना अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों और अपने निजी सचिवों या ऐसे अन्य सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को, जो उनके साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करें, ले जा सकते हैं। उन परिस्थितियों के सिवाय, जो निम्नलिखित टिप्पणी (3) में विर्निर्दिष्ट हैं, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों के मामले में, जो आरक्षित स्थान में रेलवे द्वारा स्वीकृत संख्या से अधिक यात्रा कर रहे हैं, उनका किराया रेलवे को सीधे अदा किया जायगा और ऐसे मामले में स्थान आरक्षित कराने वाले मंत्री को चाहिए कि वे यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व ऐसे व्यक्तियों के लिये खरीदे गये टिकटों की संख्या और अन्य व्योरा उस स्टेशन के, जहां से यात्रा प्रारम्भ की जाय, स्टेशन मास्टर द्वारा अधिग्रहण प्रपत्र में दर्ज करा लें। ऐसा करना इसलिये आवश्यक है कि मंत्री के साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करने वाले अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में रेलवे को दोहरा भुगतान न हो जाय।

(दो) कोई निजी सचिव या कोई अन्य सरकारी सेवक, जो मंत्री के साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करता है, यात्रा में रेल मील भत्ता (माइलेज) के उस अंश के लिये हकदार नहीं होगा जो उस श्रेणी के स्थान के टिकट के मूल्य के बराबर है जो सामान्य रूप से उसे अनुमन्य हो, जब तक उसका मामला निम्नलिखित टिप्पणी (3) के अन्तर्गत न आता हो।

(तीन)-जहां तक किसी निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक या लिपिक को लोक हित में मंत्री के साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करना आवश्यक हो, वहां वह ऐसा कर सकता है भले ही आरक्षित स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या उस संख्या से पहले से ही अधिक हो, जिसके लिए रेलवे द्वारा स्थान आरक्षित करने के लिये किराया ले लिया गया है, परन्तु वह उस श्रेणी के स्थान के लिये टिकट खरीदें जिसमें यात्रा करने के लिये वह हकदार हो। ऐसे मामले में, मंत्री उसके यात्रा भत्ते के बिल पर यह प्रमाणित करेंगे कि निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक या लिपिक ने लोकसेवा के हित में उनके साथ आरक्षित स्थान में यात्रा की और उसने वास्तव में उस श्रेणी का टिकट

खरीदा जिसके लिये वह हकदार था। रेलवे को स्थान आरक्षित करने के लिये कर्षण संबंधी जो प्रभार देना पड़ता है उसमें से टिकट का मूल्य घटाया नहीं जायगा।

(चार) जहां यात्रा वातानुकूलित डिब्बे में की जाय, वहां साधारणतः केवल दो बर्थ वाला कूपे, यदि उपलब्ध हो, आरक्षित किया जायगा।

2-कर्तव्यस्थ रेल द्वारा यात्रा के लिये कोई उप मंत्री वातानुकूलित डिब्बे का हकदार होगा और साधारणतया केवल दो बर्थ वाला कूपे, यदि उपलब्ध हो, आरक्षित किया जायगा। वह अपने साथ, किसी किराये का भुगतान किये बिना, अपने परिवार के उतने सदस्य या उतने गैर सरकारी व्यक्ति को ले जा सकता है जितने व्यक्तियों के लिये रेलवे ने उस स्थान को आरक्षित करने का किराया लिया हो।

फुटकर खर्च

[4-(1)-उप मंत्री से भिन्न कोई मंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश में या उसके बाहर, किन्तु भारत के भीतर हो, अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में की गयी यात्रा के लिये उत्तर प्रदेश के भीतर के लिये [एक हजार[1]] रुपये प्रतिदिन और उत्तर प्रदेश के बाहर [एक हजार दो सौ][2] रुपये प्रतिदिन की दर से फुटकर खर्च के हकदार होंगे।

(2) उप मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में की गयी [यात्रा के लिये]2 छः सौ रुपये प्रतिदिन की दर से फुटकर खर्च का हकदार होगा][3]।

उप मंत्री से भिन्न मंत्री के परिवार के सदस्यों द्वारा रेल से यात्रा करने की व्यवस्था

5-उप मंत्री से भिन्न कोई मंत्री रेल का उतना किराया पाने का भी हकदार होगा जितना उनके परिवार के उन सदस्यों के लिये वास्तव में दिया गया हो जो उनके सामान्य निवास स्थान से उनके सरकारी मुख्यालय तक या सरकारी मुख्यालय से उनके सामान्य निवास स्थान तक उनके साथ या उनसे पहले या उनके बाद यात्रा करें :

परन्तु यह रियायत एक कलेण्डर वर्ष में उनके सरकारी मुख्यालय और सामान्य निवास स्थान के बीच एक-एक बार आने-जाने के किराये के लिये ही दी जायगी।

1-गोपन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-2/1/1/87-सी0एक्स0 (1), दिनांक 18 अक्टूबर, 2005 द्वारा संशोधित।

2-गोपन अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2/1/1/87-सी0एक्स0 (1), दिनांक 18 अक्टूबर, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

3-गोपन अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2/1/1/87-सी0एक्स0 (1), दिनांक 27 मई, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित।

6 (1)-जब उप मंत्री से भिन्न मंत्री सड़क से यात्रा करें, तब उन्हें अपना, अपने परिवार के सदस्यों और दो वैयक्तिक परिचारकों का वास्तविक यात्रा व्यय अपने इस आशय के प्रमाण-पत्र पर जो कि जो धनराशि ली जा रही है उसका वास्तव में भुगतान किया गया है, लेने का हक होगा। ऐसे व्यय के अन्तर्गत या निजी सामान से भिन्न स्टोर या सामान के भाड़े का कोई प्रभार या जलपान, होटल या यात्री (स्टेज) बंगलों का कोई प्रभार नहीं है।

मंत्री को सड़क द्वारा यात्रा की सुविधा

स्पष्टीकरण :-इस नियम के प्रयोजनों के लिये दौरे पर उपभोग के लिये जो सामान (स्टोर) ले जाया जायगा उसे निजी सामान समझा जायगा।

(2) (क) यदि कोई उप मंत्री किसी कार से या सवारी के किन्हीं अन्य साधनों से, जो उसके स्वयं के हो या उसने किराये पर लिये हों, यात्रा करता है तो वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड तीन के नियम-27 (बी) के अधीन, सिवाय दैनिक भत्ता के, जिसके स्थान पर वह नियम-4 के उप नियम (2) में उल्लिखित दर पर फुटकर खर्च आहरित करेगा, यात्रा भत्ता आहरित कर सकता है।

(ख) यदि कोई उप मंत्री अपनी कार द्वारा यात्रा करता है और उसके चलाये जाने के व्यय का भुगतान किसी अन्य उप मंत्री या सरकारी सेवक द्वारा, जो उसके साथ यात्रा करता है, कर दिया जाता है तब वह नियम-4 के उप नियम (2) में उल्लिखित दर पर केवल फुटकर खर्च पाने का हकदार होगा,

(ग) यदि उप मंत्री किसी ऐसी कार से या सवारी के अन्य साधन से जो स्वयं उसका नहीं है या उसके द्वारा किराये पर नहीं लिया गया है तो वह नियम-4 के उप नियम (2) में उल्लिखित दर पर केवल फुटकर खर्च पाने का हकदार होगा।

(घ) ऐसी मिली जुली यात्राओं के लिये जो अंशतः निजी या किराये पर ली गयी सवारी द्वारा और अंशतः मांगी गई सवारी द्वारा या राज्य, स्थानीय निधि या स्थानीय निकाय के व्यय पर व्यवस्थित सवारी द्वारा की जाय तो उप मंत्री प्रत्येक प्रकार की यात्रा के लिये, यथास्थिति खण्ड (क) या खण्ड (ग) के अधीन अलग-अलग यात्रा के रूप में इस शर्त के अधीन यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा कि वह उससे अधिक यात्रा भत्ता आहरित नहीं कर सकता जितना कि वह आहरित करता यदि उसने दोनों यात्राओं की कुल दूरी अपनी निजी कार या किराये पर ली गई कार द्वारा तय की होती।

(ङ) जब कोई उप मंत्री किसी अन्य उप मंत्री या सरकारी सेवक के साथ संयुक्त रूप से कार किराये पर लेता है और उसका उपयोग सड़क यात्रा में करता है तब उनमें से प्रत्येक व्यक्ति फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड तीन के नियम-27 (बी) के अधीन यात्रा

भत्ता पाने का हकदार होगा, किन्तु उप मंत्री दैनिक भत्ता के स्थान पर नियम-4 के उप नियम (2) में उल्लिखित दर पर फुटकर खर्च पाने का हकदार होगा।

टिप्पणी :-मांगी हुई ऐसी कार जिसके चलाये जाने के व्यय का भुगतान उसका उपयोग करने वाले उप मंत्री द्वारा किया जाय, किराये पर ली गयी कार के समान होगा।

वायुयान द्वारा यात्रा

7 (1) (क) उप मंत्री से भिन्न कोई मंत्री भारत के किसी भी भाग में किसी सार्वजनिक वायुयान परिवहन कम्पनी के जो नियमित रूप से किराये पर वायुयान चलाती हो, वायुयान में या ऐसे वायुयान में जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा किराये पर लिया गया हो, कर्तव्यों के पालन के लिये यात्रा कर सकते हैं और ऐसी यात्रा में अपने साथ एक सहवर्ती ले जा सकते हैं।

(ख) जब ऐसे मंत्री वायुयान से यात्रा करें, तब वह वायुयान से यात्रा करने के लिये अपने और अपने साथी के लिये यदि कोई हो, वास्तविक किराया, भुगतान करने पर, और निजी सामान के रेल द्वारा, पैसिंजर गाड़ी की दर से, या सड़क द्वारा या वायुयान द्वारा परिवहन का व्यय, वस्तुतः भुगतान करने पर और दो से अनधिक व्यक्तिगत परिचालकों के लिये रेल का निम्नतम श्रेणी की दर से किराया, वस्तुतः भुगतान करने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि ऐसे मंत्री को वायुयान द्वारा की जाने वाली यात्रा के दोनों सिरे पर रेल या सड़क से कोई सम्बद्ध यात्रा करनी हो तो वह ऐसी यात्रा के लिये उपर्युक्त नियम 5 के अधीन अनुमन्य यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा।

किन्तु उस स्थलीय परिवहन के सम्बन्ध में कोई भत्ता नहीं लिया जायगा जो वायुयान यात्रा का भाग हो और वायुयान द्वारा की गयी यात्रा के लिये दिये गये किराये में सम्मिलित हो।

(2) यदि किसी उप मंत्री के लिये वायुयान द्वारा यात्रा करना लोकहित में आवश्यक हो तो वह उस मंत्री की पूर्व अनुज्ञा से, जिससे वह सम्बद्ध है, ऐसा कर सकता है। ऐसी यात्रा के लिये यात्रा भत्ता फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड तीन के नियम-23 (बीबी) द्वारा विनियमित होगा।

उप मंत्री को यात्रा भत्ता

8-जब किसी उप मंत्री के लिये किन्हीं स्थानों के बीच, चाहे रेल द्वारा या सड़क द्वारा यात्रा करना सम्भव हो और यात्रा वास्तव में सड़क द्वारा की जाय, तब मील भत्ता यह मानकर आंकलित किया जायगा मानों यात्रा रेल द्वारा की गयी थी जब तक कि सड़क द्वारा आंकलित मील भत्ता कम खर्चीला न हो उस स्थिति में मील भत्ता सड़क द्वारा की गयी यात्रा मानकर आंकलित किया जायगा :

परन्तु जब मंत्री, जिससे वह सम्बद्ध है, द्वारा उप मंत्री से रेल के बजाय सड़क द्वारा यात्रा करने की अपेक्षा की जाय तब सड़क द्वारा की गयी यात्रा के लिये अनुमन्य दर पर यात्रा भत्ता आहरित किया जा सकता है और ऐसे मामलों में यात्रा भत्ता बिल के समर्थन में ऐसे मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का एक प्रमाण-पत्र होगा जिसमें ऐसी परिस्थितियों, जिनके अन्तर्गत उप मंत्री को सड़क द्वारा यात्रा करने के लिये उसके द्वारा अपेक्षा की गयी है और वे तथ्य की यात्रा लोकहित में की गई है, उल्लिखित होंगे।

उप मंत्री के साथ जाने वाले कर्मचारियों का यात्रा भत्ता

9-जब कोई उप मंत्री कर्तव्यस्थ यात्रा कर रहा हो, तब यदि लोकहित में आवश्यक हो तो वह अपने साथ एक सहायक और दो से अनधिक अर्दली, चपरासी ले जा सकता है। इन कर्मचारियों का यात्रा भत्ता उन पर प्रयोज्य नियमों द्वारा विनियमित होगा।

निजी कार्य से यात्रा

10-निजी कार्य से यात्रा करने पर कोई उप मंत्री किसी यात्रा भत्ता का हकदार नहीं होगा परन्तु यदि ऐसे कार्य पर मुख्यालय से अनुपस्थिति के दौरान उप मंत्री को सरकारी कार्य के निस्तारण के लिये अपने कर्मचारियों की सहायता अपेक्षित हो तो वह मंत्री जिससे वह सम्बद्ध है, की अनुज्ञा से नियम-9 में विहित सीमा के भीतर अपने साथ अपने वैयक्तिक कर्मचारियों को ले जा सकता है। ऐसे कर्मचारी उसी यात्रा भत्ता के हकदार होंगे जो उन्हें कर्तव्यस्थ यात्रा के सम्बन्ध में मिलता।

यात्रा भत्ता बिल की विषय-वस्तु

11-उप मंत्री के लिये यात्रा भत्ता के बिल में अपने उस कार्य की प्रकृति लिखना आवश्यक नहीं है जिसके लिये यात्रा की गई है, केवल इतना संकेत कर देना ही पर्याप्त होगा कि यात्रा लोकहित में और यथास्थिति मंत्री, जिससे वह सम्बद्ध है, की अनुज्ञा या अनुमोदन से की गई थी।

अवशिष्ट उपबन्ध

12-किसी उप मंत्री के यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में कोई विषय जो विर्निदिष्ट रूप से इस नियमावली में उपबन्धित न हो, सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में सरकारी सेवकों के लिये बनाये गये नियमों द्वारा नियंत्रित होगा।

नियंत्रक अधिकारी

[1][13-(1) किसी उप मंत्री के यात्रा भत्ता बिल के प्रयोजनों के लिये नियंत्रक अधिकारी वह मंत्री होगा जिससे ऐसा उप मंत्री सम्बद्ध है।

(2) यात्रा भत्ता बिल के प्रयोजनों के लिये किसी ऐसे व्यक्ति का, जो मंत्री नहीं रह गया हो नियंत्रक अधिकारी मुख्य मंत्री अथवा मुख्य मंत्री द्वारा नाम-निर्दिष्ट मंत्री होगा।] [1]

आरक्षण संबंधी अनुदेश

14-रेलगाड़ी में स्थान के आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य अनुदेश इस नियमावली की अनुसूची में दिये गये हैं।

[15-यदि सरकारी ड्यूटी के निर्वहन के सम्बन्ध में किसी प्रस्तावित यात्रा को लोक हित में रद्द कर दिया जाता है तो अप्रयुक्त टिकटों की वापसी पर निरस्तीकरण प्रभार के रूप में काटी गयी धनराशि तथा उक्त यात्रा के सन्दर्भ में भाड़े की टैक्सी के बिल की धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। परन्तु यात्रा भत्ता बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा।][2]

अनुसूची

रेलगाड़ी में स्थान के आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य अनुदेश।

1-स्थान आरक्षित कराने वाले पदधारी से यह अपेक्षा की जायगी कि वह यात्रा करने के पूर्व आरक्षित स्थान में अपने साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिये खरीदे गये टिकटों की संख्या और अन्य ब्योरा उस स्टेशन के, जहां से यात्रा आरम्भ की जाय, स्टेशन मास्टर से अधिग्रहण प्रपत्र में दर्ज करा लें। ऐसा करना इसलिये आवश्यक है कि रेलवे द्वारा वसूल किये गये किराये के सम्बन्ध में सरकार और रेल प्राधिकारियों के बीच समायोजन किया जा सके।

1-अधिसूचना संख्या 2/1/1/87-सी0एक्स0 (1), दिनांक 20 फरवरी, 2004 द्वारा संशोधित।
2-अधिसूचना संख्या 2/1/1/87, सी0 एक्स0(1), दिनांक 25 फरवरी, 2005 द्वारा बढ़ाया गया।

2-मंत्री, अपने विवेक पर, अपने वैयक्तिक परिचारकों को अपने साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करने की अनुज्ञा दे सकता है किन्तु ऐसे स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या उन बर्थों की संख्या तक सीमित होगी जिनके आरक्षण के लिये किराया दिया गया है।

3-जब किसी पदधारी के साथ उसके आरक्षित कम्पार्टमेन्ट में यात्रा कर रहे अध्यासियों की संख्या, उस न्यूनतम संख्या से जिसके लिये कम्पार्टमेन्ट जनता के लिये आरक्षित किया जा सकता है, अधिक हो तो उतने अध्यासियों का किराया, जो न्यूनतम संख्या से अधिक हो, रेलवे द्वारा रख लिया जायेगा।

टिप्पणी :-किराये का वह भाग जिसे रेलवे द्वारा नहीं रखा जाना है उस विभाग के नाम जो आरक्षित स्थान के कर्षण-प्रभार को वहन करे, रेलवे के उन बिलों में से काटकर जमा कर दिया जायेगा जो सम्बद्ध विभाग को प्रस्तुत किये जायं।

4-कर्तव्य के पालन के लिये की जाने वाली यात्रा के सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन को अधिग्रहण भेजने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुसरण कर्तव्यवश यात्राओं से भिन्न यात्राओं की दशा में भी किया जायगा। देय किराये को बाद में महालेखाकार द्वारा वसूल किया जायगा।

आज्ञा से,
रवीन्द्र शंकर माथुर,
मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1956)

[1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 1961,

2-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13 सन् 1966,

3-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7 सन् 1969 एवं

4-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15 सन् 1989 द्वारा यथा संशोधित।

सभा सचिवों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों तथा विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों और उप मंत्रियों से सम्बद्ध कुछ विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

सभा सचिवों (Parliamentary Secretaries) को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों की तथा विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों तथा मंत्रियों और उप मंत्रियों से सम्बद्ध आगे चल कर प्रतीत होने वाले कुछ विषयों की व्यवस्था करना आवश्यक है।

अतएव, भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त शीर्ष नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2-विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में विधान मण्डल के अधिकारी का तात्पर्य अध्यक्ष (Speaker), सभापति (Chairman), उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) और उप सभापति (Deputy Chairman) से है।

सभा सचिवों के वेतन भत्ते

[3-(1) प्रत्येक सभा सचिव अपनी पदावधि में अद्योपान्त आठ सौ पचास रुपये प्रतिमाह के वेतन का हकदार होगा तथा उसे तीन सौ रुपये मासिक परिवहन भत्ता दिया जायगा।][1]

[(2) उक्त वेतन, सत्समय प्रवृत्त आय कर से सम्बन्धित किसी भी विधि के अधीन उसके सम्बन्ध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुए) देय कर से अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।][2]

1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-15 सन् 1989 द्वारा प्रतिस्थापित।

2-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-7 सन् 1969 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4-प्रत्येक सभा सचिव अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर जो विहित की जायं, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा।] [1]

5-ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा नियत किये जायं, मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप सभापति, उपाध्यक्ष, उप मंत्री, सभासचिव तथा उनके परिवारों के सदस्य और राज्य विधान मण्डल का प्रत्येक सदस्य सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा कराने तथा राज्य सरकार द्वारा पोषित अस्पतालों में निःशुल्क आवास पाने का अधिकारी होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य सम्पादन के सम्बद्ध सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्राप्त हों। — मंत्रियों, विधान मण्डल के अधिकारियों उप मंत्रियों तथा सभा सचिवों और सदस्यों का चिकित्सीय उपचार

6- * *** *** — उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-12 सन् 1952 का संशोधन

7- *** *** *** — यू0पी0 लेजिस्लेटिव चैम्बर्स मेम्बर्स (एमाल्यूमेन्ट्स) रूल्स, 1946 में किये गये संशोधनों का वैधीकरण

8- * *** *** — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, 1952 का संशोधन

*9- *** *** *** — उ0प्र0 अधिनियम संख्या-10, सन् 1952 की धारा-3 का संशोधन

** दोनों अधिनियम निरसित।

कतिपय भुगतानों का विनियमन

10-इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप मंत्री, उपाध्यक्ष, उप सभापति और सभा सचिव या उनके परिवार के किसी सदस्य के, राज्य सरकार द्वारा पोषित किसी अस्पताल में आवास के सम्बन्ध में या चिकित्सा के निमित्त किये गये या भुगतान किये गये सभी परिव्यय और उक्त प्रारम्भ से पूर्व धारा-6 में अभिदिष्ट विज्ञप्ति के अनुसार यात्रिक भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में किसी सदस्य को दिये गये सभी भुगतान यथावत् किये गये (Properly incurred) भुगतान किये गये और दिये गये समझे जायेंगे।

नियुक्ति इत्यादि से सम्बद्ध विज्ञप्ति निश्चायक प्रमाण होगी

11- * * *

नियम बनाने का अधिकार

12-इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग-1

संख्या-524/79-सं-1-2009-125सं/2007

लखनऊ, दिनांक 04 मार्च, 2009

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान सभा/उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को अन्तरंग चिकित्सीय सुविधा तथा भूतपूर्व सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को वाह्य चिकित्सीय सुविधा की भी व्यवस्था करने के लिये राज्य की समेकित निधि से प्राप्त होने वाली निश्चित धनराशि को विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

---

* निरसित।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009

1-(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009 कही जायेगी।

(2) यह फण्ड के सृजन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) "करार" का तात्पर्य विधान सभा और संस्थान या विधान परिषद् और संस्थान के मध्य पृथक-पृथक निष्पादित किये गये करार से हैं,

(ख) "सभा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है,

(ग) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है,

(घ) "भूतपूर्व सदस्यों" का तात्पर्य विधान सभा या विधान परिषद् के भूतपूर्व सदस्यों से है,

[(ङ) "परिवार के सदस्यों" का तात्पर्य-

(एक) सदस्य या भूतपूर्व सदस्य, यथास्थिति, के पति या पत्नी से है : और

(दो) माता-पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त पुत्री, अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त बहनें, अवयस्क भाई और सौतेली माता से है : जो सदस्य या भूतपूर्व सदस्य पर पूर्णतः आश्रित हैं और सामान्यतया सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के साथ निवास कर रहे हैं।

टिप्पणी 1-किसी परिवार के ऐसे सदस्यों, जिनकी उपचार आरम्भ होने के समय, सभी स्रोतों से आय रु0 3,500/- और रु0 3,500/- प्रतिमाह की मूल पेंशन पर अनुमन्य महंगाई के योग से अधिक न हो, को पूर्णतया आश्रित माना जायेगा।

टिप्पणी 2-आश्रितों के लिए आयु सीमा निम्नवत् होगी :-

(1) **पुत्र**-सेवायोजित हो जाने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो।

(2) **पुत्री**-सेवायोजित हो जाने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो।

(3) ऐसा पुत्र जो मानसिक या शारीरिक स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो-जीवन पर्यन्त।

(4) तलाकशुदा/पति से परित्याजित/विधवा आश्रित पुत्रियों और अविवाहित/तलाकशुदा/पति से परित्याजित विधवा आश्रित बहनें-जीवन पर्यन्त।

(5) **अवयस्क भाई**-वयस्कता प्राप्त होने तक।][1]

(च) ''फण्ड'' का तात्पर्य नियम-3 के अधीन सृजित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड से है,

(छ) ''संस्थान'' का तात्पर्य संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ से है,

(ज) ''सदस्य'' का तात्पर्य विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य से है,

(झ) ''रोगी'' का तात्पर्य संस्थान में उपचार के लिए भर्ती सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों में से किसी व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों से है,

3-(1) संस्थान में एक फण्ड का सृजन किया जायेगा जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड कहा जायेगा जिसमें निम्नलिखित धन जमा किया जायेगा :-

(क) विधान सभा सचिवालय द्वारा चालीस लाख रुपये,

(ख) विधान परिषद् सचिवालय द्वारा 10 लाख रुपये।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट धनराशि को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की सहमति से संबंधित सचिवालय द्वारा अपेक्षा अनुसार पुनरीक्षित किया जा सकता है।

4-फण्ड की धनराशि का उपयोग संस्थान में सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों का चिकित्सीय सुविधायें यथा बेंटीलेटर, डाइलिसिस जांच, शल्य चिकित्सा शुल्क, आई0सी0यू0, एन0 आई0सी0यू0, आई0सी0सी0यू0 कक्ष का किराया और पैथालोजिकल, बैक्टीरियालॉजिकल, रेडियोलाजिकल और अन्य जांच औषधियों सीरा, वैक्सीन एवं अन्य चिकित्सीय पदार्थों आदि व्यय की व्यवस्था करने के लिये किया जायेगा।

5-फण्ड के संचालन के लिये प्रमुख सचिव, विधान सभा/प्रमुख सचिव, विधान परिषद् संस्थान के वित्त नियंत्रक के साथ पृथक-पृथक करार करेंगे।

---

[1]-अधिसूचना संख्या : 760/सं0-1-2015-125सं/2007, दिनांक 14 जुलाई, 2015 द्वारा बढ़ाया गया।

6-(1) रोगी का यथास्थिति अन्तरंग या वाह्य उपचार संस्थान की विनिर्दिष्ट चिकित्सीय सेवाओं की सीमा तक सीमित होगा और संस्था में किसी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश के जिला अस्पताल या मेडिकल कालेजों के अधीक्षकों का संदर्भ आवश्यक होगा। किसी रोगी को संस्थान में चिकित्सीय जांच या उपचार के लिये भर्ती किये जाने पर संस्थान उसे फण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य कलापों के संबंध में कार्यरत प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को यथाअनुमन्य आवश्यक चिकित्सीय उपचार उपलब्ध करायेगा और ऐसे उपचार से संबंधित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र के साथ सत्यापित बिल, रसीदें, कैश मेमो, नुसखां आदि मूल रूप में संस्थान द्वारा बनाये जायेंगे और उन्हें यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् को प्रतिपूर्ति के लिये अग्रेसित किया जायेगा। पंजीकरण प्रभार, डाक्टर का परामर्श शुल्क, टानिक और विटामिनों पर उपगत व्यय का वहन रोगी द्वारा किया जायेगा, अतः उसे संस्थान द्वारा बनाये गये बिलों और कैशमेमो में छोड़ दिया जायेगा।

(2) ऐसे बिल के प्राप्त होने पर संबंधित विधान सभा या विधान परिषद् सचिवालय बिल की धनराशि की प्रतिपूर्ति संस्थान को पाने वाले खाते में देय चेक द्वारा एक माह के भीतर कर देगा और संस्थान उसे फण्ड में समायोजित कर देगा।

7-फण्ड के लिये बजट का प्राविधान विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा अपने-अपने बजट शीर्ष के माध्यम से किया जायेगा।

8-फण्ड से हुए व्यय का ब्यौरा विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय और संस्थान द्वारा पृथक-पृथक रखा जायेगा और उनके द्वारा फण्ड का मिलान प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर किया जायेगा।

9-संस्थान द्वारा अनुरक्षित फण्ड के खाते की लेखा परीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी।

10-फण्ड के संचालन में किसी कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार द्वारा विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय और वित्त विभाग के परामर्श से नियम में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

11-सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों की पहचान को सुनिश्चित करने की रूपात्मकता का विनिश्चय संस्थान के परामर्श से संबंधित सचिवालय द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

Copy of G.O. no. U.O.-522-B/V-601(39)-65, dated April 4, 1956 Medical (B) department to the Director of Medical and Health Services, U.P.

Subject-Medical facilities of Ministers, Legislature Officers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries and the members of their families and to each member of the State Legislature.

In continuation of G.O. no. A-392-B/V-1321-49, dated January 9, 1950, regarding medical attendance and treatment of the Ministers and other high official and subsequent Government orders on the subject. I am directed to say that Section 5 of the U.P. State Legislature Officers, Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries and member (Salaries and Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1956, Since passed by the State Legislature *inter alia* provides that subject to such conditional and restrictions as may be prescribed by rules made by the State Government. A Minister, Speaker, Chairman, Deputy Chairman, Deputy Speaker, Deputy Minister and Parliamentary Secretary and the members of their families and each member of the State Legislature shall be entitled to medical treatment at Public expenses and also to accommodation free of charge in the Hospitals maintained by the State Government as admissible to Class I officers serving in connection with the affairs to the State of Utter Pradesh.

2-I am to add that section 10 of the said Act also provides that all charges incurred or paid before the commencement of the said Act in respect of the accommodation provided in any hospital maintaind by the State Government for or on the medical treatment of any Minister, Speaker, Chairman, Deputy Minister, Deputy Speaker, Deputy Chairman and Parliamentary Secretary or any member of his family shall be deemed to have been properly incurred paid or made. As such all Medical Officers concerned may be instructed to issue reimburement certificates pertaining to the treatment of the above officers or members of their families prior to the commencement of the Act if pending with them.

3-According to the provision in section 1 (2) read with section 56 of the said Act, the members of the State Legislature (Not the members of their families) shall be entitled to the medical facilities from the date has been passed by the Legislature. In other words they shall be entitled to the medical facilities from the date the Act is notified in the official Gazette.

4-Till separate rules on the Subject are framed by the State Government (as provided in section 12 of the Act) the U.P. Government Servants (Medical Attendance) Rules, 1946, Shall *mutandis* be applicable to the above officers and also to the members of the State Legislature. The parly modifies the orders issued in Government Order referred to in paragraph 3 above.

5-The contents of the above paragraphs may by brought to the notice of all Medical Officers serving under you.

प्रतिलिपि

संख्या 280 (सात) पांच-72

चिकित्सा (अनुभाग-7)

लखनऊ, दिनांक 1 जुलाई, 1972

सेवा में,

स्वास्थ्य सेवा निदेशक,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के परिवारों को चिकित्सा सुविधायें प्रदान करना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा कराने तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित अस्पतालों में निःशुल्क आवास पाने की वही सुविधायें हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्राप्त हैं, किन्तु वे सुविधायें उनके परिवार के सदस्यों को उपलब्ध नहीं है।

2-उपरोक्त व्यवस्था पर विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि 1 जुलाई, 1972 से राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के परिवार के सदस्यों को भी वे सभी चिकित्सा सुविधायें निःशुल्क उसी स्तर और सीमा तक देय होंगी जैसा कि उपरोक्त प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के परिवार के सदस्यों को इस समय उपलब्ध है। परिवार की परिभाषा वहीं होगी जो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के चिकित्सा सम्बन्धी नियम, 1946 में है।

3-चूंकि इस प्रयोजन के लिये चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं है और यह एक आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्य समझा गया है, अतः चालू वित्तीय वर्ष में इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यय किये जाने के लिये राज्यपाल महोदय राज्य आकस्मिक निधि से 3,33,000 रु0 (तीन लाख, तैंतीस हजार रुपये) की धनराशि का अग्रिम दिये जाने पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस धनराशि की प्रतिपूर्ति यथासमय अनुपूरक विनियोग अधिनियम द्वारा की जायेगी।

4-उक्त व्यय अन्ततः वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्यय के लेखा शीर्षक ''29-चिकित्सा आयोजनेत्तर-(ख) चिकित्सालय और औषधालय-(ख) अन्य चिकित्सालय

और औषधालय (राज्य)-(1) एलोपैथिक 4-आकस्मिक व्यय-(2) अन्य आकस्मिक व्यय" के अन्तर्गत खोले जाने वाली नई इकाई "(-)- राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा" के नामे डाला जायगा।

भवदीय,
सोमदत्त त्यागी,
उप-सचिव।

संख्या 3824/पांच-7-1033/81

प्रेषक,

श्री धर्म नारायण त्रिपाठी,
उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

स्वास्थ्य सेवा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-7 दिनांक, लखनऊ 31 दिसम्बर, 1981

विषय :-भूतपूर्व विधायकों जिन्हें पेंशन प्राप्त है को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1946 माननीय विधायकों पर भी प्रभावी है जिसके प्राविधानों के अनुसार उन्हें तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें निःशुल्क मिलती हैं, किन्तु यह सुविधायें उस समय समाप्त हो जाती हैं जब वे विधायक नहीं होते। भूतपूर्व विधायकों द्वारा राज्य सरकार से समय-समय पर मांग की जाती रही है कि उन्हें भी वही चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जायं जो उन्हें विधायक के रूप में अनुमन्य थी।

2-भूतपूर्व विधायकों की उपर्युक्त मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भूतपूर्व विधायकों का, जिन्हें पेंशन मिलती है, को भी राजकीय चिकित्सालयों में वही चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जायं जो उन्हें विधायक के रूप में मिलती थीं। तद्नुसार राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि समस्त भूतपूर्व विधायकों को, जिन्हें पेंशन मिलती है तथा उनके परिवार के आश्रितों को प्रदेश के राजकीय अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में उसी स्तर और उसी सीमा तक चिकित्सा सुविधायें निःशुल्क प्राप्त होंगी जो उन्हें विधायक के रूप में प्राप्त थीं।

3-चूंकि इस प्रयोजन के लिए चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं है और यह एक अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य कार्य समझा गया है, अतः राज्यपाल महोदय राज्य आकस्मिकता निधि से रुपये 29,000 (उन्तीस हजार रुपये मात्र) की धनराशि का अग्रिम लिए जाने पर भी अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस धनराशि की प्रतिपूर्ति यथा समय अनुपूरक विनियोग अधिनियम द्वारा की जायेगी।

4-उक्त व्यय अन्ततः वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत शीर्षक "287-चिकित्सा- आयोजनेत्तर-क- एलोपैथिक-11- चिकित्सा सहायता" के अधीन एक नवीन मद "उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व पेंशन प्राप्त विधायकों के लिए चिकित्सा सुविधा" खोल कर उसके नामे डाला जायगा।

भवदीय,
धर्म नारायण त्रिपाठी,
उप सचिव।

वित्त विभाग

संख्या 3824/2/पांच-7-1033-81

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
त्रिवेणी सहाय,
संयुक्त सचिव, वित्त।

संख्या 3824/2/पांच-7-1033-81

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद्।

2-उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख।

3-सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4-प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कृपया इन आदेशों को अपने जिले के समस्त चिकित्साधिकारियों की जानकारी में ला दें।

5-वित्त-ई-3/वित्त सामान्य अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

7-सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

धर्म नारायण त्रिपाठी,

उप सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 1832/पांच-7-1033/81

प्रेषक,

श्री धर्म नारायण त्रिपाठी,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

स्वास्थ्य सेवा निदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांक, लखनऊ 14 मई, 1982

विषय :-भूतपूर्व विधायकों जिन्हें पेंशन प्राप्त है को राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग-7

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-3824/पांच-7-1033/81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूतपूर्व विधायकों, जिन्हें पेंशन प्राप्त है, को राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो इस उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन पाने वाले भूतपूर्व विधायकों को विधान सभा सचिवालय से जो "बस पास" जारी किये गये हैं जिन पर सम्बन्धित सदस्य का सम्यक रूप से अनुप्रमाणित फोटोग्राफ और उनके हस्ताक्षर होतें हैं, को ही परिचय-पत्र मानते हुए, उन्हें राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाय। तद्नुसार मुझे आपसे अनुरोध करना है कि कृपया प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

धर्म नारायण त्रिपाठी,

संयुक्त सचिव।

संख्या-1832/(1)-पांच-7-1033/81

प्रतिलिपि प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेशों से राजकीय अस्पतालों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों को अवगत करा दें।

प्रतिलिपि सचिव, विधान सभा सचिवालय तथा विधान परिषद् सचिवालय को भी सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,
धर्म नारायण त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या एस0एम0 161/पांच-7-1033/81

प्रेषक,

डा0 पी0 सी0 व्यास,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

स्वास्थ्य सेवा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांक, लखनऊ 12 मई, 1983

विषय :-भूतपूर्व विधायकों जिन्हें पेंशन प्राप्त है को राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग-7

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-3824/पांच-7-1033/81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में भूतपूर्व विधायकों को, जिन्हें पेंशन प्राप्त है, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। शासन को ज्ञात हुआ है कि इन आदेशों का तात्पर्य यह लगाया जा रहा है कि दारुलशफा डिस्पेंसरी अथवा अन्य किसी सरकारी अस्पताल में ये विधायक जो भी पर्ची भेजें उसमें उल्लिखित औषधियां उन्हें दे दी जायें। आदेशों का ऐसा तात्पर्य नहीं है।

2-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उक्त आदेशों का तात्पर्य यह है कि भूतपूर्व विधायक जब कभी अपनी जांच पड़ताल के लिये किसी सरकारी अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी में जायें तब वहां के चिकित्सक जो औषधियां उनके रोग के निदान के लिये आवश्यक समझें केवल वही औषधियां अपने औषधि भण्डार से और यदि औषधि उनके भण्डार में उपलब्ध न हो तो लोकल परचेज करके उपलब्ध करा दें।

3-मुझे आपसे अनुरोध करना है कि कृपया इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने हेतु प्रदेश के समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,
पी0सी0 व्यास,
विशेष सचिव।

संख्या-एस0एम0 161(1)/पांच-7-1033/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

(2) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, दारुलशफा, डिस्पेंसरी, लखनऊ।

(3) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, दारुलशफा, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, लखनऊ।

(4) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, दारुलशफा, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, लखनऊ।

(5) सचिव, विधान सभा सचिवालय तथा विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया किसी भी भूतपूर्व विधायक को उनके निजी पर्चियों पर औषधियां न दें तथा इन आदेशों का कड़ाई से पालन करें।

भवदीय,

पी0सी0 व्यास,

विशेष सचिव।

संख्या-1989/सेक-2/पांच-4 (84)/84

प्रेषक,

श्री वी0पी0 माथुर,

संयुक्त सचिव,

उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

उ0 प्र0, लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 21 मई, 1986

विषय :-विधान सभा/विधान परिषद् सदस्यों को देय निःशुल्क चिकित्सा, औषधियां तथा सुविधा समाप्त किया जाना।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग-2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 के अनुसार शासन ने यह निर्णय लिया है कि विधान सभा/परिषद् के प्रत्येक सदस्य, जिसके अन्तर्गत मंत्री और राज्य विधान मण्डल के अधिकारी भी हैं, व उनके परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी अस्पताल या औषधालय में प्रदान की जाने वाली निःशुल्क वाह्य चिकित्सा सुविधा नहीं दी जायेगी और सुविधाओं के बदले में जिसके अन्तर्गत औषधियां भी हैं, 400.00 रुपये प्रतिमाह की धनराशि दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से दी जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे अस्पतालों में स्वयं उनके लिये और उनके परिवार के सदस्यों के लिये जिन्हें चिकित्सा के लिये ऐसे अस्पताल में भर्ती करना अपेक्षित हो पूर्व की भांति निःशुल्क स्थान और चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायी जायगी।

2-शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं :-

1-दारुलशफा स्थित कार्यरत एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक डिस्पेंसरी को समाप्त किया जाता है।

2-दारुलशफा में दो चिकित्सा अधिकारी (साधारण ग्रेड) कार्यरत रहेंगे जो दिन में तथा रात्रि में ड्यूटी पर रहेंगे तथा आवश्यकतानुसार विधायकगण को चिकित्सा सम्बन्धी परामर्श देंगे। यह स्टाफ सिविल अस्पताल, लखनऊ के अन्तर्गत होंगे व मुख्य अधीक्षक, सिविल अस्पताल के अधीन कार्य करेंगे। अब वहां अधीक्षक का पद नहीं रहेगा। इस डिस्पेंसरी हेतु स्वीकृत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के पद को, जिसे सीनियर स्केल (अधीक्षक) में उच्चीकृत किया गया था, के उच्चीकरण के आदेश समाप्त करते हुए पुनः साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के रूप में उपयोग लाया जायगा।

3-दारुलशफा में तैनात चिकित्सा अधिकारी के पास कोई औषधि नहीं रहेगी और न ही सिविल अस्पताल अथवा अन्य सरकारी अस्पताल में उनकी पर्ची पर औषधि दी जायेगी।

4-दारुलशफा डिस्पेंसरी (एलोपैथिक) हेतु सृजित समस्त श्रेणी के पद अर्थात् लेखाकार, फार्मेसिस्ट तथा वार्ड ब्वाय (चिकित्सा अधिकारी के दो पद तथा स्वीपर के पद को छोड़कर) समाप्त किये जाते हैं इन पदों के पदधारकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा अन्यत्र समायोजित कर लिया जाय।

5-डिस्पेंसरी के स्टोर में उपलब्ध औषधियां तथा उपकरण आदि का आवश्यकतानुसार अन्य अस्पतालों में उपयोग कर लिया जाय।

6-इसी प्रकार जिलों में भी सभी प्रकार के चिकित्सालयों में भविष्य में विधायकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क वाह्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी एवं इनडोर की निःशुल्क सुविधा पूर्व की भांति दी जायगी।

7-इसी आधार पर राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि दारुलशफा में स्थित आयुर्वेदिक/यूनानी तथा होम्योपैथी औषधालय भी समाप्त किया जाता है एवं वहां से समस्त पद तद्नुसार समाप्त किये जाते हैं। निदेशक, आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक कृपया इस सम्बन्ध में निश्चित प्रस्ताव शासन को भेजेंगे।

8-उपरोक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

वी0 पी0 माथुर,

संयुक्त सचिव।

संख्या-1989(1)/सेक-2/पांच-4(84)/84, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक निर्देश के साथ कि प्रस्तर-2 में लिये गये निर्णय का अनुपालन तुरन्त सुनिश्चित करें :-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

2-निदेशक, प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ,

3-आयुर्वेदिक तथा यूनानी सेवा निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ,

4-निदेशक, होम्योपैथी, उ0 प्र0, लखनऊ,

5-समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज,

6-अपर निदेशक, चिकित्सा उपचार/अपर निदेशक (स्टोर्स), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ,

7-अपर निदेशक, लखनऊ मण्डल,

8-समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,

9-मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ,

10-मुख्य अधीक्षक, सिविल अस्पताल, लखनऊ,

11-समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

12-अधीक्षक, दारुलशफा डिस्पेंसरी, लखनऊ,

13-चिकित्सा अनुभाग-3/4/5/7/9/15,

14-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन,

15-नियोजन अनुभाग-4, उ0 प्र0 शासन,

16-संसदीय कार्य विभाग, उ0 प्र0 शासन।

आज्ञा से,

वी0 पी0 माथुर,

संयुक्त सचिव।

संख्या-5404/5-7-1033/81

प्रेषक,

अश्विनी कुमार भार्गव,

उप सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 12 अगस्त, 1986

विषय :-भूतपूर्व विधायकों को जिन्हें पेंशन प्राप्त है राजकीय चिकित्सालयों में वाह्य रोगी की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग-7

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1989/सेक-2/5-4-(84)/84, दिनांक 21 मई, 1986 में यह आदेश प्रसारित किये गये थे कि राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को वाह्य रोगी के रूप में निःशुल्क चिकित्सा के बदले में 400 रुपये प्रतिमाह की धनराशि दिये जाने के कारण उन्हें राजकीय चिकित्सालयों में वाह्य रोगी के रूप में मिलने वाली चिकित्सा सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। इस आदेश के फलस्वरूप यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि भूतपूर्व विधायकों को जिन्हें पेंशन अनुमन्य है, भी राजकीय चिकित्सालयों से मिलने वाली निःशुल्क चिकित्सा अनुमन्य नहीं होगी। इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि भूतपूर्व विधायकों, जिन्हें पेंशन प्राप्त है, को राजकीय चिकित्सालयों से शासनादेश संख्या-3824/5-7-1022/81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 तथा शासनादेश संख्या-यू0ओ0 84/5-7-82- चिकित्सा-7, दिनांक 20 फरवरी, 1983 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य रहेगी।

2-आप कृपया अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निर्देशित कर दें कि भूतपूर्व विधायकों, जिन्हें पेंशन अनुमन्य है कि

वात्य रोगी तथा अन्तः रोगी की हैसियत से राजकीय चिकित्सालयों से निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा अनुमन्य है और शासनादेश संख्या-1989/सेक-2/5-4(84)/84, दिनांक 21 मई, 1986 द्वारा निर्गत निर्देशों का उन पर कोई अन्यथा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भवदीय,

अश्विनी कुमार भार्गव,

उप सचिव।

संख्या-5404(1)/5-7-1033/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं जिला चिकित्सालयों के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों को इस आशय से प्रेषित है कि वे कृपया भूतपूर्व विधायकों, जिन्हें पेंशन प्राप्त है, को राजकीय चिकित्सालयों से निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा अनुमन्य करायें।

आज्ञा से,

अश्विनी कुमार भार्गव,

उप सचिव।

संख्या-3788/5-7-87

प्रेषक,

श्री श्याम सूरी,

सचिव,

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 25 जुलाई, 1987

विषय :-भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग-7

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के समस्त भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों को आजीवन निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करायी जाये। इनमें से जो व्यक्ति पेंशन प्राप्त भूतपूर्व विधायक हैं उनके लिये पहले ही शासनादेश सं0-3824/5-7-1033/81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 में निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध है। वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत सभी भूतपूर्व विधायकों को यह सुविधा उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

2-प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में जिनमें मेडिकल कालेज भी सम्मिलित हैं, उन व्यक्तियों को उच्च स्तर की निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करायी जाये। यदि इन्हें उस समय विधायक होने के नाते वाह्य विभाग की औषधियां क्रय करने के लिये रु0 400/-का अथवा अन्य अनुमन्य भत्ता नहीं मिल रहा है तो इनके लिये वाह्य विभाग से सम्बन्धित औषधियां भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्तः कक्ष चिकित्सा, आवश्यक औषधियां, परीक्षणों, एक्स-रे, आदि की समस्त सेवायें पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार सभी औषधियों आदि की आपूर्ति स्थानीय क्रय के माध्यम से की जायेगी।

3-यदि भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों को प्रदेश के बाहर विशेष चिकित्सा की आवश्यकता है तो उन्हें इस कार्य के लिये संदर्भित किया जायेगा और इस पर आने वाले समस्त व्यय की प्रतिपूर्ति नियमानुसार विधान सभा सचिवालय द्वारा की जायेगी।

भवदीय,

श्याम सूरी,

सचिव।

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(लेखा अनुभाग)

संख्या-906/वि0स0/202(ले)/77 दिनांक : लखनऊ 6 अप्रैल, 1981

प्रेषक,

श्री सत्य प्रिय सिंह,

सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

महालेखाकार-1,

उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद।

विषय :-उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों आदि के वेतन एवं भत्ते, यात्रिक एवं दैनिक भत्ते, अन्य भत्ते एवं उपलब्धियों, विभिन्न प्रकार के कान्टिनजेन्ट तथा अन्य मदों के व्यय एवं दावों का चेक द्वारा भुगतान एवं तत्सम्बन्धी लेखों के रख-रखाव की प्रक्रिया।

महोदय,

मुझे यह निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों आदि के वेतन एवं भत्ते, यात्रिक एवं दैनिक भत्ते, अन्य भत्ते एवं उपलब्धियों, विभिन्न प्रकार के कान्टिनजेन्ट तथा अन्य मदों एवं दावों के बिल ट्रेजरी से पास कराने एवं भारतीय स्टेट बैंक से भुगतान प्राप्त करने की वर्तमान लम्बी प्रक्रिया का पालन करने में पर्याप्त समय एवं असुविधा होती है।

2-अतएव इस दिशा में सुधार करने हेतु राज्यपाल महोदय वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1, पैरा 107 डी0ई0एफ0जी0एच0 एवं पैरा 108 तथा अन्य तत्सम्बन्धी नियमों का शिथिलीकरण करते हुए यह सहर्ष आदेश करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा (जिसमें विधान सभा सचिवालय भी सम्मिलित है) में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों आदि के वेतन एवं भत्ते, यात्रिक एवं दैनिक भत्ते, अन्य भत्ते एवं उपलब्धियों, विभिन्न प्रकार के कान्टिनजेन्ट तथा अन्य मदों के व्यय एवं दावों के भुगतान चेक प्रणाली द्वारा किये जायें।

3-यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व व्यय के लेखा शीर्षक, "211-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिये विधान मण्डल-क-विधान सभा (असेम्बली) मतदेय/भारित" तथा "ग-विधान मण्डल सचिवालय (1) विधान सभा" के अन्तर्गत व्यय करने हेतु लागू होगी। भविष्य में उपर्युक्त लेखा शीर्षक में व्यय की कोई नई मदें सम्मिलित हुई तो यह प्रक्रिया उनके सम्बन्ध में भी मान्य होगी।

4-इन आदेशों का कार्यान्वयन वेतन एवं भत्ते के सम्बन्ध में 1 जुलाई, 1981 (अर्थात जून माह के वेतन से जो 1 जुलाई, 1981 को देय होगा) से तथा यात्रिक एवं दैनिक भत्ते, अन्य भत्ते एवं उपलब्धियों, विभिन्न प्रकार के कान्टिनजेन्ट तथा अन्य मदों के व्यय दावों के सम्बन्ध में 1 जुलाई, 1981 से अनुलग्नक में दी हुई प्रक्रिया के अनुसार प्रभावी होगी। यह प्रक्रिया 30 जून, 1981 अथवा इससे पूर्व में बकाया दावों जिनका भुगतान 1 जुलाई, 1981 अथवा उसके बाद उपयुक्त पैरा 3 में उल्लिखित लेखा शीर्षक से कराना हो, पर भी मान्य होगी।

5-उपर्युक्त आदेशों की परिधि के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों/पार्टियों के देयक अब कोषागार में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे बल्कि उनका भुगतान अनुलग्नक में उल्लिखित चेक प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा।

6-इस प्रणाली के अन्तर्गत विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सचिव के वेतन के प्राधिकार पत्र जारी करने का कार्य यथावत् महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के पास ही रहेगा किन्तु विधान सभा के सदस्यों के वेतन के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 112 तथा कोषागार नियम 22 का आंशिक शिथिलीकरण करते हुए महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा वेतन प्राधिकार पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

7-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सदस्यों/अधिकारीगण (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 पैरा 103 से सम्बन्धित अनुलग्नक में उल्लिखित किसी शिड्यूल्ड बैंक में, जिन्होंने उक्त नियम, में निर्धारित जनरल बाण्ड आफ इण्डेमिनिटी भर रखा हो, अपना खाता खुलवा लेंगे तथा बैंक का नाम, स्थान/पता व खाता संख्या, अनुसचिव एवं लेखाधिकारी, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को सूचित करेंगे। जिनका खाता ऐसे बैंकों में पहले से ही है उन्हें पुनः या खाता इस कार्य हेतु खुलवाना आवश्यक नहीं होगा परन्तु उक्त सूचना उन्हें अनु सचिव एवं लेखाधिकारी, विधान सभा को देनी होगी।

8-समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, संबंधित व्यक्तियों, जिनकी सूची उन्हें अलग से दी जायेगी, का अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र अनुसचिव एवं लेखाधिकारी, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजेंगे।

9-इस प्रणाली के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय के चेक कोषाधिकारी, लखनऊ द्वारा लेखा शीर्षक "870-चेक्स एवं बिल विभागीय चेक्स-विधान सभा सचिवालय के चेक्स" के नाम डाले जायेंगे और पेमेन्ट लिस्ट में तद्नुसार अंकित होंगे। बाद में विधान सभा सचिवालय द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को संकलित लेखा प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त व्यय अन्ततः लेखा शीर्षक "211-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिये विधान मण्डल-क-विधान सभा (असेम्बली) मतदेय/भारित" तथा "ग-विधान मण्डल सचिवालय (1) विधान सभा" के अन्तर्गत व्यय की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

10-उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में उल्लिखित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत व्यय चेक द्वारा किये जाने की प्रक्रिया को श्री एस0एम0 दत्ता, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (टी0ए0डी0) के अर्धशासकीय पत्र संख्या-टी0एम-1 XII-410/432, दिनांक 27 जनवरी, 1981 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अनुरोध है अब कृपया सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश तथा अनुसचिव एवं लेखाधिकारी, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को चेक जारी करने के लिये प्राधिकृत करने का कष्ट करें।

11-वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5 के आवश्यक संशोधन बाद में जारी किये जायेंगे।

12-ये आदेश महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-टी0एम0-1 XII-410/463, दिनांक 18 फरवरी, 1981 एवं वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-एफ-ए-1-189/दस/81, दिनांक 4 मार्च, 1981 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सत्य प्रिय सिंह,
सचिव।

संख्या-906(i)वि0स0/202(ले)/77, तद्दिनांक

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सदस्यगण, उत्तर प्रदेश, विधान सभा।

2-समस्त अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश, विधान सभा।

3-समस्त अनुभाग, विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

4-कोषागार निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5-समस्त ट्रेजरी आफिसर, उत्तर प्रदेश।

6-समस्त सब-ट्रेजरी आफिसर, उत्तर प्रदेश।

7-चीफ जनरल मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर/दिल्ली।

8-समस्त मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक (जहां राजकीय भुगतान होता है)।

9-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

10-सचिव, वित्त विभाग/संसदीय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

11-वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-5/वित्त (लेखा) अनुभाग-1, 2, 3 वित्त (बजट) अनुभाग-1।

12-अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

13-लेखाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

14-सचिव, रेलवे बोर्ड (रेलवे मंत्रालय) भारत सरकार, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।

15-चीफ कामर्शियल सुपरिन्टेन्डेन्ट (रिफन्ड्स), उत्तर रेलवे/कश्मीरी गेट, नई दिल्ली।

16-डिप्टी चीफ एकाउन्ट्स आफिसर, ट्रेफिक एकाउन्ट्स आफिस, नार्दन रेलवे, किशनगंज, दिल्ली।

17-सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरी (प्रेस) नार्दन रेलवे, शकूर बस्ती, नई दिल्ली।

18-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-2, 3।

आज्ञा से,

ब्रह्म नाथ टण्डन,

अनु सचिव एवं लेखाधिकारी।

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या : 1401/79-वि-1-16-1(क)-22-2016

लखनऊ, 16 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2016 पर दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

धारा-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 जिसे एतद्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में,-

(क) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(क-1) 'मुख्य मंत्री' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से है।"

(ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ग) 'परिवार' का तात्पर्य मुख्य मंत्री या किसी मंत्री के सम्बन्ध में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन से है जो ऐसे मुख्य मंत्री या मंत्री के साथ रहते हों और उन पर पूर्णतया आश्रित हों;"

(ग) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ङ) 'मंत्री' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री और उस राज्य के उप मंत्री भी हैं।"

धारा-3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-3 में उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

(1) मुख्य मंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त चालीस हजार रुपये प्रति मास के वेतन के हकदार होंगे।

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त पैंतीस हजार रुपये प्रति मास के वेतन का हकदार होगा।

धारा-4 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा-4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"4-(1) मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिए लखनऊ में निवास-स्थान का, किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने के हकदार होंगे, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायेगा।

(2) जहां मुख्य मंत्री या किसी मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार निवास स्थान की व्यवस्था न की गयी हो, या वह उक्त उपधारा के लाभ का उपभोग न करे, वहां वह,-

(क) मुख्य मंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री की स्थिति में दस हजार रुपये प्रति मास; और

(ख) उप मंत्री की स्थिति में, आठ हजार रुपये प्रति मास; की दर पर प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा।

(3) उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व मुख्य मंत्री को उनके अनुरोध पर जीवनपर्यन्त, कोई सरकारी आवास, राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले मासिक किराये के भुगतान पर आवंटित किया जायेगा।"

धारा-5 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा-5 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री को अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक मोटर गाड़ी और उसे चलाने के लिए शोफर की व्यवस्था की जायेगी जिसका क्रय और अनुरक्षण सरकारी व्यय पर इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा।"

धारा-6 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा-6 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु अपने लिये उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जाय, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च के हकदार होंगे।

(ख) उपधारा (2) को निकाल दिया जायेगा।

(ग) उपधारा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

(3) मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री-

(क) पद ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ लखनऊ से बाहर अपने सामान्य निवास स्थान से लखनऊ के लिये यात्रा करने के सम्बन्ध में; और

(ख) पद त्याग करने पर लखनऊ से लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक यात्रा करने के सम्बन्ध में,

अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये और अपने तथा अपने परिवार के सामानों के परिवहन के लिये यात्रा-भत्ता के हकदार होंगे।

(4) उपधारा (1) से (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य मंत्री या किसी मंत्री को धारा 5 में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी या राज्य सरकार की किसी अन्य गाड़ी से की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता संदेय नहीं होगा।"

धारा 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का संशोधन

7-धारा 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

"7-मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के संबंध में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह या अन्य विश्राम गृहों का प्रयोग करने के हकदार होंगे।

8-मुख्यमंत्री या प्रत्येक मंत्री और उसके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में निःशुल्क आवास, उन सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायं, चिकित्सा, परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे।

9-जिस दिनांक से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है या नहीं रह जाता है, उसे गजट में अधिसूचित किया जायेगा और कोई ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस दिनांक से मुख्यमंत्री या मंत्री बना या नहीं रह गया।

10-मुख्यमंत्री सहित मंत्री अपनी पदावधि के दौरान, जिसके लिये वह वेतन और भत्ता आहरित करता है, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई वृत्ति या व्यापार या पारिश्रमिक के लिये नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।

11-मुख्यमंत्री या प्रत्येक मंत्री जो यथास्थिति सभा या परिषद् का सदस्य हो, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 4, 9, 18 और अध्याय-आठ के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा।

12-मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, किसी समय, ऐसे वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का, जिनका वह हकदार है, पूर्णतया या उसके किसी भाग का त्याग इस आशय की लिखित घोषणा द्वारा कर सकता है :

परन्तु ऐसा कोई त्याग उसी प्रकार किसी भी समय अग्रगामी प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।"

उद्देश्य और कारण

मंत्रीगण को अनुमन्य वेतन एवं भत्तों का बहुत समय से पुनरीक्षण नहीं किया गया है। अतः कीमतों में बढ़ोत्तरी एवं जीवन यापन के मूल्यों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन करके राज्य के मंत्रीगण के वेतन और शासकीय आवास उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अनुमन्य प्रतिकर भत्ता को पुनरीक्षित किया जाय।

पूर्व मुख्य मंत्रियों की सुरक्षा की आवश्यकताओं के दृष्टिगत यह भी विनिश्चय किया गया है कि उनको शासकीय आवास आवंटित किये जाने के लिये उक्त अधिनियम में व्यवस्था की जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 267 विधान सभा (428)-08-01-2017-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।